खण्ड-220, अंक-7
गुरूवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1883
(23 मार्च, 1961 ई0)

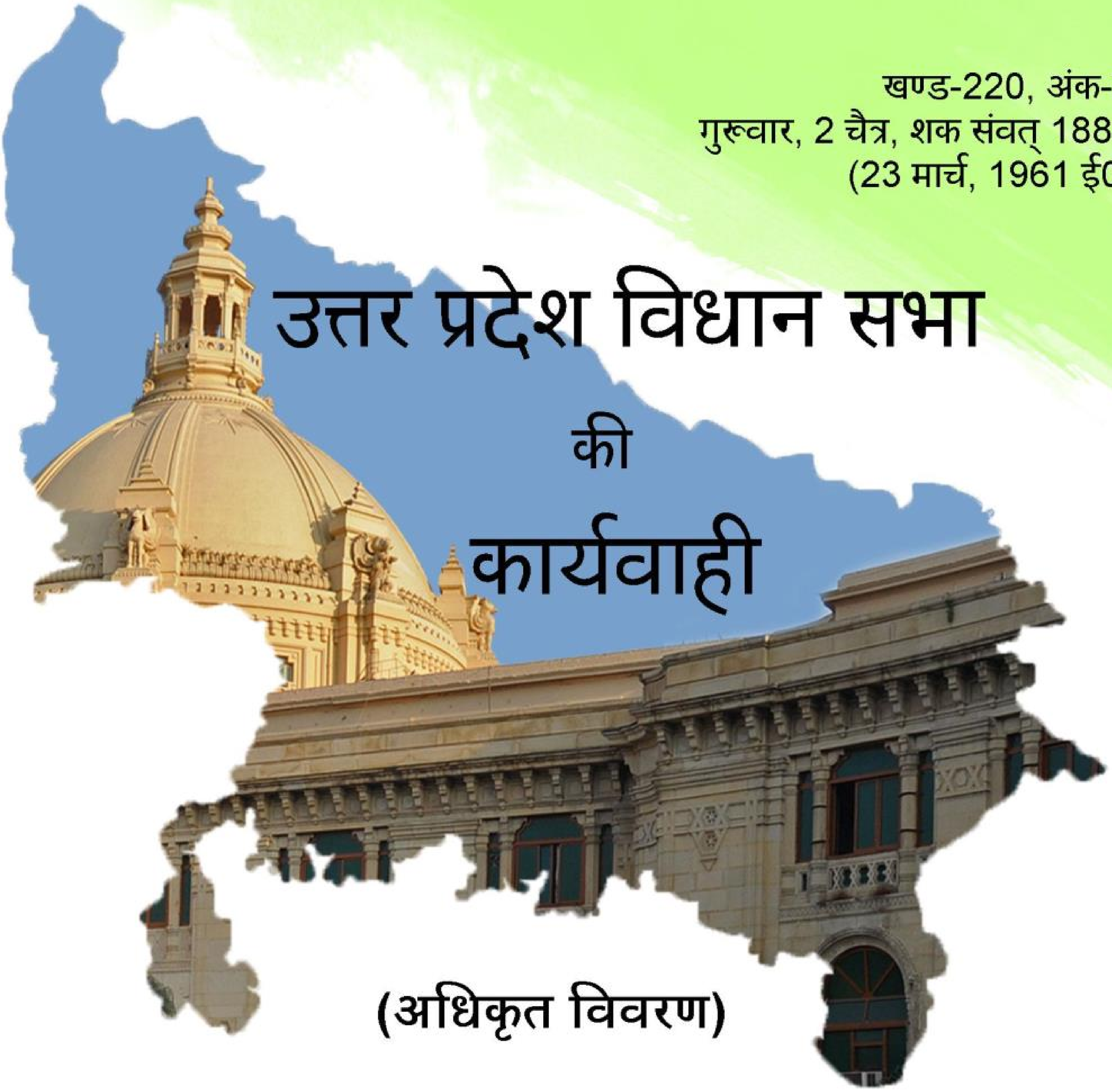

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 220 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

मुदेश्वर विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार , २३ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य –३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद श्री, (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री

गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त,श्री
गौरी शंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा,श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर , श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बेरश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर , आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद, पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भन्डारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुद्धिलाल, श्री
बुद्धिसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
मूहमूद हुसैन खां, श्री
महा देवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीर राम श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल,सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री (जौनपुर)
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल स्लालाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री

हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---श्रम मन्त्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वित्तमन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २३ मार्च, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन करने के लिये सिफारिशें

**१---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या श्रम मन्त्री कृपाकर बतायेंगे कि खेतिहर मजदूर तेल मिलों, कंकड़ पत्थर कूटने वाले, चक्की, चमड़े के कारखाने, सार्वजनिक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग आदि के श्रमिकों की निम्नतम मजदूरी को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त की गई थी? यदि हां, तो उस समिति की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)---जी हां। रिपोर्ट १५ मार्च, १९६० को प्राप्त हुई थी---समिति की सिफारिशों के आधार पर (१) चावल मिल, आटा मिल अथवा दाल मिल में नियोजन, (२) देहरादून जिले के चाय बागान में नियोजन, (३) किसी तेल मिल में नियोजन, (४) टेनरीज तथा लेदर मैनुफेक्चरी में नियोजन, और (५) कृषि कार्यों में नियोजन के सम्बन्ध में मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन करने हेतु आवश्यक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। स्थानीय निकायों में नियोजन, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में नियोजन, तथा कंकड़ पत्थर कूटने, सड़कों के रख-रखाव और इमारत बनाने के कार्यों में नियोजन के सम्बन्ध में मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन करने के लिये सम्बन्धित विभागों से परामर्श लिया जा रहा है।

**२---श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित) तथा श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त रिपोर्ट सर्वसम्मत है? यदि हां, तो उस पर निर्णय होने में विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री वसी नकवी---जी हां। चूंकि समिति की सिफारिशों का प्रभाव विस्तृत क्षेत्र पर पड़ने की सम्भावना है अतएव उनको पूर्ण रूप से अध्ययन करने तथा सम्बन्धित विभागों से परामर्श करने के पश्चात् ही लागू करना उचित समझा गया है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय श्रम-मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट १५ मार्च, १९६० को दी थी उसने न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित किया है?

श्रममंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---अभी उन्होंने फेहरिस्त पढ़ दी है कि इन-इन सेक्टर्स में उन्होंने न्यूनतम वेजेज फिक्स कर दिये हैं।

श्री प्रतापसिंह---कितने रुपये फिक्स किये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वह तो बड़ी लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। हर एक इंडस्ट्री का अलग-अलग शेड्यूल है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सड़क पर जो पत्थर कंकड़ तोड़ने वाले मजदूर हैं उनके लिये न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित किया गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उनका अभी फैसला नहीं किया गया क्योंकि उनके बारे में हमारी डिपार्टमेन्ट से बातचीत चल रही है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन खेतिहर मजदूरों को अन्न के रूप में मजदूरी दी जाती है उनके लिये कितनी मजदूरी निर्धारित करने की सरकार ने सोची है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—न्यूनतम मजदूरी पैसे में ही जो कुछ तय किया है, वही है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खेत मजदूर से सम्बन्धित जो कम से कम मजदूरी नियत है वह कानून आज किन-किन जिलों में लागू है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उसका तो नोटिफिकेशन निकल गया है।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं पहले अपना सवाल साफ नहीं कर पाया था। मेरा सवाल यह था कि क्या श्रम मन्त्री जी, उस कमेटी की खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में क्या सिफारिश थी कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिये, यह बताने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उन्होंने खेतिहर मजदूरों के लिये ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों अंचलों के लिये अलग-अलग मजदूरी निर्धारित की थी। कुछ जिलों के लिये उन्होंने १ रुपया ४ आना और कुछ जिलों के लिये १ रुपया ८ आना मजदूरी निर्धारित की थी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पी० डब्लू० डी० के जो मजदूर हैं उनके निम्नतम वेतन में एक ही प्रकार के काम होते हुये पूर्व और पश्चिम के मजदूरों के वेतन में अन्तर है तो इसको मिटाने के लिये सरकार क्या करने जा रही है और क्या करना चाहती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कारण स्पष्ट करेगी कि वाराणसी जिले में खेतिहर मजदूरों के लिये जो कम से कम मजदूरी निश्चित की गई है, वह कहां क्यों नहीं लागू हुई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हमारी तरफ से नोटिफिकेशन निकल चुका है।

श्री राजनारायण—कब निकला है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नोटिफिकेशन मार्च १६ को निकला है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर, बस्ती वगैरह के मजदूरों के लिये १ रुपया ४ आने मजदूरी निर्धारित की गई है या १ रुपया ८ आने निर्धारित की गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पूर्वी जिलों के लिये १ रुपया ४ आने है।

श्री झारखंडे राय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि खेत मजदूरों की मजदूरी में जो व्यक्तिगत फार्मों पर या मामूली खेतिहर या पुराने जमीन्दारों के यहां काम करते हैं उनमें और जो सरकारी फार्मों पर काम करते हैं बड़ा अन्तर है, तो इसको मिटा कर सरकार क्या एक मजदूरी तय करने जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जो मिनिमम वेजेज तय की जा रही हैं वह बतला दी हैं और दोनों अंचलों के लिये अलग-अलग हैं।

कोयले की कमी दूर करने के लिये रेलवे मैनेजर्स का सम्मेलन

**३—श्री प्रतापसिंह—दिनांक १० मार्च, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संदर्भ में सरकार क्या यह बताने की कृपा करेगी कि २७ फरवरी, १९६१ को हुये सम्मेलन में कोयला नियन्त्रक तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार कितने कोयले के वैगनों की वृद्धि करने का प्रयत्न किया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—वैगनों की कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई। कोयला नियन्त्रक ने, वैगनों की उपलब्धि पर, उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।

**४—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त वृद्धि से प्रदेश की कोयले की वर्तमान कमी पूरी हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—इस सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेशीय सरकार की तरफ से कोई आंकड़े पेश किये गये थे कि इतने वैगन दिये जायेंगे ? यदि हां, तो प्रदेश के नुमाइन्दों ने कितने वैगनों के लिये कहा और कान्फ्रेंस में कितने के लिये कहा ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—प्रदेशीय सरकार की तरफ से जो मांग केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई है उसके तहत में ५० हजार वैगनों की आवश्यकता हमने रखी है और वह मांग कान्फ्रेंस के समक्ष थी, परन्तु वह मांग स्वीकार नहीं हो सकी है।

श्री प्रतापसिंह—मैं मन्त्री जी को याद दिलाऊं कि उन्होंने यह कहा था कि प्रदेश में कोयले का कमी को दूर करने के लिये जनरल मैनेजर्स की कान्फ्रेंस हो रही है। उसके बाद निश्चय किया जायगा कि कैसे उसको दूर किया जाय तो मंत्री जी बतायें कि तात्कालिक कौन से कदम उठाये हैं जिनसे इस कमी को वह दूर करने जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कान्फ्रेंस हुई थी उसमें सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जो कोयले की कमी के कारण दिक्कत हो रही है उसे केन्द्रीय सरकार के दोनों विभाग, रेलवे विभाग और प्रोडक्शन विभाग, स्टील माइन्स के मिनिस्टर स्वतः ऐसी योजना बनाकर सहायता करने की चेष्टा करेंगे जिससे वह कमी पूरी हो जाय। उस समय वैगन पोजीशन के बारे में भी विचार-विनिमय हुआ और उसमें यह हमारी तरफ से कहा गया था कि कम से कम दो सौ वैगन रोज हमें दिये जायें तो कदाचित् आने वाले महीनों में किसी अंश में, जो कमी है और जो इससे दिक्कत हो रही है, उसे हम रफा कर सकें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्मेलन के पहले माननीय मुख्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया था कि जो काम कभी-कभी मन्त्रियों से नहीं होता है वह अधिकारियों द्वारा हो जाता है, क्या इस सम्मेलन के बाद माननीय मुख्य मन्त्री की वह आशा पूरी हुई और उन्हें इस बात की आशा है कि वैगनों को प्राप्त करने में इस सम्मेलन के बाद कोई सहूलियत हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी वैगन की व्यवस्था में कोई भारी परिवर्तन तो नहीं हुआ है। उस कान्फ्रेंस में जहां तक रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है वे हमारी सहायता करने के लिये उद्यत थे परन्तु कोल कन्ट्रोलर की तरफ से जो डिप्टी कोल कंट्रोलर आये थे वह उनकी सिफारिश को आगे बढ़ने नहीं देते थे। बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि केन्द्रीय सरकार का एक विभाग कुछ सहायता करने के लिये उद्यत है परन्तु दूसरा विभाग, अपनी उन जिम्मेदारियों के कारण जो दूसरे स्थानों पर उठा रखी हैं, हमारी सहायता करने में

असमर्थता प्रगट कर रहा है। हमने उस कान्फ्रेन्स में जो बातचीत हुई उसको केन्द्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर रखा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने से वैगन की स्थिति में कुछ परिवर्तन हो जायगा और अधिक वैगन दे सकेंगे। परन्तु अभी बीच में अधिक वैगन देने में दोनों विभाग कुछ असमर्थता प्रगट कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जो मैनेजरों की मीटिंग बुलाई गई थी और मुख्य मन्त्री जी ने जो ५० हजार वैगन की मांग रखी थी, वे उसमें कितने वैगन देने के लिये समर्थता प्रगट करते थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी पिछले वर्ष तो, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, ५० हजार वैगनों में कुल १३ हजार वैगन मिल पाये थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि १९ सौ वैगनों के करीब मुगलसराय से इधर आ सकते हैं और मुगलसराय से इधर आने का मतलब यह है कि हमारे प्रदेश में और पंजाब में मुगलसराय के आगे भी वैगन जाते हैं। तो हमारी तरफ से अभी दो सौ और वैगनों की मांग की गयी है कि दो सौ वैगन और इस समय बढ़ा दिये जायं और वह उत्तर प्रदेश में ही दिये जायं। जैसा कि मैंने कहा यह मांग डिप्टी कोल कन्ट्रोलर को मंजूर नहीं थी। इसी विचार-विनिमय में सारी कान्फ्रेंस की कार्यवाही खत्म हो गयी।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि कोल की समस्या का संबंध प्रदेश के उद्योगीकरण से भी है निकट भविष्य में अगर पत्र-व्यवहार से काम नहीं चलता तो स्वयं मुख्य मंत्री जा कर या अपने किसी प्रतिनिधि को दिल्ली भेज कर इस समस्या को हल करने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुख्य मंत्री हर घड़ी और हर दिन इस बात की चेष्टा में रहते हैं और जब दिल्ली जाते हैं तो उन विभागीय मंत्रियों से बातचीत भी करते हैं परन्तु अभी कोई बहुत लाभदायक निर्णय उनसे प्राप्त नहीं हो सके हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि यह जो कान्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी इसमें कुछ अधिकारियों ने खुद न आकर अपने डेपुटीज को भेजा जिसके कारण कोई निश्चित निर्णय नहीं हो सका और माननीय मुख्य मंत्री किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुख्य मंत्री को तो स्वतः कोई निर्णय लेने नहीं थे, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लेने थे। यह सही है कि कोल कंट्रोलर महोदय खुद नहीं आये थे, डिप्टी कंट्रोलर को भेजा था और डिप्टी कंट्रोलर महोदय तमाम वाद विवाद के बाद भी कुछ टस से मस होते हुए दिखाई नहीं पड़े।

(श्री अध्यक्ष द्वारा दूसरा प्रश्न ले लेने के उपरान्त)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, प्रश्न और उत्तर हुए, लेकिन उसकी कुछ सफाई हुई आपके पास? यानी सरकार ने २०० वैगन मांगा, मैनेजरों ने कितने वैगन देने की मान्यता प्रदान की, यह पता नहीं चल सका।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें।

पूर्वी जिलों में नमक का अभाव

****५—श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)— क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों में नमक का अभाव हो गया और भाव चढ़ गये हैं?

श्री धर्मसिंह—जी हां, नमक की कमी की शिकायत कुछ पूर्वी जिलों जैसे देवरिया बलिया, बस्ती, खीरी इत्यादि से प्राप्त हुई है। नमक के भाव चढ़ जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई क्योंकि इस समय नमक पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है।

****६—**श्री विश्रामराय तथा श्री राजाराम शर्मा—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त संकट को दूर करने के लिये वह क्या करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—उपर्युक्त जिलों में नमक शीघ्रातिशीघ्र प्राथमिकता पर भेजने के लिए जनरल मैनेजर, सांभर लेक से तार द्वारा प्रार्थना की गई है तथा ध्रांगधरा क्षेत्र से भी इन जिलों में निम्नलिखित एडहाक कोटा दिया गया है :—

१—देवरिया	..	४२ वैगन
२—बलिया	..	४४ वैगन
३—बस्ती	..	५१ वैगन
४—खीरी	..	४९ वैगन

यह कोटा इनके मासिक कोटे के अतिरिक्त दिया गया है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि बलिया आदि जिलों में नमक का कोटा आधा कर दिया गया है ? यदि हां, तो फिर यह जो नमक कुछ जगहों में बढ़ाया गया है उसके बाद भी नमक का कोटा वहां आधा करने की जरूरत क्यों पड़ी ?

श्री धर्मसिंह—नमक का कोटा आधा नहीं किया गया। जहां तक बलिया का संबंध है उसका मंथली कोटा था और जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है बलिया को ४४ वैगन और भेजा है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इसी सीजन में प्रति वर्ष नमक के भावों में चढ़ती हो जाती है, इस बात को देखते हुए क्या जो मौजूदा वितरण व्यवस्था है उस व्यवस्था में कोई हेरफेर करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, इस वजह से कमी नहीं हुई। कहीं थोड़ा-सा हमारे यहां जो कोटा निर्धारित था उसके आने में दिक्कत हुई, ट्रांसपोर्ट इत्यादि की डिफिकल्टीज रहीं, और कोई दिक्कत नहीं हुई है।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि नमक की कमी की सूचना सरकार को कब मिली और सरकार ने उस कमी को पूरा करने का आदेश कब जारी किया ?

श्री धर्मसिंह—समय तो बताना कठिन है। मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। लेकिन जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, इन जिलों में उसके लिए प्रबन्ध किया गया।

श्री राजनारायण—क्या सरकार ने कोई इस बात की परीक्षा करायी है कि गरमी के महीनों में नमक की आवश्यकता कम होती है बनिस्बत जाड़े के ?

श्री धर्मसिंह—अब इसको तो माननीय सदस्य स्वयं जान सकते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को विदित है कि केन्द्रीय सरकार नमक पर ड्यूटी लगाने जा रही है जिसका परिणाम यह हुआ है कि प्रदेश में हर जगह नमक का भाव बढ़ रहा है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता कि ड्यूटी लग रही है। उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वर्तमान समय में ध्रांग्धरा और दूसरे नमक उत्पादन क्षेत्रों से जो नमक का आयात होता है वह वार टाइम में चन्दा ज्यादा देने की वजह से उसी समय के नामिनेटेड व्यक्तियों के हाथ में है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार कोआपरेटिव सोसाइटीज को नमक आयात करने का अधिकार देने पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिन्होंने ज्यादा चन्दा दिया था उन्हीं को नियुक्त किया गया और फिलहाल उसमें कोई कमी है नहीं जिसकी वजह से उसको रीआर्गनाइज करने पर पुनर्विचार किया जाय ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा दूसरा प्रश्न ले लेने पर)

श्री गौरीशंकरराय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट चाहता हूं । जो जवाब दिया है कि कोटा आधा नहीं किया गया, मैं सूचना देना चाहता हूं कि वह गलत जवाब दिया गया है । कोटा आधा किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—वह आप लिखकर भेजें ।

बिक्री कर के संबंध में लखनऊ व्यापारी संघ की मांगें

****७—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमढ़) तथा **श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ९ मार्च, १९६१ को लखनऊ व्यवसायी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य मंत्री से मिलकर बिक्री-कर की कठिनाइयों से उनको अवगत कराते हुये तद्विषयक कोई प्रस्ताव उन्हें दिया है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जी हां, लखनऊ व्यवसायी संघ की ओर से प्रतिनिधि मंडल बिक्री-कर की कठिनाइयों के संबंध में मुख्य मंत्री से ९ मार्च, १९६१ को मिला था तत्पश्चात् वे वित्त विभाग के एक अधिकारी से भी मिले । उन्होंने इस विषय में मुख्य मंत्री को निम्नलिखित प्रस्ताव दिये :—

१—व्यवसाय के प्रतिनिधियों एवं विभाग में घनिष्ठ संबंध होना चाहिये और इसके लिये एक बिजनेस रिलेशन आफिसर (Business Relation Officer) की विभाग में नियुक्ति की जाय ताकि व्यवसायी अपनी समस्यायें उसके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें ।

२—स्थानीय बिक्री-कर कार्यालय गोलागंज को व्यापारियों की सुविधा के लिये कहीं अन्यत्र उचित स्थान पर हटा दिया जाय ।

३—जितनी वस्तुओं पर संभव हो सके बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाय ।

४—वे वस्तुयें जिनपर बहुसूत्रीय कर लगता है उन पर एक पदीय कर या तो प्रारम्भ में अथवा माल मंगाने वाले पर लगा दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन चार मांगों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह जो चार मांगें थीं उनमें कुछ पर तो उनको समझाया कि संभव नहीं है और कुछ के विषय में उनसे खुद सुझाव मांगे गये कि उन पर सुझाव दें तो फिर उन पर विचार किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन मांगों के संबंध में कहा गया कि यह सरकार पूरा करने में असमर्थ है और किन के संबंध में सुझाव मांगे गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—नम्बर ३ के बारे में कहा गया कि यह संभव नहीं है कि सेल्स टैक्स क बजाय एक्साइज ड्यूटी लगादी जाय । नम्बर ४ के बारे में उनसे कहा गया कि अगर आप सुझाव दें तो फिर उस पर विचार होगा । नम्बर १ पर यह कहा गया कि यह संभव तो हो सकता है लेकिन इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत इस कारण नहीं होती कि विभाग के सभी अधिकारी सदैव इस बात के लिये प्रस्तुत रहते हैं कि अगर कोई व्यापारी बातचीत करना चाहे तो वह हो सकती है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनसे इस प्रतिनिधि मंडल ने यह भी शिकायत की थी कि जो सरकारी गल्ले की दुकान हैं उन पर जब वे खुलीं शुरू में तो कई साल तक सेल्स टैक्स लगाने का आदेश नहीं था केवल दो साल से सेल्स टैक्स लगाने का आदेश हुआ है, लेकिन आजकल जो सेल्स टैक्स वसूल हो रहा है वह शुरू से उनसे वसूल हो रहा है, जब से वे दुकाने खुली थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, इसके संबंध में कुछ नहीं कहा था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नम्बर २ पर जो मांग है उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, इस पर सरकार भी विचार कर रही है और उनसे भी कहा गया कि अगर आप कोई ऐसी बिल्डिंग बतलावें जहां कार्यालय स्थानान्तरित किया जा सकता है तो वह संभव हो सकेगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या वित्त मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उस प्रतिनिधि मंडल ने मिलते समय अपनी मांग पेश की तो उस समय यह भी उसने मांग पेश की थी कि नया बिक्री-कर जो बजट में बतलाया गया है वह बिक्री-कर बढ़ाया जायगा, उसके बारे में भी उसने अपना असन्तोष प्रकट किया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं ।

क्राप इंश्योरेंस योजना

८—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में क्राप इश्योरेंस की योजना उसके विचाराधीन है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—इस समय ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है परन्तु अभी हाल में एक ऐसा सुझाव सरकार के सम्मुख रखा गया था । उस पर गंभीरता-पूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि वर्तमान स्थिति में ऐसी कोई योजना कार्यान्वित करना संभव न होगा ।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि वह कौन सी बातें हैं जिनके पूरा हो जाने पर अपने प्रदेश में यह क्राप इन्श्योरेन्स की स्कीम लागू की जा सकती है और अपने पड़ोस के प्रदेश पंजाब में वे कौन सी शर्तें हैं जिनके पूरा होने पर वहां की सरकार ने फैसला किया है कि दो जिलों में यह स्कीम लागू की जाय ?

श्री चरणसिंह—पंजाब गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया है कि वह अपने यहां फसल बीमा योजना लागू करेगी । उन्होंने केवल विचार किया है, अभी वह किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं हैं । कौन-सी ऐसी शर्तें हैं जिनके विद्यमान होने पर क्राप इन्श्योरेंस कामयाब हो सकती है और जरा भी देर न लगे ? इसके लिये देश बहुत धनवान होना चाहिये, किसान लिखा-पढ़ा होना चाहिये, राज्य कर्मचारी ईमानदार होना चाहिये । अभी यह स्कीम अमेरिका जैसे देश में भी कामयाब नहीं हुई है ।

कम्बलों की गोलमाल के संबंध में कारागार महानिरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

**९—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इंसपेक्टर जनरल (जेल) के कार्यालय के कुछ अधिकारियों के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के शिकायती पत्र सं० LXVI/२६८–६०, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० तथा सं० ५३/६१, दिनांक १८ फरवरी, १९६१, कम्बलों की गलत खरीद व हिसाब के गोलमाल आदि के संबंध में मिले थे ? अगर हां, तो उनमें मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मसिंह—यह दोनों पत्र मिले हैं पर जो दूसरा पत्र है उसकी तारीख १६–२–६१ है। इन पत्रों पर उचित कार्यवाही की जा रही है। इन पत्रों में लिखी हुई शिकायतों का ब्योरा देना या उन पर की गई कार्यवाही का विवरण बताना इस समय प्रशासकीय हित में नहीं है।

**१०—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि उपर्युक्त जिन लोगों की शिकायत की गई है उनमें से एक लोक सेवा आयोग के पास १३ मार्च, १९६१ को य उसके करीब वैयक्तिक सहायक, आई० जी० (प्रिजन्स) के लिये साक्षात्कार हेतु सरकार द्वारा भेजा जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—कारागार महानिरीक्षक के वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही लोक सेवा आयोग के परामर्श से हो रही है। जब तक अन्तिम निर्णय न ह जाय तब तक यह विषय गोपनीय है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायतें क्या-क्या हैं ? मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि यह क्या-क्या चीजें हैं यह बतला दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो वह कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में बतलाना उचित न होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—रूल्स में तो ऐसा कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष—रूल्स के अनुसार तो कोई भी उत्तर देने का अधिकार है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जो शिकायतें की गयी हैं उनमें से जांच करने पर कौन कौन सी सही पायी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष—वह तो ब्योरा ही देना नहीं चाहते।

श्री गौरीशंकर राय—क्या जेल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्हीं कम्बलों की खरीद आदि के लिये जेल विभाग और इंडस्ट्रीज विभाग में जो गोल-माल हुआ था उस संबंध में सरकार ने १९५० में एक सी० आई० डी० की इंक्वायरी बिठाई थी, लेकिन वह बठी रह गयी और किसी तरह से दब गयी और उसकी पूरी जांच भी नहीं हो पायी ?

श्री धर्मसिंह—१९५० का विवरण तो मेरे पास नहीं है और जो प्रश्न है उसका इससे संबंध भी नहीं ह।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में १०, १० हजार कम्बल आगरा और बरेली की सेंट्रल जेल द्वारा सप्लाई किये गये थे और एक भी कम्बल की सारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी डिमांड नहीं थी, जितनी डिमांड थी वह पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ३,००० कम्बल फिर खरीदे गये जब कि कम्बलों के लिये और ऊन भी खरीदा जा चुका था ?

श्री धर्मसिंह—माननीय सदस्य ने जो कहा है उसकी जांच हो रही है। क्या वाकयात थे, क्या जरूरत थी, इन सब पर पूरी तरह से जांच हो जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या जेल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गोलमाल का पता सरकार को कब लगा और उसे कार्यवाही करने में इतनी देर क्यों हुई और सरकार कब तक अंतिम फैसला लेने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—जब पत्र लिखा था उस वक्त भी जानकारी में बात थी, थोड़ी कुछ और भी शिकायतें आती रही थीं इससे पहले। फिलहाल जितनी भी तथ्य की बात है वह मेरे पास नहीं है और जांच हो रही है और मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पूरे तरीके से सरकार इसमें जांच कर रही है। इस मैटर को यदि यहां कुछ और बतलाया जाता है तो उसका असर जांच पर पड़ सकता है और सरकार का जो मंशा है कि जांच के बाद वह किसी निर्णय पर पहुंचे और कुछ तथ्य निकाले, डिटेल में यहां बात होने पर हम उसमें कामयाब न होंगे।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को यह मालूम है कि कई वर्ष से इस जांच के पूरा न हो सकने का एक कारण यह भी है कि प्रदेश के उच्च तबके के कुछ अधिकारी इसको दबाना चाहते हैं और इसमें देर कराना चाहते हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस गोलमाल के संबंध में जो जांच हो रही है उसमें कितने गजेटेड और कितने नान-गजेटेड कर्मचारी और किस पद से संबंधित हैं ?

श्री धर्मसिंह—वह सब, जैसा कि मैंने निवेदन किया, गोपनीय है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या इस जांच के अगले ९ महीनों में या इस साल के अंत तक पूरे हो जाने की उम्मीद है ?

श्री धर्मसिंह—सरकार शीघ्रातिशीघ्र कोशिश कर रही है इस बात की कि जांच जल्दी समाप्त की जाय।

बोर्ड आफ बेसिक एजूकेशन स्थापित करने पर विचार

****११—**श्री गौरीशंकर राय—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु बोर्ड आफ बेसिक एजूकेशन की स्थापना सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु जो बोर्ड की स्थापना करने का विचार सरकार के विचाराधीन है, उसकी कार्य-परिधि तथा गठन का प्रकार क्या होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह अभी विचाराधीन है कि कैसा बोर्ड हो और उसमें क्या हो ।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, कार्य-परिधि तथा गठन विचाराधीन है, लेकिन कौन सा काम लेने के लिये, कौन-सा धंधा करने के लिये उसे बनाया जा रहा है, यह तो माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं ।

श्री रामस्वरूप यादव—प्राइमरी पाठशालाओं में बेसिक शिक्षा कर दी गई है । इस संबंध में सरकार खर्च भी १०० रुपये देती है । कुछ लोगों को यह शिकायत है कि उत्तर प्रदेश में केवल संख्या दे दी है बेसिक एजूकेशन की, लेकिन है नहीं, तो वह किस प्रकार से सुचारु रूप से चल सकती है । इसी पर विचार करने के लिये इस बोर्ड की स्थापना पर विचार हो रहा है ।

सीमेंट का नया कारखाना खोलने की संबंध में जानकारी

१२—श्री झारखंडेराय**—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चोपन (राबर्ट्सगंज-मिर्जापुर) के निकट निजी-क्षेत्र में शीघ्र ही सीमेंट के एक कारखाने के बनाये जाने के विषय में किसी उद्योगपति से सरकार की वार्ता चल रही है ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी नहीं ।

१३—श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो क्या सरकार उस बातचीत की संक्षिप्त जानकारी सदन को कराने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी स्टेज पर, किसी पूंजीपति से इस विषय में बातचीत चली थी, लेकिन उनकी शर्तों को सरकार ने नहीं माना, इसलिये वह वार्ता असफल रही ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक इसका ताल्लुक है, एक लाइसेन्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स को गोला गोकरननाथ में सीमेंट की फैक्टरी कायम करने के लिये दिया गया था केन्द्रीय सरकार की तरफ से, लेकिन बाद में उसको उन्होंने नहीं किया, उसको छोड़ दिया लिहाजा उनका लाइसेंस खत्म हो गया । और कोई बात नहीं चल रही है ।

श्रमिक यूनियन, सूती मिल्स, कानपुर द्वारा हड़ताल की धमकी

१४—श्री मदन पांडेय तथा श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार को यह सूचना है कि कानपुर में कानपुर की श्रमिक यूनियन, सूती मिल मजदूर सभा ने आगामी २५ मार्च से हड़ताल करने की धमकी दी है, यदि वहां के मिल मालिकों ने शनिवार व सोमवार को ९ घंटे काम लेने की प्रथा का परित्याग नहीं किया ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री वसी नकवी—जी हां । इस विषय म श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, श्रमिकों तथा सेवायोजकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर आपसी समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कि ९ घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है, सर्व प्रथम उनको कब प्राप्त हुई और कब से श्रमायुक्त, द्वारा श्रमिकों और सेवायोजकों के प्रतिनिधियों की बैठकें बुलाई गईं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इनके कामों के घंटों के बारे में जो परिवर्तन हुआ था वह १९५३ में हुआ था । उसके बाद फिर एक ट्रिपार्टाइट कमेटी बैठी और उसने जो फैसला किया उसके मुताबिक काम अब हो रहा है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से यह सूचना मिली है कि ९ घंटे काम करने से वहां के श्रमिक क्षुब्ध हैं, तब से श्रमायुक्त, श्रमिकों और सेवायोजकों की कितनी बार मीटिंगें हो चुकी हैं ?

श्री वसी नकवी—दो बार बैठकें हो चुकी हैं ।

श्री मदन पांडेय—इन दोनों बार जो निर्णय लिये गये वे क्या हैं ?

श्री वसी नकवी—अभी यह बताना कव्ल—अज—वक्त है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोमवार और शनिवार को ९ घंटे काम लेने से कितना श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सन् १९५४ से आज तक वे काम कर रहे हैं, अब इससे कितना प्रभाव पड़ा उसको माननीय सदस्य खुद ही समझ सकते हैं ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २५ तारीख को जो हड़ताल का नोटिस दिया गया है, या धमकी दी गई है, उसका कारण केवल ९ घंटे काम करना ही है या और कोई कारण भी बताया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हमारे पास तो टाइमिंग की चेन्जेज ही उसका कारण है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हड़ताल की नोटिस में २५ तारीख से हड़ताल करने का जो फैसला किया गया है उस में यह भी कारण शामिल है कि कानपुर में एलगिन मिल वगैरह में इतवार को भी मजदूरों से काम लिया जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इतवार को थोड़ा बहुत काम लेते हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २५ तारीख की हड़ताल की जो नोटिस या धमकी है इसके लिये सरकार ने कोई आश्वासन श्रमिक नेताओं को दिया है या देने का विचार कर रही है जिससे कि यह २५ तारीख की हड़ताल टल जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि ट्रिपार्टाइट कमेटी चालू है, इस समय भी उसकी मीटिंग चल रही है और आशा की जाती है कि जल्द कोई समझौता हो जायगा ।

आजमगढ़ जिले के गन्ने की खपत

****१५—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग उपमंत्री के पास प्रश्नकर्ता द्वारा १० फरवरी, १९६१ का लिखा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आजमगढ़ जिले का गन्ना न लेने की शिकायत करते हुये शंका व्यक्त की गई है कि एक लाख मन गन्ना खेतों में पड़ा रह जायेगा ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां । इस पर गन्ना आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट से विदित होता है कि विल्थरा रोड कन यूनियन तथा ग्रामोन्नति सहकारी भंडार कमलसागर से लगभग उनके गन्ने के रकबे के अनुपात से गन्ना खरीदा जा रहा है और गन्ना के खेतों में खड़े रह जाने की संभावना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि वर्तमान सीजन में आजमगढ़ जिले के दोनों स्टेशन, बिल्थरा रोड और गिरडहापुर में कितने मन गन्ना देने के लिये मिल को आफर दिया गया था और कितने मन गन्ना अब तक भेजा गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—तीन लाख मन आफर था, बिल्थरा रोड से दो लाख २५ हजार मन और गिरडहापुर से डेढ़ लाख मन । दोनों यनियन्स का अलग-अलग तीन-तीन लाख मन था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं जानना चाहता हूं कि कितना-कितना मन अब तक भेजा जा चुका है ?

श्री रऊफ जाफरी—इस वक्त जो वहां से पेरा जा चुका है, वह एक लाख ६७ हजार मन बिल्थरा रोड से हुआ है और गिरडहापुर से एक लाख ४९ हजार मन । लेकिन एक बात मैं बतला देना चाहता हूं कि यह गुड़ का रकबा है ज्यादातर, गुड़ ज्यादा बनता है । ३६ मन फी एकड़ के हिसाब से बिल्थरा रोड से और कमलसागर से ५० मन के करीब फी एकड़ गन्ना दिया जाता है । इस हिसाब से जो आफर है वह बहुत ज्यादा है, वहां पहुंचेगा नहीं ।

मऊ स्टेशन पर गन्ना तौल में धांधली

****१६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ९ मार्च सन् १९६१ को परगनाधीश ने किसानों की शिकायत पर आजमगढ़ जिले के मऊ, स्टेशन पर गन्ना तौलने के कांटे की जांच उसे खोदवाकर कर किया और उसमें एक ऐसा यंत्र मिला जिसकी वजह से १० मन फी बैलगाड़ी कम तौला जाता था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां । इस यंत्र की वजह से प्रति गाड़ी ८.९ मन कम तौला जाता था । यह मामला पुलिस को जांच तथा उचित कार्यवाही के लिये सौंप दिया गया है ।

****१७—श्री उदल**—क्या वहां पर केन विभाग का सुपरवाइजर भी था ? यदि हां, तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश ने जो जांच की, कांटे को उखड़वाकर भी देखा तो क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया ? यदि हां, तो किन-किन दफाओं में मुकदमा दायर किया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—जब जांच हुई उस वक्त जो काम करने वाले थे वह भाग गये ।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुये कि ऐसी बातें और जगह भी हो सकती हैं क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि सरप्राइज तौर पर ऐसी जगहों की जांच की जाय और ऐसे मामले जो पकड़े जायं उनमें लोगों को पकड़ा जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, ऐसी व्यवस्था की जायगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह कांटा कब लगा था और क्या जांच से यह मालूम हुआ कि जबसे कांटा लगा था तभी से ८-९ मन कम तौला जा रहा था ?

श्री रऊफ जाफरी—प्रश्न के जवाब में मैं अर्ज कर चुका हूं कि इन सब बातों की जांच की जा रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष मऊ स्टेशन पर ऐसी धांधली से इसी प्रकार का यंत्र लगाकर किसानों का गन्ना कम तोलने की शिकायत इस सदन में की गई थी ?

श्री रऊफ जाफरी--गत वर्ष की शिकायत के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव--जिस ठेकेदार ने इस वर्ष कांटा लगाया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रऊफ जाफरी--जांच के बाद उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री मदन पांडेय--मऊ और प्रदेश के अन्य स्थानों में भी ऐसी शिकायत होते हुये ताकि प्रदेशीय पैमाने पर कांटा की जांच के लिये काफी इंसपेक्टर हो जावें, सरकार विधायकों को भी यह अधिकार देने पर विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--सरप्राइज चेकिंग का इन्तजाम किया जायगा और आनरेरी इंस्पेक्टरों के रखने की बात भी सोची जायगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--फरारशुदा लोगों के विरुद्ध सरकार ने कोई वारन्ट निकाला है ? यदि हां, तो किन दफाओं में ?

श्री रऊफ जाफरी--वहां कोआपरेटिव सोसाइटी में सीजनल तरीके पर सुपरवाइजर रख लिये जाते थे । उन्हें गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ा है ।

यूनानी एवं आयुर्वेदिक छात्रों की मांगें

**१८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के यूनानी एवं आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने १४ मार्च, १९६१ को उनसे मिल कर अपनी मांगों के सम्बन्ध में कोई स्मृति-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस स्मृति-पत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह--कुछ विद्यार्थी मुझसे मिले थे मगर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह किस तारीख को मिले थे क्योंकि उन्होंने पहले से कोई समय निर्धारित नहीं किया था । एक स्मृति-पत्र अवश्य मिला है जिसको श्री सुखदेव त्यागी, प्रेसीडेन्ट आल इंडिया नेशनल मेडिकल स्टूडेन्ट्स यूनियन ने भेजा है । इसकी मुख्य बात यह है कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के जितने आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज हैं वह सब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिये जायं और उनमें लखनऊ के आयुर्वेदिक कालेज के अनुसार पढ़ाई हो ।

श्री अध्यक्ष--आपसे मिले थे वे ?

श्री धर्मसिंह--मुख्य मंत्री जी से मिले थे ।

श्री अध्यक्ष--तो आपको मुख्य मंत्री शब्द कहना चाहिये, जिससे गलत बात न समझी जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--उन मांगों पर सरकार ने क्या विचार किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ये मांगें विभाग को भेज दी गई हैं । मैंने डेपुटेशन को दिक्कतें बताईं कि विश्वविद्यालय आटोनामस बाडी होते हुये स्वतः अपनी एकेडेमिक काउन्सिल इत्यादि की सिफारिश पर फैकल्टी इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं । मौजूदा अधिनियम के तहत में सरकार बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से संबंधित कालेजों को विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित नहीं कर सकती ।

श्री प्रतापसिंह—क्या उन्होंने यह भी निवेदन किया था कि कुछ कालेजों का प्रबन्ध एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा न कराके किसी समिति द्वारा कराया जाय ताकि वहां का संचालन ठीक तरह से हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक मुझे याद है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा ।

लखनऊ जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

**१९—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ में गत बाढ़ से ग्रस्त इलाकों में किसानों को अभी तक मालगुजारी में छूट नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। प्रशासकीय कारणों की वजह से अभी तक मालगुजारी में छूट (remission) मंजूर न किया जा सका । लेकिन अनुमानित छूट की धनराशि की वसूली स्थगित है ।

**२०—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ में इटौंजा के करीब के बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में मकान की मरम्मत के लिये तकावी इस समय तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस इलाके में तकावी बांटी जा चुकी है व बंट रही है । प्रश्न का दूसरा भाग पैदा ही नहीं होता ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी तक इस निर्णय में क्यों देर हुई और मुल्तवी को उन पर्चों में नहीं दिखाया है जो अमीनों को वसूली के लिये जमाबन्दी के मिले हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—दिक्कत यह हुई कि पंचायत एलेक्शन, सेंसस और रिलीफ का काम था, इस से फाइनल स्टेटमेंट तैयार नहीं हो सका । लेकिन प्रावीजनल प्रोपोजल्स के मातहत वसूली स्थगित कर दी गई है और स्थगित किया हुआ हिस्सा वसूल नहीं किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री सरकार की नीति स्पष्ट करेंगे कि सस्पेंडेड धनराशि जो वसूल हो चुकी है वापिस की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर कहीं वसूल हो गई है तो जरूर वापिस की जायगी, यह फेयरनेस डिमान्ड करती है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—अमीनों को जो जमाबन्दी दी गई है वसूली के लिये, उसमें छूट का सस्पेन्डेड रुपया कम किया गया है या पूरी जमाबन्दी वसूल करने के लिये दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है ।

सकरिया गांव का गोली कांड

**२१—श्री ऊदल तथा श्री लखमीसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगढ़ जिला, थाना मुसान के गांव सकरिया में निर्वाचित प्रधान तथा उसके तीन भाइयों तथा दो पुत्रों को ६ मार्च को कुछ लोगों ने गोली मार कर मार डाला ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—दिनांक ४–३–६१ को इस प्रकार की घटना हुई जिसमें ग्राम सकरिया के प्रधान, उसके तीन भाई तथा दो भतीजों की हत्या की गई। इस संबंध में एक मुकदमा धारा १४८ ३०२/२०१ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया और इसकी जांच की जा रही है। अब तक १३ अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं और ४१ ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। जो अभियुक्त फरार हैं उनके विरुद्ध धारा ८७/८८ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा रही है।

श्री ऊदल—क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस इतनी बड़ी घटना का, जिसमें ६ व्यक्ति मारे गये, कारण क्या था ?

श्री चरणसिंह—एक स्त्री और एक पुरुष में झगड़ा हो गया। खबर यह फैल गई कि उस पुरुष ने स्त्री के कपड़े उतार कर उसकी बेइज्जती की। लिहाजा जिस बिरादरी या वर्ग से वह स्त्री ताल्लुक रखती थी उसके लोग एक्साइटेड हो गये और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने उस पुरुष और उसके खान्दानवालों पर हमला कर दिया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस बन्दूक से लोग मारे गये वह किसी लाइसेंसी की थी या प्राइवेट ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ऊदल—क्या इस झगड़े का कारण पंचायत के चुनाव की कशमकश थी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

खीरी जिले में तिब्बती शरणार्थियों का प्रवेश

****२२—श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल** (जिला रायबरेली), **श्री मन्नालाल** (जिला खीरी) तथा **श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर-खीरी जिले की तहसील निघासन के पलिया क्षेत्र में अथवा खीरी जिले के नैपाल बार्डर में भाग-भाग कर तिब्बती व भूटानी शरणार्थी आ रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—तिब्बती शरणार्थियों के तीन जत्थे, जिनमें कुल २२७ व्यक्ति थे, पिछले दिसम्बर तथा जनवरी माह में नैपाल होते हुये खीरी जिले के कोयराला घाट नामक स्थान पर पहुंचे, परन्तु उन शरणार्थियों में कोई भूटानी नहीं है।

****२३—श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री मन्नालाल** तथा **श्री शिवप्रसाद नागर**—यदि हां, तो क्या इन भागकर आये हुये शरणार्थियों की सुव्यवस्था के विषय में सरकार ने प्रबन्ध कर लिया है? और क्या इस सम्बन्ध में वह सतर्क है ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार ने उन शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था के साथ उनकी गतिविधि को भी देखने की व्यवस्था की है ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

श्री शिवप्रसाद नागर—यह शरणार्थी जब हिन्दुस्तान में कोयरालाघाट में आये थे तो कितने दिन बाद सरकार को सूचना मिली थी ?

श्री चरणसिंह—फौरन।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये शरणार्थी जो आये थे, उनके पास हथियार थे या नहीं थे ? यदि थे तो किस प्रकार के ?

श्री चरणसिंह---मैं ठीक नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा खयाल है कि हथियार नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

तहसीलदार मिश्रिख के विरुद्ध शिकायत की जांच

*१---**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३० नवम्बर, १९६० को लैंड रिफार्म्स कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन ने जिला सोशलिस्ट पार्टी, सीतापुर के मंत्री की सूचना के आधार पर तहसीलदार मिश्रिख द्वारा बाढ़-पीड़ित सहायता में की गई गड़बड़ी से सम्बन्धित कागजात को पकड़ा है ? यदि हां, तो उसमें कितने धन का गोलमाल पाया गया और सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक शिकायत जिला सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री से राजस्व परिषद् को प्राप्त हुई थी जिसमें तहसीलदार मिश्रिख के विरुद्ध इस प्रकार के गोलमाल के आरोप लगाये गये थे । परिषद् ने सहायक लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर को इस सम्बन्ध में तहसील मिश्रिख भेजा । वहां उन्होंने सम्बन्धित कागजात अधिकार में लिये । जांच अभी जारी है ।

श्री मूलचन्द---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि परिषद् में जिला सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उस की नकल सरकार के पास नहीं आयी है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---उसमें कितने रुपये का गोलमाल है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तहकीकात के बाद अन्दाजा लगाया जा सकता है ।

श्री मूलचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब उन्होंने अपने उत्तर में यह लिखा है कि असिस्टेंट लैंड रिफार्म्स कमिश्नर को जांच करने को दी गयी है तो फिर अब यह जिलाधीश को तहकीकात क्यों दे दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्योंकि तहसीलदार जिलाधीश के मातहत होता है ।

कानपुर मेडिकल कालेज को अनुदान

*२---**श्री गौरीशंकर राय**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज को वित्तीय वर्ष १९५७-५८, १९५८-५९ व १९५९-६० में कितनी-कितनी Equipment Grant दी गई ?

श्री धर्मसिंह---१९५७-५८ में ४,००,००० रुपये, १९५८-५९ में ५,७९,००० रुपये, १९५९-६० में ९,०४,४०१.६१ रुपय ।

*३—श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त अनुदान का कितना-कितना रुपया प्रति वर्ष १५ मार्च से ३१ मार्च तक निकाला गया ?

श्री धर्मसिंह—१९५७–५८ में १,२२,५०२.७५ रुपये, १९५८–५९ में ४,१८,३७०.९६ रुपये, १९५९–६० में ७,८६,३५१.२३ रुपये ।

*४—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में कितना धन नकद और कितना प्रोफार्मा ड्राफ्ट के रूप में निकाला गया ?

श्री धर्मसिंह—१९५७–५८ में १,२०,१३९ रुपये ३१ नये पैसे ड्राफ्ट्स द्वारा और २,३६३ रुपये ४४ नये पैसे नकद।

१९५८–५९ में ३,४२,२०६ रुपये २७ नये पैसे ड्राफ्ट्स द्वारा और ३३,००० रुपये खाता समायोजन द्वारा तथा ७६,१६४ रुपये ६९ नये पैसे नकद।

१९५९–६० में ६,२८,३९६.रुपये ८३ नये पैसे ड्राफ्ट्स द्वारा तथा १,५७,९५४.रुपये ४० नये पैसे नकद।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५८–५९ में मेडिकल कालेज, कानपुर को ९,०४,४४१ रुपये की ग्रान्ट दी गयी थी और सिर्फ १५ दिन के अन्दर ही ८ लाख रुपया खर्च हो गया और १,५८ हजार रुपया नकद लिख लिया गया ?

श्री धर्मसिंह—उन्होंने देरी से ग्रान्ट मांगी थी और उनको यह ग्रान्ट २५–२–५९ को इश्यू हुई। क्योंकि समय नहीं था इसलिये उनको उसी महीने में खर्च करना पड़ा।

श्री गौरीशंकर राय—इस वर्ष तो देरी से उन्होंने ग्रान्ट मांगी थी और देरी से उनको मिली लेकिन प्रत्येक वर्ष आधा रुपया इन्हीं १५ दिनों में खर्च किया गया है और उसमें से एक बड़ी रकम के नकद रखे जाने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—इस बात को हम मानते हैं कि रुपया आखिरी महीनों में ही खर्च हुआ उसका कारण यही है कि आखिरी दिनों में ही इस रुपये को भेजा गया, इसीलिये देरी से खर्च हुआ ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि जो नकद रुपया रखा गया था वह किस कारण से रखा गया था ?

श्री धर्मसिंह—वह तो थोड़ा सा पैसा था, इस आशय से कि चूंकि वह देना है, ३१ तारीख को उन्होंने दिया, जो उसमें से नकद रखा था उसका दूसरे दिन पेमेंट वगैरह कर दिया गया और ड्राफ्ट वगैरह ३१ तारीख को भेज दिया गया।

[२३ मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[३१ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न ९–१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में आदेश

*३—श्री मदन पांडेय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कितने तथा कौन-कौन शासकीय अथवा अर्द्ध-शासकीय आदेश जिलों में स्थानीय अधिकारियों को भेजे गये ?

*४—क्या मुख्य मंत्री कृपया उन आदेशों की एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

संसदीय विषयक उप मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश गोपनीय हैं। अतः इनको सदन की मेज पर रखना जनहित में उचित न होगा।

श्री मदन पांडेय—यदि कुल आदेश-पत्र गोपनीय होने के कारण नहीं बतलाया जा सकता तो क्या इतना बतला सकते हैं कि पुलिस के द्वारा काम करने का जो साधारण तरीका अख्तियार किया जाता है, उसमें क्या विशेषता लाने के लिये यह आदेश दिया गया था ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—जैसा कि मैंने कहा, एक परिस्थिति पैदा हो गयी थी, उसमें कुछ आदेश दिये गये थे। अब क्या-क्या आदेश थे, यह यहां बतलाना उचित नहीं होगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के समय जितने कर्मचारी हटाये गये थे और जितने पर मुकदमे चले थे, क्या सब मुकदमें वापस हो गये और जो कर्मचारी हटाये गये थे वे रख लिये गये ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत है।

श्री प्रतापसिंह—माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से था और हड़ताल के बाद ही केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश जारी कर दिये जिनके अनुसार कार्यवाही की गयी, तो फिर प्रादेशिक सरकार को नये आदेश जारी करने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—नयी बात तो मैंने कभी कही भी नहीं थी। जो आदेश दिया गया था उसमें यह था कि किस तरह से हड़ताल को रोका जाय, उस सम्बन्ध में क्या इन्तजाम किया जाय। उसी सम्बन्ध में आपका प्रश्न था जिसका मैंने जवाब दिया।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में जो गैर मजदूर लोग गिरफ्तार हुए थे, उन सब पर से केस वापस हो गये या किन्हीं पर अभी केस चल भी रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इस वक्त तो मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं मंगा दूंगा लेकिन जहां तक मुझे याद है एक और प्रश्न आया था जिसके जवाब में कहा गया था कि इस वक्त कोई केस नहीं है, वापस ले लिये गये और इस वक्त करीब-करीब खत्म हैं।

कानपुर में अहाता भार्गव एस्टेट के कुयें में तेल डालना

*५.—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर तथा जिला अधिकारियों को यह सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है कि नगर के सिविल लाइन स्थित भार्गव एस्टेट्स के अहाते के एक कुयें में तेल का स्रोत फूट पड़ा है तथा अहाते में पानी का संकट पैदा हो गया।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं।

श्री मदन पांडेय—यदि यह सूचना नहीं मिली है कि कोई तेल का स्रोत फूट पड़ा है तो क्या यह सूचना प्राप्त हुई है कि भार्गव एस्टेट के अहाते में जो किरायेदार लोग रहते हैं, उनको बाहर निकालने के लिये कुएं में तेल छोड़ दिया गया था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—ऐसी सूचना थी कि किसी साहब ने उस कुयें में तेल डाल दिया था ताकि जो लोग उससे पानी पीते हैं वे उससे पानी न पी सकें। अब किसने डाला,

इसकी जांच करने पर उसका दायित्व किसी के ऊपर निश्चित नहीं हो सका। इसलिये किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री मदन पांडेय—क्या सूचना देने वाले ने यह सूचना दी है कि कार्यवाही उसी एस्टेट के मालिक की थी जो किरायेदारों को निकालना चाहते थे क्योंकि वे किरायेदार न तो निकलना चाहते थे और न उसका किराया ही बढ़ाना चाहते थे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—ऐसी शिकायत थी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, इस आइटम के सामने लिखा है सांस्कृतिक कार्य—तो क्या तेल डाले जाने का कार्य करना सांस्कृतिक कार्य है या तेल का स्रोत का फूट पड़ना?

श्री अध्यक्ष—यह मंत्री जी की तरफ संकेत है कि वे 'सांस्कृतिक' हैं।

कोटे के अतिरिक्त गन्ने की पेराई

*६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, और १९५९–६० के वर्षों में प्रदेश की किन-किन गन्ना मिलों ने सरकार द्वारा निश्चित कोटे से अधिक गन्ने की पेराई की है और कितने-कितने मन अधिक गन्ने की?

*७—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिन मिलों ने अधिक गन्ने की पिराई की है, सरकार ने ऐसी मिलों को सेस और ड्यूटी में रियायत दी है? यदि हां, तो यह धनराशि उपर्युक्त अवधि में प्रति वर्ष प्रत्येक मिलवार कितनी है?

*८—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिन मिलों को सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि में 'सेस और ड्यूटी' में रियायत दी गई है, इस धनराशि में से क्या कुछ अंश मिल वालों ने गन्ना उत्पादकों (काश्तकारों) को भी दिया है? यदि हां, तो यह धनराशि उपर्युक्त वर्षों में प्रति वर्ष मिलवार कितनी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कानपुर को पर्याप्त पोलिस्ट्रीन पाउडर न मिलना

*९—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कानपुर ने कच्चे माल के अभाव में १ दिसम्बर, १९६० से अपने प्रतिष्ठान का काम बन्द कर देने का नोटिस लगा दिया है? यदि हां, तो इसका असर कितने मजदूरों पर पड़ेगा और सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

*१०—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कारखाने की क्षमता प्रतिमाह ११,००० पौंड पोलिस्ट्रीन पाउडर खपाने की है और उसे सिर्फ ३,००० पौंड दिया जाता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नहीं, इस कारखाने की क्षमता ७,५०० पौंड पोलिस्ट्रीन पाउडर खपाने की है किन्तु अब पोलिस्ट्रीन के आयात पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लग जाने के कारण इस कारखाने को अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा माल नहीं मिल पा रहा है। बम्बई की एक फर्म मेसर्स प्लाइचैन लि० से उनको कवल ३,००० पौंड कच्चा माल इस समय मिलता है।

नोट—तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*११—श्री उदल—क्या इसके सम्बन्ध में कानपुर मर्चेन्ट चेम्बर आफ यू० पी० ने एक स्मृति-पत्र लेबर विभाग के पास भेजा है कि पोलिस्ट्रीन पाउडर की जितनी खपत है उतना पोलिस्ट्रीन पाउडर इस कारखाने को दिया जावे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

महारानी झांसी का महल

*१२—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या २५, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५८ से सम्बन्धित श्री चन्द्रजीत यादव के पूरक प्रश्न के सम्बन्ध में अपने उस पत्र की प्रतिलिपि को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जो कि उसने केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी के महल को ले लेने के लिये लिखा था?

श्री चन्द्र भानु गप्त—पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना उचित न होगा। सदस्य महोदय चाहें तो मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में पत्र-व्यवहार देख सकते हैं।

*१३—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसे उस विषय में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब और क्या?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार ने यह उत्तर दिया कि महल खाली हो जाने पर उसको केन्द्रीय संरक्षता में लिया जायेगा।

झांसी में उद्योगों के लिये सहायता

*१४—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इंडस्ट्री विभाग द्वारा झांसी में १९५८–५९, १९५९–६० व १९६०–६१ में प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने-कितने व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया किस-किस काम के लिये कहां-कहां और कब-कब दिया गया था और उसमें से नियमानुसार कितने काम कर रहे हैं व कितनों ने काम शुरू नहीं किया या बन्द कर दिया तथा कितने रुपया व ब्याज अदा कर रहे हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सम्बन्धित सूचना को इकट्ठा करने में जो धन समय तथा परिश्रम लगेगा, वह इस सूचना से प्राप्त हो सकने, वाले लाभ से कहीं अधिक होगा, अतः सरकार इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझती।

औद्योगिक प्रशिक्षणालयों पर व्यय

*१५—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में खुले हुये विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षणालयों पर वित्तीय वर्ष १९५९–६० में कितना खर्चा हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—४९,४२,८८४ रु०।

*१६—श्री गोविन्द सिंह विष्टः—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षणालयों की विभिन्न परीक्षाओं को राजकीय विभागों में नौकरी दिये जाने के लिये कब तक मान्यता दी जायेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश बहुत जल्द जारी हो जाने की आशा है।

*१७—श्री रामस्वरूप वर्मा—[हटा दिया गया।]

उर्सला अस्पताल, कानपुर में चक्षु चिकित्सा संबंधी यंत्रों की कथित कमी

*१८—श्री राम स्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि उर्सला अस्पताल परेड, कानपुर में चक्षु विभागों में आंखों को देखने व आपरेशन करने आदि के औजारों की कमी है ? यदि हां, तो उक्त औजारों के अभाव में सम्बन्धित डाक्टर किस प्रकार अपना कार्य करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*१८—श्री शिवप्रसाद नागर—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

सिनेमा के कथित लाइसेंस

*२०—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरों में सिनेमा के लाइसेंस देने के विषय में मार्च, १९५६ में कोई आदेश सरकार की ओर से जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेंज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

खाद्यान्न, गन्ना तथा तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर अनुमानित व्यय

*२१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जिलेवार खाद्यान्न, गन्ना व तिलहन के उत्पादन बढ़ाने के क्या लक्ष्य हैं व उन पर अनुमानित कितना खर्च आयेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खाद्यान्न, गन्ना और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के जिलेवार लक्ष्य तथा गन्ना व तिलहन उत्पादन पर अनुमानित खर्च के आंकड़े संलग्न सूची में दिये गए हैं । खाद्यान्नों पर होने वाले अनुमानित खर्च का जिलेवार ब्योरा देना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९६–५९७ पर ।)

*२२—श्री शिव प्रसाद नागर—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३—श्री राम स्वरूप वर्मा—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

सासनी-विजयगढ़ मार्ग का श्रमदान द्वारा निर्मित अंश पक्का न हो सकना

*२४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जिस सासनी-विजयगढ़ रोड (अलीगढ़) का ४ मील लम्बा भाग श्रमदान द्वारा बनाया गया था और जिसको पक्की करने के लिये ४० हजार रुपया नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत हुआ था क्या उसको अभी तक पक्का नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो इतना विलम्ब किन कारणों से हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां। वर्ष १९५८-५९ में उक्त सड़क को, ३ मील २ फर्लांग की लम्बाई तक, पक्की करन के लिये, सम्बन्धित जिला नियोजन समिति ने ४०,००० रुपया स्वीकृत किया था। अब ऐसा समझा जाता है कि इसी धनराशि में, ३ मील २ फर्लांग के स्थान पर ३मील ७ फर्लांग ३४० फीट की लम्बाई पक्की करा दी जायगी। कार्य का दो तिहाई भाग पूर्ण हो चुका है। शेष एक तिहाई का अधिकांश भी मार्च, १९६१ के अन्त तक पूरा हो जायगा। कुटाई कंकड़ आदि का जो कार्य फिर भी बाकी रह जायगा, उसके आगामी वर्षा ऋतु में पूरे हो जाने की आशा है।

इस वर्ष, वर्षा अधिक होने के कारण, १५ दिसम्बर, १९६० तक कंकड़ की खानों में पानी भरा रहा, जिससे कार्य की प्रगति धीमी रही। अब कार्य तेजी से हो रहा है।

*२५---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या यह सच है कि उक्त मार्ग के २ मील लम्बे भाग को पक्का कराने का काम गत वर्ष से पूर्व ही समाप्त हो चुका था और उसका कंकड़ भी वहीं से मिल गया था फिर भी उसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों और यह १० मील लम्बी सड़क कब तक पूर्ण हो सकेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---सड़कों की कुल लम्बाई ९ मील ३ फर्लांग ३४० फीट है। यह सच है कि २ मील ४ फर्लांग तक इसे पक्का कराने का काम पूरा हो चुका था। शेष लम्बाई में से ३ मील सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये थे। बाकी ३ मील ७ फर्लांग ३४० फीट का विवरण गत प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में दिया जा चुका है।

मैनपुरी जिले में गृह निर्माणार्थ सहायता

*२६---**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में १ जून, १९६० से ७ फरवरी, १९६१ तक अत्यन्त वर्षा से जो मकान गिरे उनकी कुल संख्या क्या है और उनमें से कितने मकान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुल ४३,५९९ मकान गिरे तथा क्षतिग्रस्त हुए जिन में से ९,५६४ मकान अनुसूचित जातियों के थे।

*२७---**श्री रामदीन**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त मकान बनवाने हेतु अब तक सरकार ने जनता की क्या सहायता की है अथवा क्या करने जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब तक ३,७२,१५० रु० मकान बनाने के लिये तकावी व ऋण के रूप में तथा १,०१,७३० रु० मकान बनाने के लिये अनुदान व अहैतुक सहायता के रूप में वितरित किये जा चुके हैं। २३,२५० रु० तकावी के रूप में ३१ मार्च, १९६१ तक और बांटने का विचार है।

*२८-२९---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

गुड़ विकास योजना

*३०---**श्री गेंदासिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह राज्य के खंडसारी अफसरों तथा इन्स्पेक्टरों को कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी नहीं।

*३१---**श्री गेंदासिंह**---सरकार कृपया बतायेगी कि वह गुड़ विकास के कार्य को बढ़ाने के लिये क्या करने जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९८ पर।)

नैनीताल तथा पीलीभीत जिलों में बंगाली परिवारों के पुनर्वासन पर व्यय

*३२—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत व नैनीताल में कितने बंगाली परिवार अब तक बसाये गये हैं और उन पर सरकार कितना खर्च कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला पीलीभीत तथा नैनीताल में ३,७८७ बंगाली परिवारों को भूमि पर बसाने के लिये योजनायें हैं जिनमें से ३,००६ परिवार अब तक बसाये जा चुके हैं। इन बसाये गये परिवारों पर होने वाले व्यय के विषय में पृथक सूचना देना सम्भव नहीं है। परन्तु उपर्युक्त सब ही ३,७८७ परिवारों के पुनर्वासन पर वर्तमान प्रस्तावों के अनुसार १,८०,१०,००० रु० व्यय होने का अनुमान है।

*३३—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री को यह भी ज्ञात है कि जिला पीलीभीत में बहुत से बंगाली काश्तकार हैं जिनके पास अब तक जमीन नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां, १३४ परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन अब दी जा रही है।

राज्य में खुलने वाली सहकारी चीनी मिलें

*३४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश के किन-किन स्थानों पर सहकारिता के आधार पर चीनी मिल खुलने वाली हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी स्थान निश्चित नहीं है।

बिजनौर तहसील में चकबन्दी व्यय के संबंध में शिकायत

*३५—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर की बिजनौर तहसील में कितने ऐसे कृषि फार्म हैं जो कि पहले से ही एक सुदृढ़ चक के रूप में थे और उन पर अब चकबन्दी का खर्चा लागू किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—छोटे बड़े मिलाकर १,५४७ ऐसे कृषि फार्म हैं जो पहले से ही एक चक के रूप में थे। उन पर चकबन्दी का खर्चा अब तक कोई लागू नहीं किया गया है।

केन डेवलपमेंट यूनियन, फरेंदा द्वारा स्कूल को दिया गया धन

*३६—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—विधान सभा के १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६१ को गोरखपुर जिले की फरेंदा केन सोसाइटी पर बकाया किसानों का गन्ने का दाम क्यों नहीं दिया गया है ? क्या उन किसानों को तत्काल रुपया दिलवाने का सरकार प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—किसानों को उनके बकाया गन्ने के मूल्य का दाम निरन्तर भुगतान किया जा रहा है।

*३७—श्री गौरीराम गुप्त—विधान सभा के १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा केन डेवलपमेंट यूनियन द्वारा स्कूलों के लिये दिया गया रुपया जिन लोगों को दिया गया है, क्या वे उसी केन सोसाइटी के डाइरेक्टर हैं ? क्या यह भी सही है कि वह रुपया अब तक स्कूलों के कार्य में नहीं खर्च हुआ ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--जी नहीं। फरेंदा, जिला गोरखपुर की केन डेवलपमेंट यूनियन ने स्कूलों के लिये जिन लोगों को रुपया दिया था, उनमें से केवल एक व्यक्ति डाक्टर महादेव प्रसाद डायरेक्टर हैं। उनको दी गई धनराशि को छोड़कर बाकी सब रुपया स्कूलों के कार्य में खर्च किया गया है। चूंकि डा० महादेव प्रसाद ने प्राप्त धनराशि का कोई वाउचर स्कूल कार्य में खर्च करने का नहीं दिया है, इस लिये यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने रुपया स्कूल के कार्य में खर्च किया है या नहीं।

देवरिया जिले में टेस्ट वर्क पर व्यय

*३८--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में १९६०-६१ में कितना धन टेस्ट वर्क में स्वीकृत किया गया है और कितना धन व्यय किया जा चुका है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चालू वित्तीय वर्ष में देवरिया जिले में टेस्ट वर्क के लिये अब तक ४,४०,००० रु० स्वीकृत किया गया है। उक्त धनराशि में से १५ मार्च, १९६१ तक ३,५९,११७ रु० व्यय हो चुका था।

*३९--**श्री उग्रसेन**--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय कितनी सड़कों पर देवरिया जिले में टेस्ट वर्क चल रहे हैं और प्रत्येक पर कितना धन व्यय किया जा चुका है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१५ मार्च, १९६१ तक रुद्रपुर-नगवा नरायन और रुद्रपुर-राजपुर सड़कों पर टेस्ट वर्क चल रहा था और उक्त तिथि तक इन पर क्रमशः १,१०,२७८ रु० तथा ७९,२५४ रु० व्यय हो चुका था।

*४०--**श्री उग्रसेन**--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त सड़कों पर टेस्ट वर्क में कितने मजदूर काम कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१५ मार्च, १९६१ को टेस्ट वर्क पर कुल उपस्थिति २,४७२ थी।

*४१-४२--**श्री गरीब दास** (जिला जालौन)--[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४४--**श्री नागेश्वर प्रसाद** (जिला जौनपुर)--[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५-४६--**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण तथा निलम्बन

*४७--**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ दिसम्बर, १९६० से लेकर २० फरवरी, १९६१ तक प्रदेश में कितने एस० पी०, डी० वाई० एस० पी० तथा सर्किल इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण हुआ और कितनों को निलम्बित किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१ दिसम्बर, १९६० ई० से लेकर २० फरवरी, १९६१ ई० तक १७ सुपरिंटेंडेंट पुलिस, ७ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस तथा १६ सर्किल इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण किया गया। केवल एक सुपरिंटेंडेंट पुलिस को निलम्बित किया गया।

सचिवालय के मेहतर तथा फर्राश

*४८—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सेक्रेटरियट में कितने मेहतर व कितने फर्राश कर्मचारी हैं तथा उनके काम करने का समय क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राजकीय सचिवालय में कुल ३४ मेहतर तथा ५० फर्राश कर्मचारी हैं और प्रत्येक से आवश्यकतानुसार औसतन लगभग ८ घंटे रोज कार्य लिया जाता है।

लेबर कालोनी आगरा के किरायेदारों से जल कर की वसूली

*४९—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लेबर कालोनी, आगरा के किरायेदारों व सरकार के बीच जो ऐग्रीमेंट हुआ था उसमें जल-कर लेने की बात नहीं थी? यदि हां, तो अब जल-कर क्यों लिया जा रहा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*५०-५२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

मथुरा जिले के लिये उद्योग विकास योजना

*५३—श्री राम हेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहां पर उद्योग नगरी बनाने की स्कीम है तथा उस पर कितना रुपया खर्च किया जायगा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उद्योग नगरी बनाने की तो कोई स्कीम नहीं है। हां, मथुरा खास में २० एकड़ भूमि पर (Developed Site) ४ लाख रुपये की लागत से तथा मथुरा जिले में गोवर्धन स्थान पर एक ग्रामीण औद्योगिक आस्थान (Rural Industrial Estate) २ लाख रुपये की लागत पर बनाने का विचार है।

महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की जब्त शुदा जायदाद वापस करने का प्रार्थना-पत्र

*५४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी), श्री ऊदल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की जब्त की गई सम्पत्ति को उनके पौत्र को लौटा देने के लिये भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को कोई पत्र लिखा है? यदि हां, तो उक्त पत्र सरकार को कब प्राप्त हुआ था और उसपर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में रानी लक्ष्मी बाई के पौत्र, श्री लक्ष्मण राव झांसी-वाला (जिनका स्वर्गवास मई, १९५९ में हो गया), का एक प्रार्थना-पत्र भारत सरकार ने इस शासन को मई, १९४७ में भेजा था। उस पर भारत सरकार के परामर्श से यह निश्चय हुआ कि जब्त की गई सम्पत्ति को लौटाए जाने की प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

*५५—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री ऊदल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार महारानी लक्ष्मी बाई की जब्त की गई सम्पत्ति की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना एक तालिका के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५९९ पर)

*५६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५७-५८—राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

आगरे में लिमिटेड कम्पनियों को कोयला व लोहा का परमिट

*५९—श्री आदिराम सिंघल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर में किस-किस लिमिटेड कम्पनी (Limited Company) को कितना-कितना कोयला, स्टील व पिग आइरन गत पांच वर्षों में परमिट से दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिविल अस्पताल, प्रतापगढ़ के लिये योजनायें

*६०—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिविल अस्पताल, प्रतापगढ़ में बिजली लगाने और भवन का निर्माण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । सिविल अस्पताल प्रतापगढ़ में निम्नलिखित योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है :—

१—बिजली लगाने के लिये ।

२—भिषक तथा शल्य चिकित्सा की सुविधाओं में सुधार (improvement of medical and surgical facilities) के लिये भवन निर्माण ।

३—६ शय्याओं युक्त टी० बी० वार्ड का भवन निर्माण ।

इन कार्यों की शीघ्र पूर्ति होने की संभावना है ।

रेलवे मैजिस्ट्रेट

*६१—श्री रामकिंकर—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने रलवे मैजिस्ट्रेट हैं और उन में से कितने हरिजन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चौबीस । इनमें से हरिजन कोई नहीं है ।

*६२—श्री राम किंकर—क्या यह सही है कि उपर्युक्त पद के लिये विज्ञापन नहीं कराया जाता ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि इन पदों को भरने के लिये अभी विज्ञापन नहीं कराये गये । इन पदों की नियुक्ति एक विभागीय उच्चधिकारियों की समिति द्वारा चुनाव करने के पश्चात् की गई है । इस योजना का भविष्य अनिश्चित था और इस सेवा के कोई नियम अभी तक नहीं बने । अब आगे की रूप रेखा पर विचार हो रहा है और निर्णय हो जाने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही अवश्य होगी ।

*६३–६४–श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—[हटा दिया गया ।]

विकास खंड रामपुरा में इमारतों के लिये भूमि प्राप्त करना

*६६—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या यह सही है कि विकास खंड रामपुरा, जिला जालौन में अभी तक कार्यालय, क्वार्टर वगैरह नहीं बनाये गये हैं जब कि उसके लिये १ लाख १८ हजार की रकम मंजूर हो चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। भवन निर्माण के लिये भूमि हस्तगत करने के लिये कार्यवाही हो रही है । भूमि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

*६७—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार ने इसकी भी जांच कराई है कि क्या विकास खंड रामपुरा के कार्यालय इत्यादि को कोई इमारत रामपुरा में उपलब्ध नहीं हो सकती जो सरकार इतना रुपया खर्च करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—राजा साहब रामपुरा ने अपना गेस्ट हाउस प्रस्तुत किया था। उसको खरीदने के प्रश्न पर विचार भी किया गया था, किन्तु राजा साहब के ज्यादा कीमत मांगने के कारण आवश्यक जांच के उपरान्त, उस गेस्ट हाउस को उपयुक्त नहीं समझा गया। अन्य कोई इमारत रामपुरा में उपलब्ध नहीं है ।

*६८—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यदि विकास केन्द्र रामपुरा के क्षेत्र में इमारत वगैरह कार्यालय को मिल जावें तो इस इमारत बनाने को जो पया मंजूर हुआ है उसको इसी क्षेत्र की सड़कों पर खर्च कर दिया जावेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

*६९—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७०–७१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

राबर्ट्सगंज-चुर्क पर पंचमुखी पहाड़ की खुदाई में प्राप्त वस्तुयें

*७२—श्री झारखंडे राय—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला मिर्जापुर में राबर्टसगंज-चुर्क मार्ग पर पंचमुखी पहाड़ पर हजारों वर्ष पुरातन मन्दिर की खुदाई की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय कोई खुदाई नहीं की जा रही है । कुछ मास पूर्व बिना आज्ञा के एक व्यक्ति ने वहां खुदाई की थी और उस खुदाई मे कुछ मूर्तियां भी मिलीं जो बौद्धकालीन प्रतीत होती हैं । चूंकि खुदाई कानून के विरुद्ध और बिना पूर्व आज्ञा के की जा रही थी, इसलिये रोक दी गई ।

*७३—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस खुदाई में अब तक प्राप्त वस्तुओं से प्राचीन इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ने की सम्भावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुईं उन पर अभी कोई अनुसंधान नहीं किया गया है, परन्तु प्रतीत होता है कि ये लगभग ६ ठी या ७ वीं शताब्दी ईसा बाद की हैं।

*७४--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार इस प्राचीन क्षेत्र में खुदाई के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित संचालन हेतु इस कार्य को पुरातत्व विभाग के सुपुर्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस स्थान पर खुदाई करने का अभी कोई विचार नहीं है क्योंकि बहुत से और इस से भी महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां सुव्यवस्था और सुविधा होने पर खुदाई की प्राथमिकता है।

प्रोफेसर आफ ट्रेनिंग एन्ड प्लेसमेंट के पद तथा अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्

*७५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय (साइंटिफिक ऐन्ड कल्चरल अफेयर्स मिनिस्ट्री) की सलाहकार समिति ने ११ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में किसी ऐसे सुझाव को स्वीकार करके राज्य सरकार से सिफारिश की है कि प्रत्येक इन्जीनियरिंग स्कूल में "प्रोफेसर आफ ट्रेनिंग ऐन्ड प्लेसमेंट" के पद का निर्माण किया जाये ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पद का निर्माण ३० नवम्बर, १९६० तक किन-किन इन्जीनियरिंग स्कूलों में कर दिया है ?

*७६--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्" की कोई उत्तर प्रदेशीय समिति भी है ? यदि हां, तो इस समिति का निर्माण किस प्रकार होता है और वर्तमान समय में उसके सदस्य और प्राधिकारी कौन-कौन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

हल्द्वानी व नैनीताल में अदालतें नियत तिथि में न लगने की शिकायत

*७७--**श्री प्रतापसिंह**--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तराई व भावर जिला नैनीताल की अदालतें हल्द्वानी में कब-कब किन तिथियों को लगती हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां तक तराई व भावर की माल व फौजदारी की अदालतों का सम्बन्ध है वे मंगल और बुधवार को हल्द्वानी में तथा शेष दिनों में नैनीताल में मुकदमे सुनती हैं।

दीवानी की अदालतें आमतौर पर प्राय : दिसम्बर के प्रारम्भ से मार्च के प्रारम्भ तक बीच-बीचमें हल्द्वानी में कार्य करती हैं। कुमाऊं डिवीजन में जनवरी महीने में दीवानी अदालतों में छुट्टी रहती है। उस समय केवल सेसन जज और सहायक सेसन जज फौजदारी के मुकदमे या तो हल्द्वानी में या जजी के अन्य रेवेन्यू जिलों में जहां अदालत बैठती है करते हैं

*७८--**श्री प्रतापसिंह**--क्या यह सही है कि उपर्युक्त अदालतें नियत तिथियों पर हल्द्वानी व नैनीताल में नहीं लगती हैं ? यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री जांच करके उचित आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। केवल उन्हीं दिनों में अदालतें नहीं बैठतीं जब कि खन्डमंडलाधीश (S. D. O.) शीत कालीन दौरे अथवा अन्य किसी विशेष महत्वपूर्ण

कार्यों के लिये अन्यत्र जाते हैं। ऐसी समस्त तिथियों में उभय पक्षों को परिवर्तन की सूचना दे दी जाती है तथा अदालतों नोटिस बोर्ड पर भी जन साधारण के सूचनार्थ अंकित की जाती है ।

दीवानी अदालतें निश्चित स्थानों तथा तिथियों पर मुकदमे करती हैं।

कानपुर जिले में रिन्द नदी के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*७९—श्री राम दुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कानपुर जिले के अन्तर्गत अकबरपुर क्षेत्र का असैनी ग्राम गत अक्टूबर मास में हुई रिन्द नदी की भयंकर बाढ़ से समूल नष्ट हो गया ? यदि हां, तो इसके पुनः निर्माण की क्या योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम असेनी के ३३ परिवारों में से ३० परिवारों के घर नष्ट हो गये थे। इन परिवारों ने शासन के कहने के बावजूद भी अन्यत्र बसना नहीं चाहा और सब परिवारों ने पुराने मकानों को पुनः मरम्मत कराके रहना प्रारम्भ कर दिया। गृह निर्माण व मरम्मत के लिये अनुदान व तकावी इन परिवारों को दी गई थी ।

*८०—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के अन्तर्गत रिन्द नदी के तटवर्ती मड़ोली, चहलहा, गुहंसड़, मझकोड़रा (बेवाइन) पचगवां, इटेलिया, धुजुआ, रूरवा, पैरोजोर, बन्नाव, कमसिया, गजान, लाल भगत आदि ग्राम जो अक्टूबर १९६० की रिन्द की बाढ़ से बरबाद हो गये उनके पुनः निर्माण के लिये किस ग्राम को कितनी क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दिखा दी गई है।

(देखिये 'घ' नत्थी आगे पृष्ठ ६०० पर)

*८१—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि उपर्युक्त बाढ़ पीड़ित ग्रामों का लगान न्याय मंत्री के बाढ़ के बाद दिये गये बयान के आश्वासन के बाद भी वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त बाढ़ पीड़ित ग्रामों की वास्तविक स्थिति जानने के लिये पुनः जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता।

वारा परगना में मुल्तवी लगान की वसूली

*८२—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इलाहाबाद की तहसील करछना, परगना वारा ६७ फसली में किसानों के लगान मुल्तवी किये गये थे ? यदि हां, तो कितने गांवों में और कितना-कितना धन ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—खरीफ १३६७ फसली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के ही प्रश्नों के उत्तर में ११ अगस्त, १९६० को इस सदन में मुल्तवी लगान व उनकी वसूली की बाबत सूचना दी जा चुकी है।

रबी १३६७ में लगान मुल्तवी नहीं किया गया। खरीफ १३६७ में लगान की मुल्तवी २८९ ग्रामों में हुई। ग्राम वार ब्योरा जिलाधीश से आ चुका है लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ पूछ: ताछ करनी है। उसके बाद इसकी सूची प्रस्तुत कर दी जायगी ।

*८३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि सरकारी आज्ञा के विरुद्ध तहसील करछना, परगना वारा में लगान मुल्तवी होने के बावजूद किसानों से लगान वसूल किया गया ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

*८४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या यह सही है कि उपर्युक्त बात की जांच सरकार ने कराई थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। सम्बन्धित अमीन की चरित्र पंजी में एडवर्स एन्ट्री (Adverse entry) कर दी गई और उन्हें भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी दे दी गई है।

फरेंदा तहसील में तकावी की वसूली

*८५—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के कितने काश्तकारों से १९५६ से १९६० तक दुबारा तकावी वसूल की गयी है? इनमें से कितने काश्तकारों ने वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तकावी की दुबारा वसूली किसी काश्तकार से नहीं की गई है और न किसी काश्तकार ने वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र ही दिया है।

राबर्ट्सगंज में रेलवे द्वारा जमीन का मुआवजा

*८६—**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)—क्या सरकार का ध्यान ३ अक्टूबर, १९६० के "आज" अखबार में प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि "रेलवे" द्वारा जमीन के मुआवजे के बारे में रेलवे मंत्री ने कहा कि जहां बिहार में जमीन का मुआवजा रेलवे द्वारा २५ सौ रुपया दिया जाता है वहां केवल २५ रुपया राबर्ट्सगंज, उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता। यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार का है। उसने रेलवे से जितना मुआवजा मांगा रेलवे ने उतना दिया। उसने कम मांगा है, इसलिये कम मिल रहा है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है,। यदि यह सही है, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिहार के मुकाबले, उत्तर प्रदेश के किसानों को इतना कम मुआवजा क्यों मिलता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। सरकार का ध्यान ३-१०-६० के "आज" में प्रकाशित समाचार की ओर गया है और इस सम्बन्ध में पूरे विवरण एकत्र किये जा रहे हैं। मुआवजा लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार दिया जाता है। इसके अनुसार प्रचलित भाव से जितनी कीमत आती है उस पर १५ प्रतिशत जोड़ कर केन्द्रीय सरकार के लिये भूमि ली जाती है। प्रचलित भाव किस तरह से मालूम किया जाय इसके बारे में हरएक प्रदेश में अपने-अपने नियम हैं।

आवश्यक विवरण प्राप्त होने पर सरकार निश्चित करेगी कि क्या कार्यवाही की जाय।

*८७—**श्री तेजासिंह**—क्या सरकार मुआवजे की दर निकालने के लिये रेवेन्यू मैनुअल में संशोधन करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो यह संशोधन कब तक हो जायगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राज्य में कृषि भूमि पर दिये जाने वाले मुआवजे का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

ईटों का कंट्रोल

*८८—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में ईटों पर कन्ट्रोल किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ जिलों को छोड़ कर बाकी सब जिलों में।

*८९—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—[१० अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गन्ना सोसाइटी रौजा के कुछ कर्मचारियों द्वारा जाली पर्चियां भुनाना

*९०—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सही है कि १९६० में ५०,००० रु० गन्ना सोसाइटी रौजा, जिला शाहजहांपुर के कर्मचारियों द्वारा १९५१ से १९६० तक की unpaid सूची में से जाली पर्ची बनाकर भुनाया गया ? क्या यह भी सही है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ केस चला और जो दंडित हुये, उनको पुनः काम पर लगा लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६० में गन्ना सोसाइटी रौजा, जिला शाहजहांपुर के कर्मचारियों द्वारा ४४,८१०.८० रुपये जाली पर्ची बना कर भुनाया गया था । परन्तु यह जाली पर्चियां १९५१ से १९६० तक की (unpaid) सूची में से नहीं बनाई गईं बल्कि ज्यादातर १९५९–६० के सीजन की पर्चियों की दोहरी (duplicate) पर्चियां बनाकर ही भुगतान लिया गया था ।

यह सत्य नहीं है कि इस केस से सम्बन्धित कर्मचारियों को दण्डित किया गया, अथवा उन पर केस चलाया गया । केवल कुछ संदिग्ध एवम् सम्बन्धित कर्मचारियों को अनुलम्बित कर दिया गया था और अपराध अनुसंधान विभाग के परामर्श पर उनमें से कुछ कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर उस अवधि तक पुनः नियुक्त (provisionally re-instate) कर दिया गया है जब तक कि अपराध अनुसंधान विभाग (C. I. D.) अपनी जांच समाप्त न कर लें ।

लेखपालों के संबंध में आदेश

*९१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् या सरकार द्वारा लेखपालों के संबंध में समय-समय पर गत तीन वर्षों में कुछ आदेश प्रसारित किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, तैंतीस ।

*९२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार उन आदेशों की प्रतिलिपि सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आलोच्य आदेश मेरे कमरे में देखे जा सकतेहैं ।

*९३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूची है जिसमें यह उल्लिखित हो कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल स्थायी और अस्थायी लेखपालों की संख्या कितनी-कितनी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

राजनीतिक पीड़ित गृह-उद्योग समिति, अल्मोड़ा पर ऋण

*९४—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजनैतिक पीड़ित बहुधंधी गृह उद्योग समिति, अल्मोड़ा के ऊपर सरकार का कितना रुपया शेष है और इसकी वसूली के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—राजनीतिक पीड़ित गृह उद्योग समिति, अल्मोड़ा के ऊपर सरकार द्वारा दिये गये औद्योगिक ऋण का रु० २,३८३·३३ नये पैसे शेष है, जो कि ५०० रु० की त्रैमासिक किस्तों में वसूल किया जा रहा है।

*९५—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त समिति के कितने शेयर होल्डर हैं और अब तक समिति ने क्या-क्या कार्य किये तथा उसकी कितनी वार्षिक रिपोर्टें निकल चुकी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उपरोक्त समिति के १२ शेयर होल्डर हैं और उसमें पहले उनकी बुनाई व कताई का काम होता था पर अब सस्ते गल्ले की दूकान चल रही है। समिति की ६ वार्षिक रिपोर्टें निकल चुकी हैं।

ग्राम समाज वाजपेयी खेड़ा संबंधी भूमि

*९६—**श्री भगवती सिंह विशारद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिलाधीश उन्नाव को दिनांक ९ नवम्बर, १९५८, १३ अथवा १४ जनवरी, १९५९ और १ जून, १९६० के ऐसे पत्र मिले हैं जिनमें ग्राम समाज बाजपेयी खेड़ा, परगना भगवन्तनगर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव की भूमि को टाउन एरिया भगवन्त नगर से वापस दिलाने की प्रार्थना की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न में उल्लिखित कोई भी प्रार्थना-पत्र जिलाधीश उन्नाव के कार्यालय में यथेष्ठ ढूंढे जाने पर भी न मिले।

*९७—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्हीं पत्रों के संदर्भ में जिलाधीश उन्नाव ने सरकार से पत्र-व्यवहार किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र ही जिलाधीश के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है अतः उनके संदर्भ में सरकार से पत्र व्यवहार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*९८—**श्री भगवती सिंह विशारद**—यदि हां, तो अब तक इस संबंध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न भी नहीं उठता।

हड्डी से खाद बनाने वाले कारखाने

*९९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कितने कारखाने हड्डी से खाद बनाने के प्रदेश में चल रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रदेश में इस प्रकार के ८ (आठ) कारखाने चल रहे हैं।

*१००—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में हड्डी से खाद बनाने के कितने सरकारी कारखाने चल रहे हैं तथा कितनों को खाद बनाने के लिये किस-किस रूप में कितना-कितना धन १९५९–६० में दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रदेश में हड्डी से खाद बनाने का कोई भी सरकारी कारखाना नहीं है। जहां तक उपरोक्त उद्योग हेतु ऋण दिये जाने का संबंध है, आवश्यक सूचना सूची 'क' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६०१ पर।)

*१०१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि प्रदेश से हड्डी दूसरे प्रदेश को और विदेशों में भेजी जाती है? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, प्रदेश से दूसरे प्रदेशों तथा विदेशों में हड्डियां भेजी जाती हैं क्योंकि उक्त कारखानों की क्षमता इतनी नहीं है कि संपूर्ण कच्चे माल का उपभोग हो सके।

अल्मोड़ा जिले में बन्दोबस्त के विरुद्ध शिकायतें

*१०२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें दानपुर के सभापति व सरपंचों का पत्र प्रश्न कर्त्ता के प्रश्न पत्र संख्या एल० एक्स० भी० आई० ७ पो० ओ० ८–६० दिनांक, १ जनवरी, १९६० के साथ मिला था जिसमें जिला अल्मोड़े में चल रहे बन्दोबस्त की गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी ? अगर हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक विवरण एकत्र किया जा रहा है।

*१०३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या न्याय मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ३४–३५, दिनांक ८–९–६० के संबंध में दिये गये उत्तरों के क्रम में यह आज्ञा जारी करेंगे कि कुमायूं में जिन खेतों में फल के पेड़ हों पर पानी (सिंचाई) न लगता हो तो उन्हें उप्राऊ (असिंचित) दर्ज कर बन्दोबस्त रिकार्ड में सुधार किया जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी पूर्ण विवरण एकत्र नहीं हो सका है।

कलेक्टरियों का पुनस्संगठन

*१०४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—कलेक्टरियों के पुनः संगठन के संबंध में दिनांक २६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११३–११४ के लिखित उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना के लागू होने पर कुछ नये पदों का सृजन भी किया गया और कुछ पदों को उसी समय क्रमोन्नति करके स्थायी बना दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

देवबन्द तथा रुड़की तहसीलों में चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१०५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर जिले के देवबन्द तथा रुड़की तहसीलों में १९६० में चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा कितने लोगों को निकाला गया तथा मुअत्तल किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९६० में देव बन्द तथा रुड़की तहसीलों के चकबदी कर्मचारियों के विरुद्ध ९४ शिकायतें प्राप्त हुईं। २ कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया था। किसी कर्मचारी को निकाला dismiss या remove नहीं किया गया। कुछ की सेवायें जिनकी आवश्यकता नहीं थी नोटिस देकर समाप्त (terminate) जरूर की गईं।

परगनाधीश महाराजगंज के पास लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*१०६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, १९६० में गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के परगनाधीश के पास कितने लेखपालों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केवल लेखपाल के विरुद्ध ऐसी शिकायत प्राप्त हुई। जांच करायी गयी। आरोप तो सिद्ध नहीं हुए परन्तु जनता में लेखपाल के विरुद्ध पर्याप्त असंतोष प्रतीत हुआ; अतः उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

गोरखपुर में रासायनिक खाद का कारखाना खोलने का निश्चय

*१०७—**श्री मदन पांडेय**—क्या यह सत्य है कि जापानी सहयोग से खुलने वाला रासायनिक खाद का कारखाना गोरखपुर में खोलने का निश्चय किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

यंत्र-चालित तथा साधारण कोल्हू

*१०८—**श्री गेंदासिंह**—क्या श्रम मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि यन्त्रचालित कोल्हुओं या क्रशर्स पर लाइसेन्स लगाने के पूर्व कितनी संख्या में प्रति जिले में ऐसे कोल्हू या क्रशर्स चलते थे और गत वर्ष कितने चले?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यंत्र चालित कोल्हुओं पर लाइसेन्स २८-२-५९ से लागू हुआ। इसके पूर्व १९५७-५८ में यंत्र चालित कोल्हुओं की संख्या प्रदेश के चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में १०५१ तथा १९५८-५९ में १६०८ थी जिसका जिलेवार विवरण, तालिका† १ में दिया है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जिलों के संबंध में यह सूचना उपलब्ध नहीं है। गत वर्ष १९५९-६० में उत्तर प्रदेश में २०६० यंत्र चालित कोल्हुओं को सुरक्षित तथा असुरक्षित क्षेत्र में लाइसेन्स दिये गये जिनका जिलेवार विवरण संलग्न तालिका† २ में दिया है।

*१०९—**श्री गेंदासिंह**—श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यंत्र के अतिरिक्त चलने वाले कोल्हुओं की संख्या की कोई गणना सरकार के पास है? यदि हां, तो क्या श्रम मंत्री उनकी पिछली चार वर्षों की जिलेवार संख्या बताने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यंत्र के अतिरिक्त चलने वाले कोल्हुओं की संख्या की सूचना केवल उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त है तथा गत चार वर्षों की जिलेवार संख्या संलग्न† तालिका ३ में दी है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों व जिलों के संबंध में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्नों का ठीक उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—यह जो सीतापुर के विषय में प्रश्न था यह कई बार स्थगित हुआ है और कई बार अध्यक्ष महोदय, अधोलिखित कारणों से नहीं आ सका और आप जानते हैं कि मैं खामोश बैठा रहता हूं, लेकिन यह मामला ऐसा है कि जिसमें मैं विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के....

श्री अध्यक्ष—उसका उत्तर तो आपको मिल गया।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—नहीं आया, ५ मास हो गये, लेकिन इन्क्वायरी नहीं हुई है। जिलाधीशों को इन्क्वायरी दी गई है। यह गलत है। तहसीलदार को इनका आशीर्वाद प्राप्त है।

---

†तालिकायें छापी नहीं गयीं।

श्री अध्यक्ष—आपने मूल प्रश्न करते समय तो जिलाधीश को उसमें शामिल नहीं किया है। उसमें तो यह है कि 'जिला सोशलिस्ट पार्टी, सीतापुर के मंत्री की सूचना के आधार पर तहसीलदार मिश्रिख द्वारा बाढ़-पीड़ित सहायता में की गई गड़बड़ी से संबंधित कागजात को पकड़ा है।" इसमें कहीं भी जिलाधीश द्वारा गोलमाल का जिक्र नहीं है, वह तो तहसीलदार के द्वारा ही कहा गया है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—लेकिन श्रीमन्, उस दरख्वास्त में है कि जांच इसकी जिलाधीश के द्वारा न कराई जाय वह भी इसमें इनवाल्वड हो सकते हैं अन्यथा इसमें इतनी देर न होती।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये भी सवाल पूछना चाहिये था कि क्या उनके द्वारा भी गोलमाल हुआ है ....

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—श्रीमन्, आपसे प्रार्थना है कि इस विषय पर विवाद के लिये आधा घंटा रख दें।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये आप लिख कर दें।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावली*

सुचना उपमंत्री (श्री रऊफ़ जाफ़री)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ की धारा १५ के अन्तर्गत बनी तथा उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२४३ एस—१८—सी १५०९—६१ दिनांक ८ मार्च, १९६१ के अधीन प्रख्यापित नियमावली को उक्त अध्यादेश की धारा १५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का सन् १९६१—६२ का वार्षिक वित्तीय लेखा†

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के सन् १९६१—६२ का वार्षिक वित्तीय लेखा सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—यह जो कागज अभी माननीय मंत्रियों ने रखे हैं उनमें से एक भी कागज हमारी मेजों पर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—वह तो आप हमेशा पीजियन-होल्स में से लेते हैं, वहां से ले लें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—यह जो अभी रखे गये हैं इन पर बहस भी होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह नियमावली जो बनी हुई है इसमें अध्यादेश द्वारा बनी है जब उसका बिल उपस्थित हो जाता है और यहां से पारित हो जाता है और फिर नियम सदन में आवे तो उन पर बहस हो सकती है।

---

*छापी नहीं गयी।

†छापा नहीं गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अगर आर्डिनेन्स में दिया हो तो ?

श्री अध्यक्ष—तब भी हो सकती है परन्तु यदि आर्डिनेन्स खत्म हो गया हो और दूसरा कानून बन गया हो तो कानून चलेगा आर्डिनेन्स नहीं चलेगा ।

दि इंडियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली तथा दि इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली के १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा पर पूरक टिप्पणी*

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की संशोधित धारा ६१९ (ए) के अनुसार दि इंडियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली तथा दि इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली के १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षा पर पूरक टिप्पणी सहित सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, चूंकि यह चीज दो कम्पनीज के लेखे जोखे से संबंधित है और इनमें सरकार के भी शेयर हैं इसलिये इस पर बहस के लिये समय निर्धारित किया जाय ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, इसके लिये समय दिया जाय....

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर दें तो विचार कर लिया जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—पिछले वर्ष भी इस संबंध में हमें एक किताब दी गई थी और उस समय के माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहस के लिये कहा था लेकिन वह किसी कारण से नहीं हो पाई थी । अब सन् ६१–६२ का वित्तीय वर्ष आ गया है और हमें मिलती है ५७–५८ की रिपोर्ट, वह बहुत आब्सोलीट हो जाती है । अन्य सब विभागों में तो सरकार जल्दी करती है लेकिन यह चार-चार साल बाद यहां आती है ।

श्री अध्यक्ष—आज के एजेन्डे में आइटम नं० १५ पर दिया हुआ है कि देर होने के बारे में मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे । तो उस वक्त आप पूछ लीजियेगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं कहता हूं कि ६०–६१ का भी पेश हो जाता.....

श्री अध्यक्ष—उसी वक्त आप पूछ लीजियेगा ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर राज्यपाल महोदय की अनुमति १५ मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति १६ मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

---

*छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपेरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० पर राज्यपाल महोदय की अनुमति १६ मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का पांचवा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर राज्यपाल महोदय की अनुमति १६ मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का छठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कण्ट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १६ मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनयम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमन्त्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, १९६१ पर राज्यपाल महोदय की अनुमति १७ मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१ पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति १८ मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६० पर राज्यपाल महोदय की अनुमति २० मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

नियम ५२ के अन्तर्गत मुरादाबाद में साम्प्रदायिक झगड़े के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—दो कामरोको प्रस्ताव जो आये थे मैंने उनको अनुमति नहीं दी क्योंकि एक के संबंध में मैंने नियम ५२ के अनुसार वक्तव्य देने के लिये कहा है—मुरादाबाद के झगड़े के बारे में । दूसरे के बारे में मैं समझता हूं कि बजट की आम बहस के वक्त में इस विषय का जिक्र हो सकता है और यह विषय बहुत महत्व का नहीं है चूंकि हर साल इस तरह का प्रश्न उठता है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गौरीशंकर राय—आप इजाजत तो न दें, लेकिन बहस तो कल होगी या परसों होगी । यू० पी०-बिहार की सीमा का निर्णय अब तक नहीं हुआ । अभी पिछले हफ्ते पिछले माह में कई कत्ल हुए हैं, मंत्री महोदय को मालूम है.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें । मैंने इजाजत नहीं दी आपको ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—हमारा कामरोको प्रस्ताव कहां चला गया ?

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कि मैंने उसकी इजाजत नहीं दी ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उस कामरोको प्रस्ताव में लखनऊ आदि सभी थे ।

श्री अध्यक्ष—मैंने मुरादाबाद संबंधी घटनाओं को समझा कि महत्व का विषय है । इसमें लिखा है "मुरादाबाद में १८-१९ मार्च को साम्प्रदायिक दंगा फिर हो गया । अपने पावने का रुपया वसूल करने को गये व्यक्ति को अदायगी करने के स्थान पर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों द्वारा मार दिये जाने की घटना कोई आकस्मिक नहीं वरन देश व प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को नष्ट करने के प्रदेश व्यापी जाल की एक कड़ी मात्र है । लाश फूंकने को गये लोगों पर अनायास आक्रमण हुआ, आत्मरक्षा में कुछ को चोटें लगीं । पर सरकार की तुष्टीकरण की नीति मुरादाबाद में फिर अपनाई गई है और उल्टे जिस सम्प्रदाय का व्यापारी मारा गया उसी के १०० से ज्यादा लोग झूंठे आरोपों पर गिरफ्तार किये गये हैं । इससे सारे प्रदेश में बहुमत वाले लोग चिंतित हैं ।

लोक महत्व के इस निश्चित प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री का ध्यान नियम ५२ के अनुसार आकृष्ट करना चाहता हूं ।"

यह माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट जी का है । इसके बारे में गृह मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं कल दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत मेरा भी एक प्रस्ताव था ।

श्री अध्यक्ष—एक दिन में एक ही लिया जायगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत बलिया जिले में कटहर नाला से पानी लेने के लिये महसूल लगाने की आज्ञा के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो नियम ५२ में प्रश्न उठाया था उसके बारे में सिंचाई मंत्री जी वक्तव्य देंगे ।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—मान्यवर, कटहर नाला एक प्राकृतिक नाला है जो बलिया जिले में एक बड़े ताल "सुरहाताल" को गंगा नदी से मिलाता है । प्रारम्भ से सुरहाताल का उसकी क्षमता से अधिक पानी इस नाले द्वारा गंगा नदी में जाता है । जमींदारी प्रथा उन्मूलन के पश्चात् इस नाले पर उत्तर प्रदेशीय शासन का अधिकार हो गया जिसकी विज्ञप्ति शासन की विज्ञप्ति संख्या ५४३६/आई० ए०--१५२६-१९५३, दिनांक ११ अगस्त, १९५३ में की गई । वर्षा

ऋतु में जब गंगा नदी में प्रायः बाढ़ आ जाती है तो यह देखा गया है कि बाढ़ का पानी इस नाले द्वारा सुरहाताल में आ जाता है । इस कारण ताल के किनारों तथा निकटवर्ती क्षेत्र की फसल को क्षति पहुंचती है । इस क्षति से सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग ने इस नाले पर ४४,००० रुपये की लागत से एक रेगुलेटर बनवाया । इसके अतिरिक्त विभाग ने सुरहाताल पर सिंचाईहेतु पम्पिंग स्टेशन और नहरें भी बनवाई हैं । वह नहरें नालें के दोनों ओर निर्माण की गई हैं । इस कारण इस नाले को अच्छी स्थिति में रखना आवश्यक हो गया है । कृषकगण जो नाले से सिंचाई करते हैं वे नाले को क्षति पहुंचाते हैं और उसके देख-रेख की परवाह नहीं करते ।

२८ सितम्बर, १९५६ को सरकार ने नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ की धारा ५५ के अन्तर्गत एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसका आशय यह था कि नाले में कोई बांध इत्यादि न बनवाये या अन्य प्रकार की रुकावट न पैदा करे ।

इस वर्ष यह सूचना प्रसारित की गई थी कि कटहर नाला सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है और उसकी देख-रेख की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है । अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहली मार्च, १९६१ के बाद कोई भी इस नाले से सिंचाई न करे अन्यथा सिंचाई का महसूल सिंचित क्षेत्र पर लागू किया जायगा । यह सूचना सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बलिया के हस्ताक्षर से प्रसारित की गई है । यह सूचना त्रुटिपूर्ण है और मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा इस सूचना को रद्द करके २८ सितम्बर, १९५६ को प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार नाले में कोई बांध इत्यादि न बनाने के संबंध में सूचना प्रसारित करने का आदेश अधीक्षक अभियन्ता को दिया जा रहा है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने नाले के संबंध में जो बातें कही हैं उसके साथ-साथ कुछ और बातें भी कहा है कि सरकार ने क्या-क्या बनवाया है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि यह रेगूलेटर वही है जिसको जब वह पिछली दफा मंत्री थे उस समय बनाने के बाद इसलिये तुड़वाया गया था कि जिस मतलब के लिये रेगूलेटर बना था वह पूरा नहीं हो सका ?

श्री राममूर्ति--रेगूलेटर तो इसलिये बनाया गया था कि ताल में जितने पानी की जरूरत है उतना पानी अगर हो जाय तो अधिक पानी गंगा में वापस लिया जाय और जब ताल खाली होने को आये तो रेगूलेटर बन्द हो जाय ।

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को रेगूलेटर के बारे में मालूम नहीं है, जो उनके कागज में है वहीं कह रहे हैं । कम से कम उनको देखना चाहिये कि वह रेगूलेटर बिलकुल नहीं है, एक बांध बनाया गया था जिसको उन्होंने मेरी प्रार्थना पर तुड़वा दिया था ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप उसको दिखा दीजिये ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि सदा से किसान उस कटहर नाले से पानी लेते रहे हैं और अब माननीय मंत्री जी ने जो पाबन्दी लगाई थी उस पाबन्दी को हटाने की बात कही है, तो क्या उसके लिये आदेश जारी हो गये हैं और उसके साथ क्या यह आदेश भी जारी हो जायगा कि किसी प्रकार की इजाजत लेने की किसान को जरूरत न रहे ?

श्री राममूर्ति--गौरीशंकर जी कुछ नाराज हो गये । असल में बात यह है कि यह सही बात है कि गलती से एक विज्ञप्ति जारी हो गयी है, उसको रद्द कर देना चाहिये । उसके लिये आदेश जारी हो गये हैं कि किसान उस ताल से पानी ले सकें । बंध इत्यादि इसलिये नहीं लगा सकते कि देखभाल नहीं हो पाती है और बहुत-सी तरफ से तोड़ने लग जाते हैं । नहर के चलने से जो दिक्कत होती है इस विज्ञप्ति के बाद किसी किसान को दिक्कत नहीं होगी और वह पानी ले सकेगा ।

श्री गौरीशंकर राय—मंत्री जी को धन्यवाद उनकी इस आज्ञा के लिये कि उन्होंने पानी को मुक्त कर दिया, वैसे अहसान नहीं किया पहले से ही मुक्त था । लेकिन इसके बाद किसान पर कोई ऐसी पाबन्दी तो नहीं लगा दी है कि किसान को नहर विभाग या आपके दफ्तर तक आने के बाद पानी मिल सकेगा ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है । इतनी बात जरूर है कि कोई बंध वगैरह नहीं लगायेगा जिससे उसकी मरम्मत में नुकसान हो जाय ।

श्री राम स्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—यह नहर का इलाका जो कटहर नाले के पास पड़ता है उसकी सिंचाई का प्रबन्ध नहर से होता है या कटहर नाले से भी सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति—वर्मा जी का प्रश्न साफ नहीं हुआ । जहां तक मैं समझता हूं जितनी नहरें बनी हुई हैं उनके जरिये से सिंचाई होती है वह अपनी जगह होती है । नहरों के अलावा जो पास-पड़ोस का इलाका है और नहर का पानी नहीं जाता है और ताल का किनारा पड़ता है तो वहां किसान ताल से पानी लगा लेते हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—वह कटहर नाला बरसात में गंगा के पानी को उल्टा सुरहाताल में चढ़ाता है और सुरहाताल का पानी गंगा में गिरा देता है तो सिंचाई के लिये जो नहरें बनाई गयी हैं उनमें पानी किस प्रकार डाला जाता है ?

श्री राममूर्ति—वहां एक पम्पिंग स्टेशन बना दिया गया है जिसके द्वारा नहरों में पानी डाला जाता है ।

श्री गौरीशंकर राय—लोग बंध न बना सकें लेकिन सरकार स्वयं प्रति वर्ष इस नाले में बंध बनाती है और इस बंध बनाने में आधे कटहर नाले के किनारे सिंचाई नहीं हो पाती ?

श्री राममूर्ति—बंध बनाने के संबंध में पाबन्दी इसलिये है कि बंध बनने लग जाते हैं उनकी मरम्मत मुश्किल हो जाती है, सिर्फ इतना ही प्रतिबन्ध है ।

जिला आजमगढ़ के दोहरीघाट विकास खंड की स्वास्थ्य निरीक्षका के साथ विकास खंड अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—इस संबंध में जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है वह निम्न है :—

दोहरीघाट विकास खंड की स्वास्थ्य निरीक्षिका (हेल्थ विजिटर), श्रीमती सुरती देवी, लखीमपुर से हो कर आईं और प्रारम्भ में ब्लाक में क्वार्टर न मिलने के कारण कस्बे में रहती थीं । उनके साथ एक अन्य महिला श्रीमती विद्यावती देवी भी रहती थीं जो नौकरी की तलाश में उन्हीं के साथ लखीमपुर से आई थीं । बाद में ये दोनों महिलायें ब्लाक में बने एक क्वार्टर में रहने लगीं । श्रीमती विद्यावती देवी ने दिनांक ८ मार्च, १९६१ को जिलाधीश को एक शिकायती-पत्र दिया जिसमें विशेष रूप से आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विकास अधिकारी तथा उनके कुछ अन्य कर्मचारियों ने गत रात उनके क्वार्टर में जाकर उन्हें तथा सुरती देवी को बेंत, जूते तथा चैलों से मारा । जिलाधीश ने तुरन्त एस० डी० एम०, घौसी को जांच करने का आदेश दिया और उन्होंने घटनास्थल पर जा कर उसी दिन जांच प्रारम्भ कर दी । उनकी जांच भी पूर्ण नहीं हुई है ।

एस० डी० एम० ने दोनों महिलाओं, क्षेत्रीय विकास अधिकारी तथा कुछ अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान लिये हैं । श्रीमती सुरती देवी ने अपने बयान में जिलाधीश को दिये गये शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि की और यह आरोप लगाया कि उनके प्रति ऐसा

व्यवहार करने का कारण यह था कि उन्होंने क्षेत्रीय विकास अधिकारी के विरुद्ध यह शिकायत की थी कि उनके (श्रीमती सुरती) तनख्वाह से हर बार दो रुपये काट लिये जाते हैं । इसके विपरीत क्षेत्रीय विकास अधिकारी का यह कथन है कि रात में उन्हें १० बजे यह सूचना दी गयी कि स्वास्थ्य निरीक्षिका व उनके साथ की महिला शराब पीकर आपस में लड़ रही हैं । वे कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ उनके क्वार्टर में गये और उन्हें लड़ते देखा । उन्होंने कहा कि वह उनकी शिकायत करेंगे और उनसे इस प्रकार की हरकत बन्द करने को कहा । उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने या अन्य किसी कर्मचारी ने दोनों महिलाओं को मारा ।

मैजिस्ट्रेट सभी बातों की पूरी जांच कर रहे हैं और जांच पूर्ण हो जाने पर ही असली तथ्य का पता लग सकेगा । अब तक की सूचना से यह भी पता चलता है कि कथित घटना की कोई रिपोर्ट न तो पुलिस स्टेशन पर दिखाई गई और न कोई पुलिस कांस्टेबिल घटना के समय घटनास्थल पर गया ।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--क्या यह सही है कि मार खाने के बाद और वहां से निकलने के बाद स्वास्थ्य निरीक्षिका थाने पर गयीं और वहां पर थानेदार था, उसने रिपोर्ट नहीं लिखी और आजमगढ़ जिले में भी नहीं लिखी गयी तब उन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा । तो जो उनके ऊपर बीती उसकी कोई रिपोर्ट है ? क्या जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इसके बारे में कोई रिपोर्ट प्रेषित की है ?

श्री चरणसिंह--यह तो आप एक पक्ष का जो आरोप है ऐसा लगता है कि केवल उसी को दोहरा रहे हैं । मैंने अर्ज किया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जायगी तब तक नहीं कहा जा सकता कि सच्ची बात क्या है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय गृह मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि वह महिला और उनकी सहेली दोनों ७ तारीख के १० बजे रात से लेकर ८ तारीख के ४ बजे तक उस कमरे में बन्द की गयी थीं और जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी आये तब उनको निकाला गया ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, मुझको नहीं मालूम है और साथ ही सवाल में जो यह एक बात मान ली गयी है कि इनको मारा गया, मुझको यह स्वीकार नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निरीक्षिका जिनके शरीर पर लगभग १८ चोटें आई, आँख, नाक, मुंह पर, वे आज भी सदर अस्पताल में पड़ी हुई हैं ? वह बुरी तरह से कई अधिकारियों द्वारा घायल हुई है और महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, तो क्या वह वहां के अधिकारी की और अन्य अधिकारियों को सस्पेंड कर के तब जांच करायेंगे ?

श्री चरणसिंह--एस० डी० एम० जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं और जो उस तहसील के एस० डी० ओ० भी हैं और बी० डी० ओ० से कहीं सुपीरियर आफिसर हैं वह इस सारे मामले की तहकीकात कर रहे हैं और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जरूरी समझेंगे कि उनको सस्पेंड करना जरूरी है तो वह कार्यवाही करेंगे और वह उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या मंत्री जी को यह भी सूचना है कि इस घटना को लेकर एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट वर्सस विकास विभाग, तो इस बात को देखते हुये वे किसी उच्च स्तरीय न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे जिससे इसकी जांच निष्पक्ष रूप से हो सके ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं ।

श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)--क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जब स्वास्थ्य निरीक्षिका, श्रीमती सुरती देवी ने जो चोट उनको लगी थी उसकी रपट जिलाधीश को दी और उसमें उनको इस ढंग की चोट हैं जो पुलिस केस की है और जिन लोगों ने उन पर चोटें पहुंचाई हैं यह नामजद उन्होंने किया है, तो उनके खिलाफ फिर अब तक पुलिस केस बनाकर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री चरणसिंह—पहले तो अभी यही साबित नहीं है कि बी० डी० ओ० या अन्य राज्यकर्मचारियों ने उनको पीटा है। एक बात और सोचने की है कि दो महिलायें थीं और सारे राज्य कर्मचारी वहां उनके खिलाफ साजिश कर लें, इसको एकदम मानकर उसके आधार पर उन कर्मचारियों को निकालना मैं समझता हूं कि जब तक पूरी रिपोर्ट न आ जाये तब तक जायज नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुरती देवी का डाक्टरी मुआयना भी हुआ है? यदि हां, तो उनके कितनी चोटें लगी हैं और किन-किन चीजों से लगी हैं?

श्री चरणसिंह—अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो मेरे पास उसकी रिपोर्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट भेजी थी उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने कल वायरलेस के जरिये उनसे पूछा है कि तुम्हारी रिपोर्ट में अभी इतनी कमी है, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया।

श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी हो गयी है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी को जांच करते समय हेल्थ विजिटर ने वह पर्चा भी दिया जिसके द्वारा हेल्थ विजिटर को बी० डी० ओ० ने अपने यहां बुलाया था? यदि हां, तो उस पर्चे में क्या लिखा है?

श्री चरणसिंह—इसका जवाब तो हेल्थ मिनिस्टर दे सकते हैं, मुझे कोई इल्म नहीं है।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुये कि यह एक गम्भीर विषय है और मैंने खुद इसकी जांच की है, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो अधिकारी वहां पर हैं, बी० डी० ओ० या ए० डी० ओ०, जिनके खिलाफ आरोप है कि इस मारपीट में हिस्सा लिया था, उनको अगर सस्पेंड न किया जाय तो कम से कम दूसरी जगह हटा दिया जाय ताकि जांच में सहूलियत हो सके?

श्री चरणसिंह—जब तक क्लियर केस न हो तब तक ट्रांसफर कर देना एक तरह से इश्यूज को प्री-जज करना होगा।

श्री मुक्तिनाथराय—मंत्री जी ने कहा है कि दूसरी तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि दोनों ने शराब पी थी। तो क्या चोटों की और शराब पीने की कोई डाक्टरी जांच हुई है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय सदस्य, आजमगढ़ जो शिकायतें कर रहे हैं उसको आधार मान कर क्या माननीय गृह मंत्री जी किसी सभा सचिव या डिप्टी-मिनिस्टर को वहां जांच करने के लिये भेजेंगे?

श्री चरणसिंह—मैं नहीं समझता कि किसी सभा सचिव को या किसी माननीय उप-मंत्री को इस छोटे से मामले के लिये तकलीफ दी जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुरती देवी ने जो अपने बयान दिये उसके सपोर्ट में कुछ गवाहों के भी नाम बतायें? यदि हां, तो उन गवाहों के तुरन्त बयान क्यों नहीं लिये गये?

श्री चरणसिंह—एस० डी० एम० उस रोज पहुंच गये थे। उन्होंने उस रोज बयान लिये, फिर १४ तारीख को लिये और २९ तारीख को फिर लिये जाने वाले हैं। जितनी रिपोर्ट मेरे पास है अगर मैं अभी कहूं कि उसमें कुछ कंट्राडिक्शन हैं तो मैं समझता हूं मुनासिब नहीं

होगा । शराब पीने वगैरह के बारे में मैं कहूं कि मैं जवाब नहीं देना चाहता या उन बातों को बतलाना नहीं चाहता जबकि इन्क्वायरी आलरेडी चल रही है तो मेरे खयाल में कोई नामुनासिब बात नहीं होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि परगना हाकिम के जाने के पहले ही हेल्थ आफिसर, आजमगढ़ पहुंच गये थे और ताले में बन्द महिलाओं को निकाल कर जिला अस्पताल आजमगढ़ में दाखिल करा दिया था ?

श्री चरणसिंह---मैंने जैसा कहा कि जिलाधीश की जो रिपोर्ट आई है वह गैरमुकम्मिल है । लेकिन जिस तरह की बात माननीय मित्र कहते हैं अगर वह सही हुई तो जो लोग अपराधी होंगे उनको पूरी सजा मिलेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, यह बड़े महत्व की बात है । मैंने स्वयं उस घटनास्थल पर जाकर देखा है और माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि परगना हाकिम जांच कर रहे हैं जो बी० डी० ओ० से कहीं सुपीरियर आफिसर हैं और यह सही बात है कि वह महिला मारी गई है....

श्री अध्यक्ष---इन्क्वायरी के बीच में इस तरह के स्टेटमेंट की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब श्री गोविन्दसिंह बिष्ट के प्रश्न पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित वक्तव्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं---

सार्वजनिक निर्माण विभाग के "वर्क चार्ज्ड अधिष्ठान" की दशा में सुधार लाने के लिये सरकार काफी प्रयत्नशील रही है । वर्क चार्ज्ड अधिष्ठान में वह कर्मचारी आते हैं जिन्हें विशिष्ट निर्माण कार्य हेतु रखा जाता है । उनका वेतन उस निर्माण-कार्य के व्यय पर भारित होता है (is charged direct to the work) इस कार्य के समाप्त होने पर इन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। परन्तु व्यवहार में साधारणतया ऐसा नहीं होता है और उन कर्मचारियों को अन्य निर्माण-कार्यों में लगा दिया जाता है । वर्क चार्ज्ड अधिष्ठान के कर्मचारियों को कई सुविधायें दी गई हैं, जैसे---

१---सेवा समाप्त करते समय सीनियारिटी पर ध्यान देना ।

२---सेवा समाप्त करने के विषय में विशेष प्रतिबंध लगा दिये गये हैं कि जिसके कारण अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं ।

३---बड़े निर्माण-कार्यों पर फर्स्ट ऐड बक्सों की व्यवस्था ।

४---निजी कार्यों के हेतु बेलदार तथा गैंगमैन को रखे जाने की सख्त मनाही ।

५---वांछित शिक्षा योग्यता रखने वाले इन कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में आने के लिय परीक्षा देने में सुविधा ।

६---एक दिन में ८ घंटे से अधिक काम लिये जाने पर प्रतिबंध तथा उससे अधिक समय के लिये किये गये काम के लिये अतिरिक्त (मजदूरी) दी जाने की सुविधा ।

७---साप्ताहिक छुट्टी का प्रबंध ।

[श्री धर्मसिंह]

८—जो कर्मचारी किसी एक स्केल के अनुसार वेतन पा रहे हैं उनको समय-समय पर सरकार द्वारा बढ़ाई गई दरों के अनुसार महंगाई दिये जाने की सुविधा । इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी जो मारकेट रेट के हिसाब से वेतन पाते हैं उनको महंगाई देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जहां तक इन कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लिये जाने का प्रश्न है, इस पर विचार हो रहा है । यह एक ऐसी समस्या है जो व्यापक है । अन्य विभागों में भी वर्क चार्ज्ड कर्मचारी हैं । इस मामले में भारी वित्तीय दायित्व भार होने के कारण समस्त वर्क चार्ज्ड कर्मचारिवर्ग को नियमित अधिष्ठान में एक साथ ले लेना सम्भव नहीं है । इन कर्मचारियों के कितने भाग को नियमित अधिष्ठान में लिया जा सकता है, यह प्रश्न विचाराधीन है । जैसा पहले कहा गया है इस मामले में भारी रकम के लिये वचनवद्ध होने का प्रश्न आता है जिसका असर अधिष्ठान पर होने वाले व्यय पर पड़ेगा । अतः इस विषय में निर्णय किये जाने में समय लगना स्वाभाविक है ।

यह कहना उचित न होगा कि वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाता है क्योंकि उनके पद या उनकी नौकरी करने के लिये स्थान बना रहता है । अधिकतर काम के बने रहने पर इन लोगों को हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इससे अफेक्टेड कितने कर्मचारी हैं और कितने धन की व्यवस्था की जरूरत है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—२५ हजार एक हैं और ५ हजार एक हैं । जो २५ हजार हैं वह मस्टर रोल इम्पलाई कहलाते हैं और ५ हजार वर्क्ड चार्ज में हैं ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें कितने ऐसे हैं जो ६ साल से अधिक से काम में लगाये जा रहे हैं और १२ साल से अधिक से चल रहे हैं और कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जहां तक रुपये की बात है वह फाइनेन्स विभाग देख रहा है और जो पहला प्रश्न है उसके लिये नोटिस की जरूरत होगी । बाकी मैं समझता हूं कि ४/५ हजार आदमी होंगे जो ६ वर्ष से ऊपर के होंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें एक ही प्रकार के काम करने वाले पूर्व और पश्चिम के कर्मचारियों में दस रुपये का अन्तर है और पिछले वर्ष मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने इस अन्तर को कम करने के लिये कदम उठाये हैं और फाइनेन्स को लिखा है तो क्या यह आशा की जाय कि वह पूर्व के कर्मचारियों के वेतन को भी पश्चिम के कर्मचारियों के वेतन के समान कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उठता नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, यह प्रश्न उत्तर से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न विष्ट जी ने उठाया था वह अधिकारियों के स्थायी करने आदि के संबंध में था । उसमें यह तनख्वाहों के अन्तर का प्रश्न उठता नहीं है ।

आचार्य दीपङ्कर (जिला मेरठ)—मंत्री जी ने बताया कि स्थायी तौर पर २५ हजार और ५ हजार वर्कर काम करते हैं पी० डब्ल्यू० डी० में, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २५ हजार और ५ हजार का औसत घट कर किसी महीने में कितने नीचे स्तर तक चला जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो कहना बड़ा मुश्किल है और यह भी कहना मुश्किल है कि स्थायी तौर पर हैं । अभी मेरठ में कुछ मजदूरों की जरूरत है, वहां पर लगा लिये जाते हैं ।

दूसरे समय में बनारस में जरूरत है वहां लगा लिये जाते हैं । यह कहना कि स्थायी तौर पर हैं ऐसी कोई बात नहीं है । किन्तु ऐवरेज मान सकते हैं । लेकिन इस समय २५ हजार मस्टर रोल पर हैं और ५ हजार मस्टर रोल के अलावा हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को मानते हुये कि हमारा प्रदेश पंचवर्षीय योजनाकाल से गुजर रहा है, अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस रहे और उनको सर्विस से न निकाला जाय ?

श्री गिरधारीलाल—सर्विस की तो सीक्योरिटी है, जैसाकि प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था उनको मामूली तौर पर नहीं निकाला जाता है बल्कि कांस्टीट्यूशन की दफा ३११ का भी ध्यान रखा जाता है । एक वर्ष तक जो आदमी काम करता है उसका रेकार्ड भी रखा जाता है और बिना किसी वजह के साधारण तरीके से नहीं निकाला जाता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा लिखित नोटिस में पूछा गया है, जिसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जा रहा है ३, ६ और ९ वर्ष से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में यह राजाज्ञा है कि अगर तीन वर्ष से अधिक काम कर चुके हैं तो दो तिहाई मुस्तकिल किये जायेंगे, इस आधार पर वह क्यों नहीं मुस्तकिल किये गये और कितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसा आश्वासन तो नहीं दिया गया था कि दो-तिहाई आदमियों को इस तरह से मुस्तकिल किया जायगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के कोई सेवा नियम हैं ? यदि नहीं हैं, तो इस समय किन नियमों के आधार पर यहां के कर्मचारियों की सेवा ली जाती हैं और उनके लिये कब तक सेवा नियम बनेंगे ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये तो सर्विस रूल्स बने हुये हैं । जहां तक वर्क चार्ज का सम्बन्ध है, इसके लिये कुछ कायदे कानून बने हुये हैं । यह प्रश्न केवल वर्क चार्ज से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न अब समाप्त किया जाता है । चूंकि बजट पर जनरल डिस्कशन होना है, इसलिये उसमें फिर से यह विषय भी ला सकते हैं ।

भूमि संरक्षण मंडल के लिये तीन व्यक्तियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं । भूमि संरक्षण मंडल के लिये तीन व्यक्तियों को चुना जाता है । उसके लिये यह कार्यक्रम रहेगा :—

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने के लिये तिथि तथा समय—२८ मार्च, १९६१ को सायंकाल पांच बजे तक ।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—२९ मार्च को २ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)

नामों के वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय—(१ अप्रैल, १९६० को सायंकाल ५ बजे तक)

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ—८ मार्च, १९६१ को विधान वाचनालय में १२ बजे से पांच बजे तक ।

दि इंडियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली तथा दि इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली के १९५६–५७ के वार्षिक प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी अब वक्तव्य देंगे कि क्यों देर में प्रतिवेदन उपस्थित किये गये ।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—कम्पनीज ऐक्ट १९६० (जो कि २८ दिसम्बर, १९६० को लागू किया गया) के पूर्व मूल कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६३९ के अन्तर्गत राज्य सरकार को राजकीय कम्पनियों की (अर्थात् उन कम्पनियों की जिनमें राज्य सरकार के ५० प्रतिशत से अधिक हिस्से हों) वार्षिक रिपोर्ट प्रदेशीय विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक था । इस प्रदेश में निम्नलिखित कम्पनियां उक्त नियमों के अन्तर्गत आती है :—

१—दि इंडियन टर्पेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी, लिमिटेड, कलेक्टरगंज, बरेली ।

२—दि इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, कलक्टरगंज, बरेली ।

३—दि मोडर्न इंडियन मेटल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, रामपुर ।

इस सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री भिन्न-भिन्न जगहों से एकत्रित करने के हेतु उचित कार्यवाही १९५६ में ही शुरू कर दी गई । परन्तु इन प्रतिवेदनों को विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की विधि के बारे में १९५८ तक कुछ निश्चित नहीं हो पाया था । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से जून १९५८ में विस्तृत आदेश प्राप्त हुये जिसके कारण इन प्रतिवेदनों को नये रूप में बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही फिर से करनी पड़ी । यह भी उचित समझा गया कि १९५६–५७ के प्रतिवेदनों को विधान मंडल के समक्ष पहले प्रस्तुत किया जाय तथा बाद के वर्षों के प्रतिवेदनों को जैसे-जैसे वह तैयार हों, वैसे ही प्रस्तुत किया जाय जिससे १९५६–५७ के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में और अधिक विलम्ब न हो ।

१९५६–५७ के प्रतिवेदनों के हिन्दी रूपान्तर कराने तथा मुद्रित कराने में पर्याप्त समय लग गया । अतः यह विधान मंडल के समक्ष अगस्त, १९६० के पूर्व प्रस्तुत नहीं किये जा सके ।

१९५७–५८ के प्रतिवेदन आज सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिये गये हैं । १९५८–५९ के प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत किये जा चुके हैं ।

१९५९–६० के प्रतिवेदन तैयार हो रहे हैं और शीघ्र ही सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ।

रामपुर की तीसरी कम्पनी अपाकरण (Liquidation) में है । अपाकर्त्ता ने, जिसकी नियुक्ति कम्पनी के ऋणदाताओं ने स्वयं मिलकर की है, अनेकों बार लिखने पर भी १९५६–५७ के बाद की रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है । कम्पनी वैसे तो बन्द ही है परन्तु सरकार ने हाई-कोर्ट से यह प्रार्थना की है कि कम्पनीज ऐक्ट की धारा ५२२ के अन्तर्गत वे इस कम्पनी का अपाकरण अपनी देख-रेख में सम्पन्न करें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब १९५८ में भारत सरकार से आदेश प्राप्त हो गये थे और जो ट्रांस्लेशन में देर बताई गई तो केवल १५ पन्नें का यह अंग्रेजी का है, इसकी ट्रांसलेशन में क्या दो वर्ष लग गये ?

श्री अध्यक्ष—लग तो गये ही ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरा मतलब था क्या वजह है लग जाने की ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने जैसा कहा कि इसके अन्दर भी तो बहुत-सी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि नये हिसाब से और नये तरीके से उसे बनाना है। तो उस नये तरीके से सारी बातें इकट्ठा करने में और बनाने में थोड़ी-सी देर हो गई।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा कि १९५८ तक इस बात का निश्चय नहीं किया गया तो जब यह सर्व-मान्य सिद्धान्त है कि वोटेड आइटम्स पर हम रुपया देते हैं या जिस किसी कम्पनी में भी सरकार के शेयर हैं उसकी पूरी रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये तो सन् १९५८ तक सरकार ने इसको क्यों नहीं सोचा ?

श्री अध्यक्ष—अब बहस तो इस पर होगी नहीं। आप इन्फार्मेशन चाहते थे, वह गवर्नमेंट ने दे दी। अब आप बहस करना चाहते हैं तो बजट पर कीजिये।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैं एक सूचना चाहता था। इंडियन टर्पेन्टाइन ऐंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली और इंडियन बाबिन कम्पनी, बरेली इन दोनों कम्पनियों के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया १९५६–५७ की रिपोर्ट अगस्त के महीने में पेश हो गई है, उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में बहुत बड़ी आडिट रिपोर्ट है और पब्लिक एका-उन्ट्स कमेटी की तरफ से उसके फाइनेन्सेज की जांच हो चुकी है, उसके खरीद के समय से लेकर आज तक बहुत बड़े सार्वजनिक धन के अपव्यय की बात उसमें है, पुराने मुख्य मंत्री ने यह वायदा भी किया था कि इसके लिये कुछ समय दिया जायगा और इस पर बहस होगी। तो मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके ऊपर बहस के लिये कोई समय मुकर्रर करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में मैं समझता हूं कि उन्होंने चूंकि आश्वासन दिया है तो उसकी पूर्ति होनी चाहिये। यह मैं देख लूंगा कि सदन में उन्होंने आश्वासन कब दिया और उसके हिसाब से समय फिर दे दिया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, एक बात समझ में नहीं आई कि १९५६–५७ में जब बन रही थी तो उसके बाद क्या उसमें रद्दोबदल किया गया या सरकार पहले बनाती ही नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष—उसके पहले वह बनाते ही नहीं थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, पहले तो बराबर ही वार्षिक रिपोर्ट आती थी।

श्री अध्यक्ष—अब हर प्रश्न का जवाब वह इस समय नहीं दे सकते।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्पष्टीकरण उन्होंने सदन में दिया है उसी तरह से यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि ज्वाइंट स्टाक कम्पनी, रजिस्ट्रार के यहां जो रिटर्न कम्पनी को दाखिल करने चाहिये वह भी समय से दाखिल नहीं हुये। यदि वे समय से दाखिल नहीं हुये तो उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह नया प्रश्न है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

१९६१–६२ के आय–व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद आरम्भ होगा।

[श्री अध्यक्ष]

एक बात पहले तय कर लेना चाहिये । आज ५ बजे के बाद जो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक लिया जाने वाला है आज के लिये मैं बैठक का समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दूंगा । आज कुछ कमेटीज हैं सायंकाल को तो कुछ लोग यहां पर हाजिर नहीं रह सकेंगे । उस समय कम लोग यहां पर मौजूद रहेंगे या उनको यहां पर मौजूद रहने में दिक्कत होगी । तो आज तो मैं उसके लिये इजाजत नहीं देता हूं कि ५ बजे के बाद बैठें । बाद में इसके लिये समय तय हो जायगा ।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---हमने आपस में कुछ बातचीत की थी, दल के नेताओं से और मैं बात कर रहा हूं । हमारा विचार यह है कि ३० तारीख को यह विधेयक अगर ले लिया जाय तो एक दिन में यह हो जायगा और रोज-रोज देर तक बैठना नहीं पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष---आप बातचीत कर लें । आज तो उसको स्थगित कर ही दिया है ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि १९६१-६२ के बजट पर आम विवाद प्रारम्भ करने की आज्ञा आपने मुझे प्रदान की । मुझे दुख है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वह इस आदरणीय सदन में उपस्थित रहें । केवल मान्यवर, उन्हीं की बात नहीं है मंत्रिमंडल के दूसरे माननीय सदस्यों में से भी अधिकतर यहां पर अनुपस्थित हैं । यह हो सकता है कि उनके लिये इस बजट का कोई मूल्य न हो । यह भी हो सकता है कि उनकी दृष्टि में इस वादविवाद का महत्व कम हो अथवा उनको इसका कोई ज्ञान न हो । ऐसा होने से मुझे सहायता नहीं होती है । मैं दुख के साथ यह आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यदि यह परम्परा इस राज्य की रही तो वह दिन दूर नहीं है कि जब वर्तमान मंत्रिपरिषद् के सदस्यों से इस आदरणीय सदन में बैठने का हक मुस्तकिल तौर पर जनता छीन लेगी ।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बजट के आंकड़े जो प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार ८।। करोड़ रुपये की कमी आमदनी कम होने की वजह से और खर्चा ज्यादा होने की वजह से होगी मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है इसलिये कि इस सरकार का यह रिवाज है कि जब वह बजट पेश करती है तो आमदनी कम और खर्च ज्यादा दिखाती है । लेकिन जब साल पूरा होता है तब मालूम होता है कि आमदनी ज्यादा और खर्च कम । मिसाल के तौर पर १९५९-६० में १ करोड़ ८३ लाख की कमी दिखाई गई किन्तु जब साल समाप्त हुआ तो १ करोड़ ३९ लाख की बचत हो गई । ठीक इसी प्रकार से १९६०-६१ में २ करोड़ ३३ लाख की कमी का अन्दाजा लगाया गया था लेकिन जब रिवाइज्ड बजट देखा तो उसमें २९ लाख रुपये की बचत दिखाई गई है । इसलिये यह भी परेशानी की बात नहीं है । सरकार की यह रीति है कि अन्दाजा कम और आमदनी उससे ज्यादा । मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि यह इस सरकार की काबलियत का सबूत नहीं है । इसमें १०,५ लाख रुपये की बात नहीं बल्कि सन् १९५९-६० में अनुमान से ८ करोड़ से अधिक आय हुई । इसी प्रकार से १९६०-६१ में जो अनुमानित आय थी उसमें ८ करोड़ रुपये से ज्यादा इजाफा होगा। इतनी बड़ी रकम का हेर-फेर इस बात का सबूत है कि बजट के बनने के समय मंत्रिमंडल इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसकी कितनी आमदनी होगी और उसे उस आमदनी के आधार पर कितना खर्च करना चाहिये ।

मैं इस सिलसिले में मान्यवर, यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि प्रस्तावित करों में एक कर उन किसानों पर भी लगाया गया है जो सरकार द्वारा सिंचाई के साधनों का लाभ उठाते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि सन् १९५४-५५ में ३ आना रुपये की छूट देने का कारण यह था कि उस समय अनाज का भाव गिर गया था।

किसानों पर उसका विशेष बोझ पड़ता। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी की सेवा में विशेष कर कि वे इस बात का अन्दाज लगायें कि जब इन नहरों के महसूल नियत किये गये थे, जब ट्यूब वेल्स के महसूल लगाये गये थे कि एक एकड़ की सिंचाई पर कितना कर देना पड़ेगा, तो उस समय अनाज के भाव क्या थे ? शारदा नहर जब १९२८ में निकाली गयी थी तो उस समय गेहूं का भाव रुपये का ६ सेर था, आज गेहूं का भाव रुपये का ढाई सेर, पौने तीन सेर है। यदि सरकार देखे तो उसके दूने से ज्यादा महसूल नहीं होना चाहिये, लेकिन उस समय के मुकाबले में जो वर्तमान सरकार महसूल वसूल कर रही है वह तिगुने से अधिक है। भावों के हेर-फेर के कारण महसूलों में इस प्रकार की वृद्धि करना अनुचित बात है। यह सही है कि इस सरकार को अख्तियार है कि वह इस प्रदेश की जनता पर जितना चाहे टैक्स लगा ले। लेकिन उसके साथ उसका यह दावा कि जो रुपया उगाहा जाना है उससे जनता का लाभ होगा, इसके सही होने में मुझे शुबहा ही नहीं है, बल्कि यकीन है कि यह सही नहीं है।

एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने सेल्फ जेनरेटिंग इकोनामी की बात कही है। स्वतः उत्पादक अर्थ व्यवस्था की ओर हम चल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि सेल्फ जेनरेटिंग इकोनामी क्या है उसे जानें। यह मुमकिन है कि उसकी जो व्याख्या मेरे दिमाग में हो वह मान्यवर, सही न हो। सेल्फ जेनरेटिंग इकोनामी का अर्थ, जैसा मैं समझता हूं और जैसा बड़े-बड़े अर्थ शास्त्रियों ने, जिनके पांडित्य के बारे में किसी प्रकार का किसी को शुबहा नहीं हो सकता है और जिनकी बात का आज तक किसी ने खंडन नहीं किया, यह होता है कि एक इस प्रकार की व्यवस्था एक कदम के बाद दूसरा कदम स्वतः हो जाय, आपही हो जाय, इनहेरेंट हों। उत्तर प्रदेश की हालत क्या है ? कोयला एक तोला यहां जमीन से निकलता नहीं, लोहा यहां पैदा नहीं होता, पेट्रोल यहां है नहीं। जो कपड़े के कारखाने हैं उनके लिये ९० फीसदी से ज्यादा रूई दूसरे प्रदेशों से लानी पड़ती है। शक्कर के कारखाने, जो हमारा सबसे बड़ा उद्योग है, उनकी मान्यवर, दशा यह है कि अगर यही हाल रहा और देश तरक्की की राह पर चलता रहा तो आज से वह दिन दूर नहीं है, ५, ७ या १० साल बाद जब कि उत्तर प्रदेश के ये कारखाने टूटेंगे और आधे से ज्यादा कारखाने दक्षिण और मध्य भारत में लग जायेंगे। वहां की प्रति एकड़ गन्ने की उपज हमारी उपज से ढाई गुनी, तीन गुनी है। यहां की उपज है ३१० मन फी एकड़, गुजरात की है १,५०० मन फी एकड़। यहां पर ४ महीने मुश्किल से शकर का कारखाना काम करता है, दक्षिण में यह अवधि ७ महीने और ८ महीने तक की है। यहां पर साढ़े ९ और १० फीसदी तक गन्ने में शकर निकलती है, जब कि वहां पर साढ़े ११ फीसदी तक है। हमारे पड़ोसी प्रदेश बिहार को ही देख लिया जाय। वहां पर भी साढ़े १० फी सदी है। वह दिन दूर नहीं है जब कि यहां के कारखानों की बनी हुई शकर दूसरे प्रान्तों में नहीं बिक सकेगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि १५ साल पहले जब कि भारत में कुल शकर की पैदावार की ७५ फीसदी उपज उत्तर प्रदेश की थी वह अब घट कर ६० प्रतिशत ही रह गयी है। दिनोदिन यह गिरावट और फिर यह गुमान कि हम सेल्फ जेनरेटिंग एकोनामी की तरफ जा रहे हैं, मेरे ऐसे व्यक्ति को मान लेना सही बात न होगी। यह इस प्रदेश की जनता के साथ ज्यादती है।

श्रीमन्, दो योजना काल समाप्त हो चुके हैं। दूसरी योजना समाप्त होने में ७/८ दिन ही बाकी है। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष का यह बजट है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह योजना किस के लिये बनाई गयी थी ? इसकी क्या जरूरत थी ? क्या जो दो योजनायें हमारी समाप्त हो गयीं उनका यह उद्देश्य नहीं था कि अन्न के लिये हम आत्मनिर्भर बनें और उसके लिये हम किसी दूसरे के मोहताज न रहें ? जो आज सेल्फ जेनरेटिंग एकोनामी का दावा करते हैं, उनको क्या यह ज्ञान नहीं है कि अगर बाहर से गेहूं आना बन्द हो जाय तो कितनी ही अच्छी फसल क्यों न हो, यहां के लोग भूखों मरने लगेंगे। दो योजनाओं के बीत जाने के बाद भी हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

एक और बात है। यह कहा गया था कि बहुत से लोगों को रोजगार देंगे। मैं मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि सारे देश के मुकाबले में उत्तर प्रदेश की आबादी १/६ है, लेकिन सारे देश में बेरोजगारों की संख्या ७५ लाख है और उसमें से १९ लाख की संख्या उत्तर प्रदेश की है। आप गौर करें कि आबादी तो हमारी है १/६ और बेरोजगारी के हिसाब से हमारी संख्या १/४ है। क्या यह कलंक की बात नहीं है? वह उत्तर प्रदेश जिसने सदियों से सारे देश को ज्ञान दिया है और सारे देश का नेतृत्व किया है, आज वह सारे देश के लिये एक बोझ-सा बन गया है।

इस सिलसिले में मान्यवर, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९५२ में जो औसत परकैपिटा नेशनल इनकम थी, उससे उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा थी। सन् १९५१ में भी सारे देश की औसत आय से ५ प्रतिशत ज्यादा थी। किन्तु सन् १९६१ में सारे देश की औसत आमदनी से हमारी प्रति व्यक्ति आय १६ फीसदी कम हो गयी। क्यों? कौन इसके लिये जिम्मेदार है? इस सरकार का यह कहना कि यह सरकार नयी सरकार है, अभी हाल ही में यह बनी है। लेकिन यह सरकार उन्हीं लोगों की है जिन के हाथ में इस राज्य का शासन पहले से था। आप गौर करें कि कहां ५ फीसदी की बढ़ोत्तरी थी, और अब १६ फीसदी की गिरावट।

श्रीमन्, बजट की जो मोटी मोटी पुस्तकें मिली हैं उनको देखने से मालूम होगा कि मुख्तलिफ मदों के जो मिनिस्टर इन्जार्ज हैं, इसमें वे ही लिखे हुये हैं, जो कि इसके पूर्व के मंत्रिमंडल में थे। यह लियाकत का हाल है। मैं तो हैरत में रह गया। खयाल हुआ कि शायद छपने की गलती हो लेकिन मालूम हुआ कि यह एक सिलसिला है, कोई भूल नहीं है। यह इतने कार्य में व्यस्त थे, उत्तर प्रदेश की जनता की इतनी ज्यादा फिक्र थी कि यह भी नहीं देख सके कि कौन-सा मंत्री किस विभाग का जिम्मेदार है। कह सकते हैं कि सम्मिलित जिम्मेदारी है, जो मंत्री जिस प्रान्ट को चाहे पेश कर देंगे। लेकिन मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी का कार्य इस ढंग से नहीं पूरा किया जा सकता है।

मान्यवर, मैंने यह अर्ज किया कि ये न तो अनाज की कमी को पूरा कर सके और न बेरोजगारों की संख्या ही कम कर सके। इनमें दिनों दिन बराबर वृद्धि होती चली जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बजट के भाषण में यह दावा किया गया है कि सारे प्रदेश की आय १६३२ करोड़ से बढ़कर १८६४ करोड़ हो गई। यानी हमारे पूरे प्रदेश की आय में १४.५ फीसदी इजाफा हुआ। लेकिन अगर माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें कि इस बीच में आबादी कितनी बढ़ी तो उनको मालूम होगा कि साढ़े १७ फीसदी की वृद्धि हुई। आय में साढ़े १४ फीसदी का इजाफा हुआ, अगर सन् १९६१ को भी शामिल कर लिया जाय, तो १९२० करोड़ रुपये इस प्रदेश की कुल आय हो जायगी। नतीजा यह कि पूरे साढ़े १७ फीसदी बढ़ोत्तरी। साढ़े १७ फीसदी हमारी आय में वृद्धि और साढ़े १७ फीसदी आबादी में वृद्धि, जहां के तहां। आखिर यह है क्या?

हमसे कहा जाता है कि बजट के बनाने में बहुत देर लग गई। बजट देर में प्रस्तुत किया गया क्योंकि सरकार देर में आई और तृतीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़े, जो कार्य अगले साल करने थे, उनका समावेश इस बजट में करना था। यह मान्यवर को भी मालूम है और किसी भी माननीय सदस्य से छिपा हुआ नहीं है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की शक्ल अब क्या है वह सरकार के आदमी भले ही जानते हों लेकिन इस आदरणीय सदन के किसी भी माननीय सदस्य को ज्ञात नहीं है। अक्तूबर में तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अंतिम रूप से स्वीकार किया गया, ६ महीने से अधिक बीत गये और अगले वर्ष जो कार्य होगा उसका लेखा हमारे सामने पेश है। लेकिन ५ वर्ष में क्या शक्ल होगी यह किसी को नहीं मालूम। रोना यह है कि ७२४ करोड़ मांगा था, मंजूर ४९७ करोड़ हुआ मगर क्या माननीय सदस्यों को

यह जानने का हक नहीं है कि जो २२२ करोड़ की कमी हुई उसका हर मद पर क्या असर पड़ा। कौन-सी मद बदस्तूर वैसी ही कायम है और किन मदों में कमी-बेशी की गई। हम अन्धकार में हैं कि क्या होने वाला है ?

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। उत्तर प्रदेश की सरकार लम्बी बातें करने की आदी रही है। बातें लम्बी और काम नहीं। सबसे पहले मान्यवर, इस देश में अगर गांव पंचायतों का निर्माण हुआ तो मालूम यह हुआ कि वह प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सब से पहले इस देश में जहां टीचिंग यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई तो मालूम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश है। खयालात यहां से निकलते हैं लेकिन उन विचारों को कार्यरूप में परिणत करना, उनसे लाभान्वित होना दूसरों का काम है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रहने वालों और विशेषकर कांग्रेस सरकार की खूबी रही है कि विचार तो देते हैं लेकिन उससे फायदा नहीं उठाते हैं और यही कारण है कि इनको धोखा होता है। एक मामले में नहीं।

बजट के भाषण में यह बताया गया है कि कितनी जमीन पर सरकार के साधनों द्वारा सिंचाई होती है। लेकिन यदि देखा जाय तो मालूम होगा कि जितना बताया जाता है उसके दो-तिहाई भाग में भी सरकारी साधनों द्वारा सिंचाई नहीं हुई। इसका कारण है। एक कारण तो यह है कि सरकारी आंकड़ों के सम्बन्ध में इस बात को देखने की कोशिश कोई नहीं करता है कि जो बात नीचे से आती है, वह सही है या नहीं।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं)

दूसरा कारण यह है कि सारे देश में द्वितीय योजना में २,१४६ करोड़ रुपया रखा गया था लेकिन खर्च हुआ २,०९४ करोड़। उत्तर प्रदेश को अब देखिये वह किसी मामले में भी पीछे नहीं रहा है। सारे देश में २.४ प्रतिशत की कमी हुई लेकिन उत्तर प्रदेश में ९ प्रतिशत की कमी हुई। २५३ करोड़ रुपया सेकेंड प्लान के लिये मिला था जिसमें से महज २३० करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। यह हमें मालूम नहीं कि इस ९ प्रतिशत की कमी का जिम्मेदार कौन था ? उसमें ऐसी गफलत क्यों हुई ? इसके लिये इस सरकार ने क्या काम किया ?

असल बात यह है, जैसा कि मैंने निवेदन किया, बातें तो बड़ी लंबी लेकिन काम कुछ नहीं। इस काम के न होने का कारण क्या है ? जब तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सदन के सामने पेश थी तो उस समय मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाया था। जहां यह लिखा हुआ था कि ४२८ लाख एकड़ जमीन है जिसमें सीरियल्स और पल्सेज की खेती होती है, उसके लिये ३० सेर बीज फी एकड़ की आवश्यकता होगी। उस समय मैंने यह निवेदन किया था कि ये आंकड़े गलत थे। उन्होंने नीचे से रिपोर्ट मांगी। नीचे से जो लिख कर आया वह उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जहां केवल सिरियल्स होना चाहिये थे, दालें गलत जुड़ गयी थीं। मुझे आदत नहीं है, महोदया, बीच में टोकने की। जब उन्होंने यह जवाब दिया तो मैंने सोचा "बत कटा नहीं भला मूंड़ कटा भला है"। दूसरे दिन मैंने उनकी सेवा में पत्र लिखा कि यह गलती केवल दालों की ही नहीं है, लेकिन उस रकबे का क्या होगा ? एक महीने के बाद जवाब आया कि मैंने पहले कहा था वह गलत कहा, जो कुछ छपा है वही सही है। एक तो वह जानते नहीं कि एक एकड़ में कितना गेहूं होता है और दूसरे छानबीन करने की कोशिश नहीं करते। अधिकारी नीचे से जो रिपोर्ट मुरत्तब करके भेज देते हैं उसी पर अपनी राय कायम कर ली जाती है। लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह इस बात की जांच करावें कि क्या ४२८ लाख एकड़ में से जिसमें २२२ लाख में गेहूं, जौ और धान हुआ, और बाकी १७४ लाख एकड़ में दालें हुईं और कुछ में चना व मटर हुआ ? मैं यह जानता हूं कि ज्वार, बाजरा और मक्का सीरियल्स में शुमार किये जाते हैं लेकिन यह कौन नहीं जानता है कि मक्का की खेती के लिये ६ सेर प्रति एकड़ का बीज काफी होता है। और कौन इससे इन्कार कर सकता है कि छोटी ज्वार के लिये एक एकड़ में ३ सेर बीज जरूरत से ज्यादा होता है। लेकिन जब लगभग

[श्री त्रिलोकीसिंह]

आधा रकबा है गेहूं, चावल और जौ का तो फिर यह औसत ३० सेर का कैसे आया ? आज उत्तर प्रदेश के कृषि अधिकारियों का यह कहना है और रबी तथा खरीफ आन्दोलन के सिलसिले में जो किताबें बांटी गयी हैं उनमें कहा गया है कि आला दर्जे की गेहूं की खेती करने के लिये २५ सेर और साढ़े २२ सेर फी एकड़ बीज चाहिए। असल में मामला यह है कि लखनऊ वह जगह है जहां बड़े-बड़े शेखचिल्लियों की हुकूमत भी रही है। १०० साल व्यतीत होने के बाद इस हुकूमत ने उसका असर इस दर्जे तक लिया है कि हर गलत बात को सही और हर सही बात को गलत करार देने लगी। क्यों इनके कार्यकाल में अन्न की अधिक उपज नहीं बढ़ी ? महोदया, इस प्रकार की कल्पना बिल्कुल शेखचिल्ली जैसी है माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल ५० लाख मन अच्छे बीज के वितरण करने की योजना है। वही ३० सेर एकड़ वाले हिसाब से उनकी सारी योजना चल रही है। उनसे मैं अर्ज करूंगा कि उन्होंने इस बात को देखा है कि उनके भंन्डार में कितना अच्छा बीज है ?

गत वर्ष महज ३६ लाख मन बीज उत्तर प्रदेश के बीज भंडारों से लिया गया जिनमें सरकारी कृषि बीज भंडारों के साथ-साथ सहकारिता विभाग के बीज भंडार भी हैं। स्वयं सरकार के आंकड़े हैं कि सारा बीज इन भंडारों में अच्छा नहीं है। जब कि पंजाब में १०० फीसदी पेडिग्री बीज है और उत्तर प्रदेश में पेडिग्री बीज १२ फीसदी के लगभग है। यह क्या तमाशा है, एक दम से १४ लाख मन अच्छा बीज कहां से लायेंगे ? जब कि ३६ लाख मन में १०–१५ लाख मन खराब बीज है या अच्छे बीज नहीं हैं तो किस तरह से उस कमी को पूरा कर सकेंगे ? तो महोदया, आपके द्वारा मैं कहता हूं कि बेइन्तहा भ्रष्टाचार इस बीज के खरीदने में होता है। रोज अखबारों में भाव निकलता है कि गेहूं १८ रु० मन है लेकिन फार्म का सीड २० रु० मन है यानी २ रु० मन ज्यादा है। यह बात सही है कि अपनी जरूरत के लिये बाजार में जाकर कोई चीज खरीदने का अवसर मुझे बहुत कम आता है लेकिन आपके द्वारा मैं निवेदन करूं कि अकसर मैं बाजार में यह देखने के लिये जाता हूं कि किस चीज का तथा किस मेल की चीज का क्या भाव है। तो वह जो बाजार में फार्म सीड है या और दुसरा अच्छा गेहूं है उसमें कोई अन्तर नहीं होता है और अगर माननीय कृषि मंत्री, जो बदकिस्मती से इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं वे या और कोई भी मंत्री, चाहे जो समय भी वे निर्धारित करें, मेरे साथ चलें---क्योंकि उनको तो मोटर की सारी सुविधायें हैं बड़ी मोटर न सही, छोटी ही सही---तो लखनऊ के किसी भी बाजार की किसी भी दूकान पर यह देख सकते हैं कि इन दोनों मेल के गेहूं में, दोनों मेल के धान में इतना अन्तर नहीं है जितना कि बतलाया जाता है। लेकिन रुपये का गोलमाल इसी सिलसिले में किया जाता है और मैं बड़े दुःख के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह १४ लाख मन अच्छे बीज की बढ़ोत्तरी की योजना जब कि सरकार उसे अपने खेतों में नहीं पैदा कर सकती कैसे पूरी की जायगी। इसका नतीजा यह होगा कि लोगों को दो, तीन और चार मन अधिक दाम दिया जायगा।

मैं जानता हूं कि मैं भी यदि चाहूं तो अपने गेहूं को सरकारी बीज भंडारों में अच्छे दामों पर बेच सकता हूं लेकिन यह सरकार के सोचने की बात है कि इस प्रकार के कौन से आंकड़े उसके पास हैं जिनसे यह मालूम हो सके कि फार्म सीड के खरीदने में जो दाम दिया जा रहा है वह बाजार भाव से क्यों बहुत ज्यादा है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सिंचाई के बारे में इस सरकार का यह दावा है कि सिंचाई के साधन उसने १०७ लाख एकड़ के उपलब्ध करवा दिया है। सन् ५०–५१ में यह दावा ७८ लाख एकड़ का था। अगर सिंचाई विभाग की रिपोर्ट को देखा जाय, तो मालूम होगा कि सिर्फ ६७ लाख एकड़ की सिंचाई हुई। मैं हजारों की संख्या छोड़े देता हूं। सन् ५५–५६ में उनका दावा था कि ९३ लाख एकड़ की सिंचाई हुई लेकिन उन्हीं की रिपोर्ट में देखा जाय

जो सिंचाई विभाग की है तो मालूम होगा कि केवल ६३ लाख एकड़ में सिंचाई हुई है। केवल ३५ प्रतिशत की कमी रही।

सन् ५९–६० का क्या दावा था यह भगवान जाने लेकिन 'यू० पी० इन फिगर्स' से मालूम हुआ कि कुल ६२ लाख एकड़ की सिंचाई हुई। ६२ लाख से १०७ लाख एकड़ कैसे हो सकता है? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब १८९७ में सूखा हुआ था उस समय हमारे देश में सूखे से लाखों आदमियों की जानें गई थीं। उस वक्त सारे देश में इस मामले पर विचार हुआ कि क्या कारण हैं और कौन से उपाय किये जायं कि जिनके द्वारा आइन्दा सूखा न हो और सरकार को क्या करना चाहिये। यह बात है १८९९–१९००, १९०१ और १९०२ की। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि उस समय जहां लार्ड कर्जन गवर्नर जनरल व वाइसराय थे और उनको श्री रमेश चन्द्र दत्त ने एक खत लिखा था कि किस प्रकार से हमारे ग्रामों की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा होना चाहिये और सब ही को मालूम है कि क्या मांग उस समय प्रस्तुत की गई थी। उस वक्त मांग की गई थी कि खेती का जितना क्षेत्र है उसके ४० प्रतिशत पर सरकार द्वारा सिंचाई के साधन होने चाहियें। आज ४ करोड़ २८ लाख जो अन्न की भूमि का क्षेत्रफल है, का यदि ७० लाख से अनुपात लगाया जाय तो वह कितने प्रतिशत आता है? आज केवल १५–१६ प्रतिशत सिंचाई के साधन सरकारी है। ४० प्रतिशत का लक्ष्य था सन् १९०१ व २ में और आज सरकार द्वारा जो सिंचाई का प्रबन्ध है उससे केवल मुश्किल से १६ प्रतिशत क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। इस से ज्यादा तो कुएं, तालाबों, छोटी-मोटी नदियों, नालियों और उन नहरों से सिंचाई होती है जिनके संचालन से सरकार का सम्बन्ध नहीं है। मैंने आज से ३ साल पहले कहा था कि एक तरफ तो नहरें बनती हैं और दूसरी तरफ लाखों कुएं बेकार होते जाते हैं। सरकार ऐसे लोगों की है कि दूसरों के हक को मारना उसका धर्म है।

आज हालत यह है कि जमींदारी खत्म हो गई, खेत निकल गये लेकिन कुओं की मिलकियत पुराने जमींदारों की बदस्तूर है। चकबन्दी हो गई, खेत बदल गये लेकिन कुआं उसी पुराने मालिक का चला आता है। जिन कुओं से साठ आठ अथवा पांच ६ एकड़ की सिंचाई हो सकती है उनकी ईंटें उखड़ रही हैं और उनकी मरम्मत का कोई जिम्मेदार नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात पर जरा ध्यान दें कि पिछले ६० साल में ७ लाख कुयें बेकार थे जिनका कि इस्तेमाल होना बन्द हो गया है। नये साधन निकालते हैं पुराने मिटाते हैं या मिटाना चाहते हैं या वह मिटने देने में कोई रोक नहीं पैदा करते। इस तरह से अधिक अन्न उपजाओ या बीज उत्पादन की बात कैसे सफल हो सकती है। मेरा ख्याल है कि यह कभी भी पूरी नहीं हो सकती।

मैं अर्ज करूंगा कि सदन सोचे और विचार करे कि इन आंकड़ों का कौन जिम्मेदार है? बीज के बारे में मैंने निवेदन किया कि जरूरत १ सेर की है और हिसाब २ सेर का लगा हुआ है। जब कोई टोकता है तो उसी दो सेर पर अड़े हुए है। नहर की सिंचाई के बारे में भी यही है। कितने ट्यूबवेल्स बनाये गये। हिसाब में देखा जाय, ट्यूबवेल्स पर जो पूंजी लागत है उसमें ८ परसेन्ट से ज्यादा का हर साल सरकार को नुकसान होता है। नहरों पर जो पूंजी लागत है और सारे प्रदेश का औसत ले लिया जाय तो दशमलव ८ परसेन्ट के लगभग सालाना नुकसान होता है। अगर ट्यूबवेल्स अथवा नहर से एक एकड़ की सिंचाई की जाय तो पूंजी लागत लगभग ५०० रुपये होती है। लेकिन अगर कुएं से एक एकड़ की सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय तो जो पूंजी लागत डेढ़ हजार रुपया का कुआं बनेगा—मैं औसत कहता हूं, मसलन माननीय राजस्व मंत्री के यहां नाखून से खोदें तो पानी निकलता है....

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—पानी लखनऊ में नहीं है और सब जगह है।

श्री त्रिलोकी सिंह—सब जगह का पानी उतर चुका है, लखनऊ का उतरा नहीं है इसलिये वह नाखून से खोदने से नहीं निकलता है। ऐसे भी इलाके हैं जहां ४–६–८ हाथ पर पानी मिलता है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का औसत डेढ़ हजार रुपये से ज्यादा का नहीं है

[श्री त्रिलोकीसिंह]

पक्के हुएं के निर्माण करने का जिसमें ३० फीट नीचे से पानी निकाला जा सकता है। कौन नहीं जानता कि उसके द्वारा १० एकड़ की सिंचाई हो सकती है अगर उसमें रहट लगा दिया जाय? क्या औसत आया १५० रुपया एकड़। यह १५० रुपया भी सरकारी हिसाब से आता है। अगर कुआं बनवाने का काम मेरे सुपुर्द किया जाय तो वह १,२००, १,१०० रुपये में बन जायगा। १५० रुपये की पूंजी लागत में एक एकड़ की सिंचाई होती है और ५०० रुपये की पूंजी लागत से एक एकड़ की सिंचाई का प्रबन्ध होता है। कुए की मरम्मत में दमड़ी बराबर भी खर्च नहीं है और उस नहर और ट्यूबवेल की मरम्मत और संचालन में बहुत खर्च है।

हमारे यहां की इकोनामी क्या है? अगर इस प्रदेश की दशा को सुधारना है तो ७४ फीसदी आदमी जो १९५१ में खेती पर आधारित था और अब जिसकी संख्या बजाय ७४ फीसदी के ७८, ७९ फीसदी हो गई होगी यानी ४, ५ फीसदी का इजाफा हो गया होगा, उसको खेती से हटाकर दूसरा रोजगार दिया जाय। यह हमारे यहां की आर्थिक समस्या है। यह समस्या कैसे हल होगी? इस समस्या को हल करने के लिये संकेत तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिसका कि प्रारूप इस आदरणीय सदन के सामने पेश किया गया था और जिसका अंतिम स्वरूप का हमें आज तक ज्ञान नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि गांवों की दशा को सुधारना है, उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को उस स्तर पर लाना है जिसमें कि हर आदमी को खाना प्राप्त हो, रहने के लिये छोटी सी कोठरी हो, सर्दी से बचने के लिये और तन ढकने के लिये कपड़ा प्राप्त हो, यह तभी संभव है जब खेती की उपज को बढ़ाया जाय और उसको बढ़ाने का एक ही उपाय है।

गांव वालों ने क्या पाया स्वराज्य से? एक रामायण में एक चौपाई है कि 'चेरी छांड़ि न होउब रानी।' जो बात त्रेता युग में कही गई थी आज वह बात सोलह आने सत्य है उत्तर प्रदेश के बारे में। ७४ फीसदी आदमी कृषि पर निर्भर है। उनके लिये स्वराज्य हो जाने के बाद क्या हुआ? स्वराज्य के पहले बार-बार यह नारा लगाया जाता था कि जमीन का मालिक कौन होगा? जो जोते बोवे। जमीन का मालिक कौन होगा? जो किसान होगा। लेकिन स्वराज्य होते ही नारा बदल गया। जमीन का मालिक कौन होगा? जो दस गुना अदा करे। गौर करें कि यह दस गुना किनसे लिया गया? जिनकी जोत औसतन प्रदेश में साढ़े तीन एकड़ है। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि ४, ५ आदमियों के परिवार में, और यह बात मानी हुई है कि कृषकों का परिवार अन्य व्यवसाय करने वालों के परिवार से बड़ा होता है। ५ आदमी का परिवार साढ़े तीन एकड़ की उपज पर, निर्भर। कितनी ही अच्छी से अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो, क्या फायदा हो सकता है? ऐसे लोगों से कहा गया कि १० गुना दें। ५,६ फीसदी लोगों ने मुश्किल से १० गुना जमा किया बाकी ९४ फीसदी किसानों ने, उन लोगों को छोड़ दें जो साबिका जमींदार हैं, उनको भी भूमिधरी के अख्तियार हैं, उनको अपनी जमीन पर मिल्कियत का हक हासिल नहीं है।

चीन के ऐग्रेरियन रिवोल्यूशन की बात कही जाती है। क्यों हुआ? मैं चीन के दस्तूर से कतई इत्तफाक नहीं करता हूं, न मुझे इस बात से इत्तफाक है कि जबरदस्ती किसी की दौलत छीन कर मारपीट कर ठीक कर दिया जाय। लेकिन क्या कोई इनकार कर सकता है कि आज चीन, चाहे जितने गलत तरीके से तरक्की की हो, लेकिन जो तरक्की की है वह इस दर्जे की है कि वे चीनी जो अफीम खाते थे, वे चीनी जिनको अन्न नहीं मिलता था तो मेंढक, केंचुआ और सांप खा कर अपना जीवन व्यतीत करते थे, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, वह चीन आज हमारी सरहद पर खड़ा हुआ है। उस चीन ने हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जे में कर लिया है। उस चीन के डर से कि वह कहीं और आगे न घुस आये इस सरकार को इस बात की जरूरत पड़ी कि जो इलाके चीन की सरहद से मिले हुए हैं वहां ऐसे उपाय किये जायं ताकि चीन वाले आगे न आ सकें। उसी से मिले हुए कुमायूं डिवीजन के दूसरे इलाकों में सरकार वे ही काम करने की जरूरत नहीं समझती है और न उसके पास साधन ही हैं।

चीन ने क्यों तरक्की की? उसकी आर्थिक व्यवस्था का ढांचा ऐग्रेरियन था, देहात की आमदनी पर निर्भर था। हमारे यहां भी गांव ही आय का मुख्य स्रोत है। इसकी तरक्की कैसे होगी? अनाज की उत्पत्ति कैसे बढ़ेगी? महज नहर खोदने से, या ट्यूबवेल्स बना कर? नहीं। अगर उपज बढ़ानी है तो गांव वालों को जमीन से लगाव होना चाहिये। आज उसको जमीन से कम लगाव है। वह उसका मालिक नहीं है। लगान वही है जो १९४६ में स्वतंत्र होने के पहले था। जो पहिले मौरूसी अथवा दाखिलकारी काश्तकार थे वे आज सीरदार बना दिये गये हैं। लेकिन उसकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज जिनकी जोत अलाभकर है, जिनके खेत से इतना धन नहीं पैदा होता है कि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें, अपने जीवन की जरूरियात पूरी कर सकें, उनके ऊपर दो करोड़ रुपये नहर के महसूल के रूप में इस सरकार ने और बढ़ा दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि कितने ही विकास क्षेत्र बनाये जायं, कितनी ही पंचायतें बनायी जायें, इंस्पेक्टर मुकर्रर हो जायं, अधिकारी भेज दिये जायं, लेकिन इतिहास इस बात का प्रमाण है कि किसी राष्ट्र ने, किसी कौम ने सरकारी नौकरों के द्वारा तरक्की नहीं की। मुझे दुख है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और भूतपूर्व सरकार का सारा सहारा है राज्य कर्मचारी।

गांधी जी कहते थे कि हम स्वतंत्रता इसलिये नहीं चाहते हैं कि ह्वाइट ब्यरोक्रेसी को हटा कर कुछ ब्राउन, यानी बादामी रंग के आदमियों को यहां प्रदेश के राज्य का संचालन दे देंगे। इस सरकार ने केवल यही किया। गांवों की दशा में कोई अन्तर नहीं हुआ।

गृह मंत्री जी ने एक दिन, जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा था, तो यह कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में कत्ल उत्तर प्रदेश से ज्यादा होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में उत्तर प्रदेश के मुकाबिले में डकैती ज्यादा होती हैं। आज तक जिस उस्ताद ने मुझे पढ़ाया है और मैं समझता हूं कि हर सही उस्ताद यह शिक्षा देता है कि बेटा कभी बुराई का मुकाबला न करना, अगर करना हो तो अच्छाई का मुकाबला करना। फिर भी एक बात वह यह भूल गये कि उत्तर प्रदेश की आबादी से यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी की तुलना कर देते। दूसरे यह भूल गये कि आज हम हैं क्या, हमारी आर्थिक दशा है क्या? बाजरा और ज्वार हमारा मुख्य भोजन है। सबको गेहूं, चना और चावल खाने को नहीं मिलता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मंडुवा, सावां, कोदों, आज खाया जाता है। यह हमारी हालत है।

अमेरिका में क्या प्रश्न है? वहां खाने का प्रश्न नहीं है। वहां प्रश्न है झूठन फेंकने का। मुझे अमेरिका जाने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ लेकिन उस तरफ के माननीय सदस्यों को अक्सर ऐसे अवसर प्राप्त हुआ करते हैं। वे जानते होंगे वहां इसका सवाल नहीं है कि मक्खन खाने को मिले या दूध। वहां इसका सवाल है कि रेफ्रिजरेटर घर में है या नहीं, मोटर उसके पास है या नहीं, घर के अन्दर कूलर है या नहीं और अगर वह इलाका सर्दी का है तो कमरे को गर्म रखने के लिये साधन उसके पास हैं या नहीं। वहां एक कोठरी या घर की समस्या नहीं है। वहां यह समस्या है कि एक घर देहात में भी होना चाहिये। शहर के शोर व गुल से दूर होना चाहिये, जहां गर्द न हो, जहां बाजा न बजे। वहां की सरकार इस प्रकार कंट्री हाउस बनाने का इन्तजाम करती है। वह सरकार आज न जाने कितने करोड़ रुपये इस देश को खैरात देती है। पी० एल० ४८०, मुझे ठीक तादाद नहीं मालूम, के अन्तर्गत जो गेहूं आता है वह कहां से आता है? यह सूखा हुआ दूध उत्तर प्रदेश में स्कूल के बच्चों को, अस्पतालों में बीमारों को और टी० बी० के मरीजों को खिलाया जाता है यह कहां से आता है?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—डेरी के दूध में पानी मिलाया?

श्री त्रिलोकीसिंह—हमारे देश में, मैं मशकूर हूं माननीय सदस्य अल्मोड़ा जिला का, कि सहकारिता के द्वारा जो डेरीज चलाई जाती हैं उनसे शुद्ध दूध नहीं मिलता। सरकार की

[श्री त्रिलोकीसिंह]

जो दुग्धशालाएं हैं उसमें कहते हैं कि दूध में चर्बी ज्यादा है, जिसके खाने से नुकसान होता है, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा तो ८ फीसदी फैट इसकी निकाल दो। तो मामूली दूध सरकार की भद्रुक डेरी से जो लखनऊ शहर में मिलता है उसमें से कुछ फैट निकाल दिया जाता है। साथ जो फौज की डेरीज लखनऊ में बेचती है उनका दूध शुद्ध होता है। क्या उससे सेहत भी खराब नहीं होती? ऐसे ऐसे काबिल व्यक्ति सरकार के पास हैं जो थोड़ा सा मक्खन दूध में से निकलवा कर उसे खाने योग्य बनाते हैं।

भैंस के दूध में सवा ६ फीसदी फैट होती है और गाय के दूध में साढ़े ४ फीसदी। एक डेलीगेशन जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ था उसमें स्वीटजरलैंड के एक विशेषज्ञ थे। उनसे मिलने का मुझे इत्तिफाक हुआ। उनको बतलाया गया कि हमारे यहां दूध में घी ९ फीसदी होता है। वह कृषि के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मुझ से पूछा कि तुम्हारे यहां घी कितना होता है? मैंने कहा कि सवा ६ फीसदी भैंस में तथा साढ़े ४ फी सदी गाय में। उन्होंने कहा कि उनको तो गवर्नमेंट आफ इंडिया में जो माहिर हैं उन्होंने बतलाया ९ फीसदी है। मुझे शर्म लगती है जब इस तरह की बातें होती हैं। मैं शशोपंज में फंस गया। अगर कहूं हां, तो मुसीबत और न कहूं तो मुसीबत। मैंने दबी जबान से कहा मुमकिन है इस मुल्क के किसी हिस्से में ९ फी सदी होता हो लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में भैंस का सवा ६ और गाय का साढ़े ४ है। तो उन्होंने एक नोट निकाला कि सारे देश का यह औसत है। उस पर मैंने कहा कि आप भारत सरकार से लिखा-पढ़ी करके पूछिये। मुझे इस बात के सही होने में शुबहा है। मुमकिन है कि आपने गलत सुना हो। लेकिन यह विदेशियों के साथ ही नहीं दस्तूर है जब अपने मिनिस्टरों के साथ ही वह चरकेबाजी करते हैं तो परदेशी के साथ इस तरह के हथकंडे खेलना साधारण बात है। इत्तिफाक से मेरी उनकी भेंट हो गयी और मुझे इतनी बात का ज्ञान हो गया।

महोदया, मैं यह अर्ज कर रहा था कि अमेरिका से उत्तर प्रदेश की दशा का मुकाबिला करना सही बात नहीं है। वह आज मौजूद नहीं है गालिबन ज्यादा जरूरी काम में लगे होंगे। लेकिन अगर वह मौजूद होते तो मैं उनकी सेवा में बराहरास्त अर्ज करता और अब आपके द्वारा अर्ज करता हूं कि अमेरिका में जो दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें देखें। कितने ऐसे हैं जो मोटर से कुचल करके मर गये और अदालत ने यह फैसला किया कि यह मोटर से कुचला गया जानबूझ कर बिलकुल, नेगलीजेन्स से नहीं कुचला गया है। उसे अपनी मोटर को रोक देना चाहिये था इसे वहां manslaughter कहते हैं सोचिये कि यू० पी० का यू० एस० ए० से मुकाबिला करना कहां तक मुनासिब है।

माननीय वित्त मंत्री जी का दावा है कि इस साल अनाज की उपज १३५ लाख टन हो जायगी और अगले साल १४४ लाख कुछ हजार टन यानी ९ लाख ज्यादा हो जायगी। लेकिन मैं उनकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि वे जरा पिछले वर्षों के आंकड़े देखें तो वही मामला यहां भी है जिसका जिक्र अभी अभी मैंने किया है। सन् १९५८-५९ के आंकड़े देखें तो गालिबन ९७ लाख टन पैदावार हुई है। यह सिर्फ वह अन्न है जो खाने पीने के काम में इस्तेमाल होता है, इसमें तिलहन शामिल नहीं है और जहां तक मेरा ख्याल है माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कहा है उसमें भी तिलहन शामिल नहीं हैं। सरकार क्या कहती है कि १ करोड़ ११ लाख टन पैदा हुआ बजाय ९७ लाख टन के। एक तरफ तो ऋतु तथा उपज की रिपोर्ट में सारी मदें उसमें रखी हुई हैं और उनका जोड़ है। दूसरी तरफ 'यू० पी० इन फिगर्स' जो सरोजनीनायडू मार्ग से निकली तो उसमें सब जोड़ दिया और उसको माननीय मंत्री की सेवा में भेज कर उनकी मुहर लगवाली। तो १३५ लाख टन की बात काल्पनिक है और १४४ लाख टन की उससे भी ज्यादा काल्पनिक। उसके पीछे क्या अन्दाज है? ५० लाख मन अच्छा बीज बांट देंगे। इतने की उपलब्धि भी नहीं हो सकेगी लेकिन बांट देंगे। १२० लाख एकड़ में सिंचाई का साधन कर देंगे

कुआं बना नहीं, पानी निकाला नहीं, फौरन लेखपाल ने या खंड विकास अधिकारी ने कह दिया कि इस कुयें से ५ एकड़ की सिंचाई हो जायगी और और उसकी वजह से इतनी ज्यादा पैदावार तैयार होगी। यह सोच लिया जाता है कि इतना बीज बांट दिया तो पैदावार १५ फीसदी बढ़ जायगी। इस तरह से देश का निर्माण नहीं हो सकता।

अंग्रेज चले गये, गुलामी खत्म हो गयी, संविधान बन गया, चुनाव हो गये लेकिन गांव के रहने वालों में उत्साह नहीं पैदा हुआ। जब तक वह अपना हल नहीं चलायेगा, उसमें पानी नहीं पहुंचेगा तो इस प्रदेश की दशा में सुधार नहीं होगा। सरकार कर्ज जो देती है उसके लिये पूछती है कि हैसियत क्या है। भूमिधरों को कर्ज दिया जाता है जिनकी संख्या किसानों, पुराने जमींदारों के आंकड़े सब को शामिल कर लीजिये तो मुश्किल से ११ या १२ फीसदी है और ८५ फीसदी की हैसियत नहीं है। एक या दो एकड़ का किसान है अपनी जमीन उसे बेच नहीं सकता है। अगर इस देश की आर्थिक दशा को सुधारना है, जो पुराना ढांचा था उसको बदलकर मंगलकारी राज्य बनाना है और जिसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के अन्त में अनुरोध किया है। हालांकि उसका जो कारण उन्होंने बताया है उससे मैं इत्तिफाक नहीं करता हूं कि इस पीढ़ी ने स्वतंत्रता संग्राम में इतना कष्ट और नुकसान उठाया है कि जो हिस्सा देश के निर्माण में होना चाहिये वह नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त हुए, आज १५ साल से ज्यादा बीत चुके हैं और चोट अभी तक उसकी बाकी है अगर यही कारण उनके दिमाग में है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह कारण इस चोट की वजह से नहीं है। इसलिये है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद उनके सामने वह स्थिति उत्पन्न हुई और वह साधन उपलब्ध हुए जिनकी उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी वह बजाय त्यागी के भोगी बन गये। तकलीफ उठाकर पैसा पैदा करके राष्ट्र के निर्माण में लगाने के बजाय उन्होंने ठाट बाट पर पैसा खर्च किया।

यह वाइसरीकल लौज जिसके लिये गांधी ने लार्ड इर्विन से कहा था कि स्वराज्य होने के बाद छतहा अस्पताल बनेगा। उसमें आजकल राष्ट्रपति रहते हैं और उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि तीन भवन राज्यपाल महोदय के लिये रखें गये हैं जिनके पास कोई काम नहीं है जब तक मंत्रिमंडल कायम है उनके लिये लाखों रुपये की व्यवस्था है।

यह सादगी लाये, यह दावा है। मितव्ययिता का भी जिक्र किया गया मगर वह कैसे होगी। एक बात मुझे अखबारों की याद है। खबर निकल गई और मैं अखबार की खबर पर भरोसा कर लेता हूं जब तक कि जिम्मेदार हल्के से उसकी तरदीद नहीं होती है। यह खबर निकल गई कि उत्तर प्रदेश में ७–८ करोड़ रुपये की बचत का इंतजाम किया गया है। लेकिन बजट भाषण में निकला कि केवल ५२ लाख रुपये की बचत होगी और उसमें भी महज ३० लाख रुपये दैनिक व सफर के भत्ते द्वारा बचाये जायंगे।

महोदया, गौर करें रहन-सहन का खर्च बढ़ रहा है। १९५६ में ३७१ था और आजकल ५०० के करीब है यानी ५ साल में ३३ फीसदी बढ़ गया है। ऐसी हालत में सरकार को कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के विषय में बिचार करना चाहिये या दैनिक भत्ता कम करने की समस्या पर। डेढ़ साल की बात है। रामपुर स्टेशन पर मैं ट्रेन में बैठा और उसी डिब्बे में एक जमादार भी बैठा। जमादार साहब ने रास्ते में कुछ खाया नहीं। पांच घंटे बाद मैंने उससे कहा कि भाई तुम भी कुछ खा लो। इस पर वह कहने लगा कि हुजूर छै आने रोज भत्ता मिलता है। इसमें मैं क्या खाऊं और क्या बच्चों को खिलाऊं। सात बजे मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगा और घर पर रोटी खाऊंगा। इस प्रकार छै आने उसने बचा लिये। क्या मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का यह गुमान है कि बाहर गरीब आदमी को जिसका चूल्हा वगैरा घर पर छूट गया है वह छै आने में उत्तर प्रदेश के किसी अंचल में पेट भरने के लिये अन्न या दूसरी भोजन की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं? गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गरीब है। इस देश को स्वराज्य इसलिये नहीं चाहिये कि अंग्रेजों

[श्री त्रिलोकीसिंह]

को हटाने की जरूरत है, बल्कि इसलिये कि देश की गरीबी को दुर करना चाहते हैं। जब जवाब में कहा जाता था कि गरीब तो यह कहता नहीं है तो गांधी जी कहते थे semi starved and half naked dumb millions, उनकी सेवा के लिये दरिद्र नारायण की सेवा के लिये स्वराज्य चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वर्तमान मंत्रिमंडल इस पर विचार करे। दरिद्र नारायण की सेवा के लिये इस सरकार ने पिछले १६ वर्ष के अन्दर क्या काम किया है।

कौन नहीं जानता कि हमारे प्रदेश की आबादी १८ फीसदी हिस्सा उन भाइयों का है जो यही नहीं कि गरीब हैं बेपढ़े हैं साधनविहीन हैं बल्कि जिनके लिए समाज में आज भी यह प्रथा है कि उनमें से अधिकांश का छुआ पानी पीना बहुत लोग पसन्द नहीं करते। भले ही कानून में लिखा है, संविधान हो, लेकिन क्या किसी को नहीं मालूम है कि अस्पृश्यता आज भी हमारे प्रदेश में, कोई कोना खाली नहीं है, जहां न हो और उसका आये दिन हर एक को अनुभव न हो। लेकिन उन १८ फीसदी आदमियों की दशा को सुधारने के लिये और जो पिछड़े हुए हैं उनकी दशा को सुधारने के लिये तृतीय योजना के प्रारूप में महज ११ करोड़ रुपये की रकम रखी गयी थी। ७२४ करोड़ रुपये के प्रारूप में केवल ४९७ करोड़ रुपया मंजूर हुआ ११ करोड़ की रकम घट कर कहां तक पहुंची यदि उसी औसत से घटाया जाय जो इस बात के बजट के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उससे यह बात सिद्ध होती है कि वह रकम ८ करोड़ रुपये हो गयी होगी।

अगर पिछड़ी और हरिजनों की कुल संख्या देखी जाय तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दो-तिहाई उनकी है। इन पांच करोड़ व्यक्तियों के विशेष उद्धार के लिये उनको विशेष तौर पर सहायता देने के लिए सरकार ने ८ करोड़ रुपये की योजना रखी थी और इस वर्ष वह रकम १ करोड़ ११ लाख रुपये की है। कुल रकम २ करोड़ ५ लाख रुपये की है। पिछले साल से ४५ लाख की कमी हुई है। क्यों, एक बात हो सकती है। सरकार का यह दावा हो सकता है कि हरिजनों के उद्धार के लिये किसी विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है। उनको जो कुछ होना था वह हो गये। उनका स्तर वहीं पर पहुंच गया है जहां इस प्रदेश के रहने वाले जन-साधारण का है, जिनमें पिछड़े हुए वर्ग और हरिजनों की गणना नहीं हो सकती। लेकिन मैं समझता और देखता हूं कि वह पहले जैसे ही आज भी फटीचर हैं। उनकी दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर लाख-डेढ़ लाख बच्चों को पढ़ाई में कुछ थोड़ी सी मदद दे दी गयी, तो उससे क्या हुआ? स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या डेढ़ लाख नहीं है। बल्कि उनकी संख्या हरिजनों की २५ लाख है। अगर इसमें पिछड़े हुए लोगों को भी शामिल कर लिया जाय तो उनकी संख्या एक करोड़ से ज्यादा की है। ताज्जुब हुआ देखने की कोशिश की, क्योंकि वह हिस्सा जिल्द की बंदिश में छिपा हुआ था, महज ९ लाख ९० हजार रुपये की रकम रखी गयी है पिछड़े वर्ग के बच्चों की मदद के लिये, जिनकी संख्या लगभग ६५, ७० लाख है। उनके लिये महज ९ लाख ९० हजार रुपये की रकम यह है क्या? महोदया, मैं फिर उसी बात पर आना चाहता हूं कि इस प्रदेश की दशा सुधरेगी तभी जब गावों की दशा सुधरेगी और गावों की दशा सुधरेगी कब? गांवों में कौन लोग रहते हैं यह पिछड़े हुए वर्ग के लोग, हरिजन लोग। खेतों को कौन गोड़ता, जोतता और बोता है? वह लोग नहीं जो अपने को उच्च जाति का कहते हैं। वह लोग नहीं जो अपने को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। यह वही लोग हैं जिन्हें हमने पिछड़ा हुआ वर्ग बना रखा है और जिनकी गणना हरिजनों की श्रेणी में होती है। तो गांवों की दशा तब सुधरेगी। जब इन हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की दशा सुधरेगी। उनके लिये महज दो करोड़ रुपये की रकम और वह भी पिछले साल से कम, मैं यह कहता हूं कि नहीं सुधर सकती है। महोदया, यह बात बड़े अदब से कहना चाहता हूं, गांवों से ही हमारी दशा सुधरेगी लखनऊ से नहीं सुधरेगी, इलाहाबाद से नहीं सुधरेगी। यह बड़े-बड़े कारखाने भी तभी लगेंगे जब

लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वह तब बढ़ेगी जब किसान की पैदावार बढ़ेगी और वह तब बढ़ेगी जब हर तरह से उसको मदद दी जाय और उस मदद का बहुत बड़ा हिस्सा जायगा महोदया, हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में। आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मुझे दुख है कि इस समय वह कुछ और भी देखने और दुनियाँ भर की फाइलों को देखने के पक्ष में अधिक मालूम पड़ते हैं, मगर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह इस सदन के नियमों के प्रतिकूल है कि इस सदन में बैठकर कोई भी मंत्री हों या कोई भी माननीय सदस्य हों, इस सदन के काम के अलावा किसी और काम पर विचार करें। लेकिन जहां पर सब चौपटानाश है वहां इस मामले में भी ढीलढाल है। इसलिये मुझे उनसे कुछ शिकायत नहीं है। लेकिन मैं उनकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि उनको एक मौका मिला है, बड़े भाग्य से मौका मिला है, कुछ कर दिखायें, थोड़ा ही समय है। गौर करें कि हमारे प्रदेश में गेहूं की पैदावार फी एकड़ क्या है? हमारे प्रदेश में चावल की पैदावार फी एकड़ कितनी है? हमारे प्रदेश में जब इस बात का महोदया, ढिंढोरा पीटा जाता है कि इन कार्यक्रमों के द्वारा खेती की उपज बढ़ेगी, तो मैं उनकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि जमींदारी खत्म हो गई, पंचायतें स्थापित हो गईं चकबन्दी की भी व्यवस्था की गई है लेकिन क्या कारण है, कभी उन्होंने इस बात पर भी विचार करने की कोशिश की कि खेती की उपज प्रति एकड़ क्यों नहीं बढ़ी? कारण यह है कि जो बढ़ाने वाले हैं, जिसकी खेती की उपज को बढ़ाना है उसके लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है। उसके लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के इस प्रथम बजट में जो इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित है किसी प्रकार की आशा की झलक नहीं मिलती। गेहूं की पैदावार हमारे यहां साढ़े आठ मन फी एकड़, चावल की पैदावार साढ़े सात मन फी एकड़, जबकि हमारे देश में चावल की पैदावार साढ़े बारह मन फी एकड़ है। कहा जाता है कि हमारे यहां की जोत छोटी है। मैं नहीं मुकाबिला करना चाहता यू० एस० ए० से, मैं नहीं मुकाबला करना चाहता ग्रेट ब्रिटेन से या फ्रांस से। मैं मुकाबिला करना चाहता हूं महोदया, एक पिछड़े हुए देश से और उसका नाम है इजिप्ट। मिश्र की होल्डिंग २.८ एकड़ है और हमारे उत्तर प्रदेश की होल्डिंग ३.५ एकड़ है। यानी उनसे सवाया लेकिन महोदया, वहां गेहूं की पैदावार ४० मन फी एकड़ और हमारे यहां साढ़े आठ मन फी एकड़। छोटा-सा खेत है, सो भी बिखरे हुए, बड़े-बड़े खेत नहीं हैं। वहां महोदया, चावल की पैदावार है ३५ मन फी एकड़, और हमारे देश की साढ़े बारह मन फी एकड़, हमसे तीन गुनी। गौर करें, इसका कोई कारण है? इंग्लैंड के मुकाबिले में मत जाइए। इजिप्ट के मुकाबिले में क्या कोई ऐसा भारतीय है आज जो यह दावा नहीं करता कि मिश्र के रहने वाले से वह ज्यादा समझदार है? हमारी सभ्यता उनसे पुरानी है। हमारे पास इल्म, ज्ञान, हुनर उनसे किसी प्रकार कम नहीं है। साधन विहीनता में हम उनसे पीछे नहीं बल्कि साधन सम्पन्नता में हम उनसे आगे हैं। कारण क्या है? जितने डेलिगेशन खेती की पैदावार का पता लगाने अगर हिन्दुस्तान से चले तो सीधे आस्ट्रेलिया में जाकर रुके अगर करीब गये। अगर वे दूर गये तो कनाडा में जाकर रुके। अपने पड़ोस के देशों में देखने की कोशिश नहीं की जाती। महोदया, क्या कभी किसी ने यह सुना सिवाय एक बार जब कि यह खबर थी कि नेपाल के अन्दर अन्न की कमी हुई। ब्रह्मा के अन्दर भी अन्न की कमी किसी ने नहीं सुनी होगी। वहां कोई योजना नहीं बनी। क्या किसी ने सुना कि अफगानिस्तान में अन्न की कमी हुई। यकीन मानिये कि कोई भी आगा वहां से अगर भारत में या उत्तर प्रदेश में आता है तो वही आता है जिसको वहां रोटी नहीं मिलती है या जो कमजोर आगा है लेकिन लखनऊ के सब से मजबूत नवयुवक से ज्यादा वह तन्दुरुस्त है और उसके चेहरे पर सुर्खी होती है। कहना यह है कि किसान को सहारा दीजिये। गांव में खेती के लिये क्रान्ति करने की जरूरत है और वह तभी हो सकेगी जब उनको सहारा देंगे। भूमि सुधार अधिनियमों से उत्पादन बढ़ जायगा या तो चकबन्दी से उत्पादन बढ़ जायगा, यह नहीं होने का वहां बढ़ेगा तब जब स्वतंत्रता की झलक लखनऊ से हटकर गांव गांव में आयेगी। जब गांव-गांव में सरकार के दफ्तर होंगे।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

इस सरकार ने गांवों में अदालती पंचायतों को ५०० रुपये की दीवानी का सरसरी अख्तियार दे दिया। माननीय मुख्य मंत्री वकालत कर चुके हैं, उपनेता सदन तो पुराने वकील हैं और वित्त मंत्री जी का भी यह पेशा रहा है। पेशे से मेरा मतलब और कुछ नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह देखें कि जो अख्तयार पहले जज खफीफा को थे, जो मुन्सफों को नहीं दिये जाते थे वे अख्तियार आज अदालती पंचायतों को दे दिये गये हैं। महात्मा गान्धी ने भी पंचायतों की कल्पना करते समय जो लेख लिखा था उसमें निश्चित रूप से लिखा था कि दीवानी का अख्तियार इनको नहीं दिया जायगा लेकिन उत्तर प्रदेश का कांग्रेस दल गान्धी जी से आगे बढ़ चुका है और गान्धी से ज्यादा प्रगतिशील है जिसने दीवानी का ५०० रुपये का अख्तियार उन पंचायतों को दिया है। दाखिल खारिज करने का अख्तियार जो १९४७ के पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत दिया गया था वह वापस ले लिया गया। बाप की जगह बेटे का नाम लिखने का अख्तियार पंचायत को नहीं दिया गया है लेकिन ५०० रुपये तक का अधिकार उनको दे रहे हैं।

मैं एक बार पहले अर्ज कर चुका हूं और दोहराना ठीक नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिये महज इशारा काफी होता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिये इशारा काफी नहीं होता है और बार-बार कहने पर भी कोई बात उनके पल्ले नहीं पड़ती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि गांव का प्रधान होता है एक गांव का और सचिव होते हैं ५ से ८ गांव तक के। कहीं ऐसा सुना गया कि गवर्नर साहब तो हैं एक प्रदेश के और उनके मुख्य मंत्री हैं ८ प्रदेशों के। यू० पी० में जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि पंजाब में गये हैं। जब वहां पता लगाया तो पता चला कि बंगाल गये हैं और जब लखनऊ में पता लगाया तो पता चला कि बम्बई गये हैं। एक स्वांग बना रखा है। इस तमाशे को बन्द कीजिये और गांवों को सचमुच ताकत दीजिये। गांव से लगान कौन वसूल करता है यही अमीन जो आठवीं और दसवीं कक्षा से ज्यादा योग्यता रखने वाले नहीं होते हैं और उनके जो चपरासी होते हैं वह भी उसी गांव के रहने वाले होते हैं जो आमतौर पर पढ़े होते हैं। तो क्या गांव की पंचायत लगान वसूल नहीं कर सकती है? माननीय राजस्व मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं मैं चाहता हूं कि वे मेरी बात गौर से सुनें। मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात से इन्कार है कि ७५ फीसदी से ज्यादा अभिलेखों में गलती है। उनको खुद इस बात की इत्तिला होगी कि सारे प्रदेश का यही औसत है लेकिन आज तक वह ७५ से ७४ नहीं कर सके। अगर यही हाल रहा तो लाखों करोड़ों रुपया मुकदमेबाजी में गांव के किसानों का जायगा। दाखिल खारिज और सही इंदराज के सिलसिले में बड़ा अत्याचार और अनाचार गांव में होता है। कहीं ऐसा कानून नहीं है कि जमीन हमारी हो, लेकिन हिसाब उसके लिये सरकार का सही माना जाय। मिल्कियत हमारी, लेकिन हिसाब दूसरे का माना जायगा कि वह प्रमाणित है। उनके हिसाब में जो लिखा हुआ है, सही है और जिसमें किसान को बिना बताए हुए, बिना उसकी इत्तला के जो चाहे जोड़ दें, चाहे जो काट दें, या लिख दें। यह क्या है? अगर देश और प्रदेश की दशा को सुधारना है तो प्लान और योजना का केन्द्र गांव के स्तर पर ले जाना होगा। गांव में तभी उमंग होगी कि जब गांव वाले जमीन के मालिक बनेंगे, जब ग्राम पंचायत लगान वसूल करेंगी, खाता और खतौनी लिखने का अधिकार उनका होगा, दाखिल खारिज वह खुद करेगी। यदि इस प्रकार की गांव पंचायतें बनायी जाय तो काम चल सकता है। लेकिन यहां पंचायतें कितने लोगों की है। कम से कम १६ और ज्यादा से ज्यादा २४ सदस्य होते हैं। वह नगरपालिका जहां २५, ३० हजार की आबादी होती है, डेढ दो लाख का सालाना बजट होता है उसके लिये २० सदस्य होते हैं, लेकिन एक छोटे से गांव के लिये १६ आदमियों की पंचायत होती है। गरज यह है कि किसी तरह काम न होने पाये। नीति है कि वास्तविक अधिकार उनको न दिये जायं।

इसके अलावा हमारे देश और प्रदेश का गांव का नागरिक सरकारी अफसरों के बोझ से दबा जा रहा है। जहां पहले एक पटवारी होता था, कभी कभी डिप्टी साहब दौरा करने

जाया करते थे या कभी-कभी पुलिस का कोई अफसर पहुंच जाता था आज आधे दर्जन आदमी आये दिन उनके सर पर सवार रहते हैं। इस तरह से कहीं काम चला है। सोचिये कि कितना रुपया खर्च किया, कितनी नहरें खोदी, कितने अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन मामला जहां का तहां। मैं आपको बतलाऊं, तालाब बख्शी में एक सेमीनार हुआ। बड़े-बड़े व्यक्ति तथा माननीय सदस्य वहां निमंत्रित किये गये और समस्या यह थी कि गांव वालों का सहयोग तरक्की के कामों में कैसे लिया जाय। बड़े-बड़े विद्वानों ने भाषण दिये, उसूल की बातें कही गयी। मैं भौंचक्का रह गया जब मुझे कहा गया कि तुम भी बोलो। मेरी समझ में ही नहीं आया कि बोलूं क्या। पूछा गया कि आखिर बात क्या है, मैंने कहा कि सवाल यह है कि गांव वाले हमारा सहयोग कैसे करें उत्थान के काम में, निर्माण के काम में या प्रश्न यह है कि हम कैसे गांव वालों को सहयोग दें। मैं तो विकास की परिभाषा यही समझता हूं और यही मेरे दिमाग में था और यही मैंने तमाम सरकारी किताबों में पढ़ा था कि हम गांव वालों को कैसे सहयोग दें, लेकिन यहां तीन घंटे से बहस हो रही है कि कैसे उनका सहयोग लिया जाय। कहां सफलता हुई है कि काम हमारा हो और सहयोग दूसरा कोई हम से मांगने आये। अगर हमारा काम है तो दूसरों का सहयोग मुझको मांगना चाहिये। और यह हुआ वहां जहां प्रदेश के बड़े बड़े महानुभाव बैठे हुये थे। जैसा दस्तूर है उसके बाद वहां दावत भी हुई। मुझसे कहने लगे कि बात तो तुम ने ठीक कही लेकिन यह गांव वाले समझते नहीं। जरा गौर कीजिये, क्या गांव वाले नाबालिग हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें अधिकारियों के हवाले कर दिया और कहा कि जाओ उन पर हुकूमत करो। डेमोक्रेसी की परिभाषा यह है कि गवर्नमेंट आफ दि पीपुल, बाई दि पीपुल, और फार दि पीपुल। लेकिन यह सरकार जनता के लिये तो है किन्तु उनके द्वारा इसका संचालन नहीं है। गांव वाले नाबालिग हैं सरकार अभिभावक है वह समझदार है, उनकी बात को अच्छी तरह समझती है।

इसके अलावा मैंने अभी कहा कि सरकारी कर्मचारी पर बहुत बोझ है। उसकी दिक्कतें हैं, जिनका मुझे पूरा अहसास है। मैं जानता हूं कि उनके काम में रोड़े अटकाये जाते हैं, मैं जानता हूं कि आज बड़े-बड़े अधिकारियों की हैसियत एक डिगनीफाइड हेडक्लर्क की हो गयी है। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी योजनायें हैं सरकारी कर्मचारियों का यह काम है कि वे जो कार्य हैं उसको करें। आज असली गलती हुक्म देने वालों की है। उनको कोई अन्दाज नहीं है काम का। जो नीचे से लिख कर जाता है उसी पर कार्यवाही होने लगती है। कभी-कभी जब मुझे माननीय मंत्रिओं की सेवा में जाने का इत्तफाक होता है तो देखता हूं कि वे किसी न किसी काम में फंसे रहते हैं। मान्यवर, महात्मा गांधी जी ने सन् १९३७ में एक लेख लिखा था 'बर्न दि फाइल्स' यानी फाइलों को जला दो। मिनिस्टर का काम काम लेना है काम को करना नहीं। मगर यह लोग खुद ही सब काम को करना चाहते हैं।

मुझे खेद है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी चले गये। स्कूलों को महोदया कुछ ग्रान्ट मिलती है इमारत के सिलसिले में। हाई स्कूलों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में १,५५० हो गयी है। इस ग्रान्ट की मंजूरी माननीय मंत्री स्वयं करते हैं। पहले जब इनकी संख्या २५० थी तो मंजूरी शिक्षा संचालक द्वारा होती थी यदि माननीय मंत्री जी किसी की मदद करना चाहते थे तो वे डाइरेक्टर से कह दिया करते थे लेकिन आज उन पर इनका भरोसा नहीं रह गया है और उसे स्वयं ही करते हैं।

दूसरी बात गौर करने की यह है कि जब २५० स्कूल थे तो इमारतों के लिये जो ग्रान्ट मिलती थी वह १ लाख थी और आज जब उनकी संख्या १,५०० के करीब है तो वह ३ लाख हो गयी है, गत वर्ष डेढ लाख ही थी। स्कूलों की संख्या ६ गुनी बढ़ गयी, ईंट और चूने की कीमत भी ७ गुनी और ८ गुनी तक हो गयी, लेकिन ग्रान्ट में बढ़ोत्तरी केवल एक लाख से तीन लाख ही हुई है जब कि उसी औसत कम से कम ३६ लाख होनी चाहिये थी। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में बड़ी भारी रिआयत की गयी है । उनकी तनख्वाहों में ४ रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है । यह रिआयत की गयी है । जो पहले ३६ पाता था उसे ४० मिलने लगेंगे और जो ४१ पाता था उसे ४५ मिलने लगेंगे, हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों का भी वेतन जिनका १०० रुपया से कम है ४ रु० मंहगाई दी गई है । माननीय वित्त मंत्री ने अपने बयान में कहा कि ७० रुपये तक महंगाई ५ रुपये थी, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि ८० रुपये तक ढाई रुपये है, वे इसकी जांच करा लें । मान्यवर, आप गौर करें कि जीवन निर्वाह का व्यय बढ़ा है ३५ फीसदी और बढ़ोत्तरी की गयी केवल ४ रुपये की यानी १० फीसदी । जो कुछ बोझ आज करके तथा कीमतों के बढ़ने के कारण उन पर पड़ा वह इस बढ़ोत्तरी से कहीं ज्यादा है । केन्द्रीय सरकार ने जो कर लगाये और इस सरकार ने जो कर लगाये उससे जीवन निर्वाह का व्यय और बढ़ गया है ।

इसलिये माननीया, आज आवश्यकता इस बात की है कि एक (वेतन आयोग) 'पे कमीशन' की नियुक्ति की जाय । आज केन्द्रीय सरकार का जो कर्मचारी लखनऊ में रहता है उसका कम से कम वेतन ७० रुपये और इस सरकार का कर्मचारी पाता है उससे कहीं कम । प्राइमरी स्कूल का अध्यापक रहता है वह उससे भी कम पाता है । तो यह सब क्या है ? जब तक यह असमानता दूर नहीं होगी तब तक देश के निर्माण के कार्य में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती ।

सरकार की योजना है और स्कूल खोलने की उसको मुबारक है लेकिन भूलना नहीं चाहिये और माननीय वित्त मन्त्री को अपने पुराने शिक्षा मन्त्रित्व काल का शिक्षा के कार्य का तजुर्बा निजी तौर पर है, कि वह देखें कि कितने विद्यार्थी असफल होते हैं और कितनी पाठशालायें ऐसी हैं जहां सज्जा नहीं है, कितनी ही पाठशालायें ऐसी हैं जहां पर पुस्तकालय नहीं है बहुत सी ऐसी पाठशालायें हैं जहां पर बैठने का स्थान नहीं है । मास्टरों की तनख्वाह कम, १०० रुपये से अधिक पाने वाले की सरकारी महंगाई नहीं । भूखे मास्टरों द्वारा, जहां पर बैठने का स्थान न हो वहां पर क्या हम शिक्षा में प्रगति की आशा कर सकते हैं । मैं बस्ती जिला के माननीय सदस्य से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यदि वे मुझे सुनने की कृपा करें तो मैं उनका विशेष आभार मानूंगा । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पाठशालाओं की क्या दशा है । नये स्कूल खोलिये लेकिन पुराने स्कूलों में जो आये दिन झगड़े होते रहते हैं मास्टरों और विद्यार्थियों में उनको दूर कीजिये और ठीक प्रकार से उनको सुसज्जित कीजिये तो मुझे यकीन है कि ज्यादा अच्छी सेवा हो सकेगी और ज्यादा लोग लिख पढ़ सकेंगे क्योंकि यातायात की सुविधा अब पहले के मुकाबले में ज्यादा है । लोगों में पढ़ने-लिखने की इच्छा भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा है । लेकिन यह लक्ष्य अधिक स्कूलों के खोलने से पूरा नहीं हो सकता बल्कि जो मौजूदा स्कूल हैं उनकी दशा को सुधारने से पूरा हो सकता है । हालत यह है कि इस वर्ष डेफिसिट ग्रान्ट हायर सेकेन्डरी स्कूलों को नहीं दी गई जोकि पहले ७०,८० साल के कार्यकाल में हर साल, कमी पूरी हो इसलिये दी जाती थी लेकिन इस साल नहीं दी जायगी । फीस की माफ़ी की पुरौती सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हायर सेकेन्डरी स्कूल में पढ़ते हैं दो साल से नहीं हो सकी ।

छठे दर्जे की फीस सरकार ने माफ की उसकी पुरौती करने के बजाय धौल धप्पे की बात, मुझे ऐसा शब्द इस्तेमाल करते अफसोस होता है लेकिन इससे कमजोर शब्द दिखाई नहीं पड़ा जिसे इस्तेमाल करता । ग्रान्ट में शामिल कर दिया । आठवीं तक लड़कियों की फीस माफ की है । महोदया, आपके जिले में भी लड़कियों के स्कूल होंगे । इसमें यह हाल होगा कि दो हजार रुपये का नुकसान होगा तो सरकार ६२५ रुपये दे देगी और वह भी साल के अन्त में । अध्यापकों को वेतन समय से नहीं मिलेगा । फिर ऐसी हालत में शिक्षा की प्रगति के लिये क्या आशा की जा सकती है । मैं चाहता हूं कि दिखावट के कामों को भुलाकर वास्तविकता पर आइये । इतना फैलाव करने की आवश्यकता नहीं है । यह तो मान्यवर, वही मसल हुई कि किसी के घर में है आटा एक मन, वह सौ आदमियों को खिला सकता है लेकिन वह दावत दे हजार आदमियों को और नतीजा यह हो कि एक एक आदमी को एक एक तोले की रोटी पड़े और सभी भूखे चले जायं ।

सभी के भूखे रहने से काम नहीं चल सकता। इसलिये जरूरत है कि फिर से काटिये छांटिये मदों को। मुझे इसमें कोई डर नहीं है। लोग कह सकते हैं कि दकियानूसी बात कह रहा है। नये स्कूल खोलने के बजाय पुराने स्कूलों की दशा को सुधारिये और नये आदमियों के बजाय जिनको कम तनख्वाह देनी पड़ेगी, पुराने आदमियों को ठीक से तनख्वाह दीजिये और उनसे ज्यादा सेवा लीजिये। मंगलकारी राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि एक बार पुनः सारी योजना पर विचार किया जाय।

(इस समय २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये)

अब मैं अधिक समय न लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी, जो कि स्वास्थ्य मन्त्री भी हैं, को स्वास्थ्य के बारे में उन आंकड़ों को बतलाना चाहता हूं जिनसे मालूम होगा कि पांच वर्ष में ७२ अस्पताल खुले पूरे सूबे में और इस काल में १,२०० पलंगों की संख्या बढ़ी यानी फी जिला २१-२२ की संख्या पड़ी। जहां तक टी० बी० के मरीजों का सम्बन्ध है, माननीय मुख्य मंत्री का कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा, जिस दिन वे लखनऊ में रहें, कि कोई न कोई मरीज उनकी सेवा में उपस्थित होकर यह न कहे कि हमें मदद दीजिये, अस्पताल में हमारे लिये जगह नहीं है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि टी० बी० के मरीज यदि आमतौर पर घूमें, फिरें, जनसाधारण से मिलें, होटलों में बैठें, उससे बड़ा भारी खतरा पैदा होता है। यह समस्या बढ़ती है। थोड़े दिन की बात है। मुझसे कहा गया कि टी० बी० के मरीज को अब अस्पताल में भरती होने की जरूरत नहीं है, एक बड़े आदमी ने यह कहा मैंने उनसे कहा कि क्या यह बात आस्ट्रिया या इंग्लैंड के लिए तो नहीं कह रहे हैं। वहां हर आदमी को रहने की वे सहूलियतें प्राप्त हैं कि उसके खाने के बर्तन व रहना-सहना घर ही में सारे परिवार से अलग हो सकता है। लेकिन भारत में जहां एक परिवार के लिये शहरों में एक कोठरी भी प्राप्त नहीं है वहां टी० बी० की बीमारी और अधिक फैलती है। आज की दशा में चन्द रईस आदमियों को छोड़कर ऐसे रोगियों की अस्पताल में भर्ती बहुत जरूरी है, अस्पतालों में अधिक पलंगों की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। सारे कामों को छोड़कर इसे प्राथमिकता देनी चाहिये। यह शर्म की बात है कि हमारे यहां टी० बी० का मरीज १०० या ५० रुपये की मदद के लिये मंत्री या सदस्यों के पास दौड़ता है कि उसे ५० रुपये दिलवा दिये जांय कि वह बिना दवा के है।

इस प्रदेश में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां कैंसर की अच्छी से अच्छी चिकित्सा प्राप्त हो सके। यह माननीय मुख्य मंत्री को मालूम ही होगा इसकी बहुत आवश्यकता है।

मैं नहीं जानता कि पागलों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन सरकारी कागजों को उलटने से शुबहा होता है कि वृद्धि जरूर हुई है क्योंकि इस किस्म के आंकड़े जिनका कोई आधार नहीं है, वे सही दिमागवालों की अलामत नहीं हो सकते। लखनऊ में एक साईकेट्रिक सेंटर है जिसमें ५०० रुपये माहवार का खर्च एक मरीज का है। सैकड़ों आदमियों को उससे फायदा होता है। लेकिन सरकार की तरफ से उसे कोई मदद नहीं दी जाती। माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत करीब का सम्पर्क स्वास्थ्य विभाग से है। सरकार के लिये जहां यह आवश्यक है कि भरपेट रोटी की व्यवस्था करे और जहां २० गज कपड़े का औसत है और एक स्त्री को साल में ४ धोतियां भी नहीं मिलती हैं, जहां ८० फीसदी आबादी को जाड़े में ऊनी कम्बल या रुई का लिहाफ प्राप्त नहीं होता है, वहां कम से कम इलाज की व्यवस्था तो सरकार करेगी। यदि वह ऐसी व्यवस्था करेगी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ेगी।

एक बात और कहने के पहले, छींक तो ठीक मौके पर हुई है, मैं यह अर्ज करूंगा कि इस सरकार का बड़ा भरोसा है परिवार नियोजन पर। मैंने बहुत कोशिश की कि फेमिली प्लानिंग पर कुछ साहित्य प्राप्त करूं। कुछ ऐसा साहित्य प्राप्त भी हुआ जिसकी कम से कम मुझे निजी तौर पर देखने की आवश्यकता नहीं थी। मैं यह अर्ज करूंगा कि फेमिली प्लानिंग का तजुर्बा इटौंजा के पास कुछ गांवों में प्रोफेसर बलजीतसिंह ने प्रोफेसर राधाकमल मुकर्जी की देखरेख में किया है। बर्थ कन्ट्रोल से पापुलेशन के रेट में कोई कमी नहीं है। अगर वह अगले ५ या १० साल में सफल भी हो जायें तो इस साल में आबादी बढ़ेगी उसमें कोई कमी नहीं हुई है

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मुख्य मंत्री जी ठीक कहते हैं कि इस मामले में निजी तजुर्बा उनका और हमारा बराबर है। मगर मैं यह चाहता हूं कि आज जो बातें उनकी सेवा में और उनकी सरकार की सेवा में प्रस्तुत की हैं वह देखें सही तौर पर देखें ठीक चश्मा लगाकर देखें ठीक इरादे से देखें तो वह पायेंगे कि जो बातें मैंने अर्ज की हैं वे सब सही हैं। इनफेंट मार्टेलिटी कम हुई है। लेट मैरिजेज, गरीबी, समाज के दबाव और विकास के कारण अब होने लगी हैं। अगर बर्थ रेट में जरा कमी आई भी तो डैथ रेट में भी कमी होगी। इससे यह बात सिद्ध है कि आबादी जिस औसत से बढ़ रही है उसी औसत से बढ़ती जायगी। तो प्लान करना चाहिये भविष्य के लिये। सरकार को अपनी योजना ऐसी बनानी चाहिये जिससे प्रदेश की जनता को वास्तविक फायदा हो और जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में सहूलियत हो।

हर बजट भाषण में जिक्र आता है कि एक अल्यूमिनियम की फैक्ट्री खोली जायगी सिथेटिक रबर की फैक्ट्री खोली जायगी। फैर्टीलाइजर की फैक्ट्री खोली जायगी। ईश्वर जाने कब ये लगेगी लेकिन सुनते सुनते कान भी पक गये। जब भी खुलें इनसे प्रदेश की बेकारी समस्या हल होने वाली नहीं है। खादी का मन्तक था और आज भी है कि गांववालों को उनके फालतू वक्त में रोजगार दीजिये और जब तक यह नहीं होगा तब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती।

मैं, मान्यवर, आदरणीय सदन का और माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरी बात को गौर से सुना और मान्यवर का जिन्होंने मुझे अपनी बात को पूरी तरह से रखने का अवसर दिया कृतज्ञ हूं और अपनी कृतज्ञता सबके प्रति प्रकट करता हूं। (श्री सीताराम शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—नियम के अनुसार आपको अधिकार है कि समय निर्धारित कर दें भाषणों का। कर दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है वह शुक्ल जी के बाद लागू होगा। आपका क्या सुझाव है?

श्री मदन पांडेय—नेता सदन और नेता विरोधी दल के लिये कोई समय निर्धारण न हो और मंत्रिगण और अन्य नेताओं के लिये ३० मिनट हों और अन्य सदस्यों के लिये २० मिनट।

श्री उपाध्यक्ष—और कोई सुझाव?

(कोई और सुझाव न आने पर)

पिछले साल नेताओं के लिये आधा घंटा और आम तौर पर माननीय सदस्यों के लिये १५ मिनट रखे गये थे। विशेष अवस्था में अध्यक्ष को तो अधिकार है ही। इस लिये मैं समझता हूं कि पिछले साल का तरीका ही अपनाया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से विरोधी दल के नेता के व्याख्यान को सुना और सोचता था कि कुछ मतलब की बात मिलेगी। लेकिन आपका व्याख्यान सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई। माननीय नेता विरोधीदल स्वयं तो दूसरों को नसीहत देते हैं लेकिन दूसरे वक्त वही काम खुद करने लगते हैं। क्योंकि भाषण सुनने के बजाय वे भी कोई दूसरा काम कर रहे हैं 'खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत'।

श्री उपाध्यक्ष—वे रिपोर्टर से बातें कर रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—उन्होंने कहा है कि जब तक देहात की ओर ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक हमारी सही तरक्की नहीं हो सकती। यह उन्होंने सही बात कही कि जब तक किसान अपनी जमीन को अपना नहीं समझेगा तब तक मन लगा कर काम नहीं करेगा लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जमीन पर किसानों का कब्जा और

समाजवाद दोनों साथ-साथ चलेंगे । क्या किसान की आजादी समाजवाद के साथ-साथ चलेगी ? लेकिन ऐसा नहीं है । जब समाजबाद आयेगा उस वक्त सारी जमीन की मालिक सरकार होगी और किसान मजदूर होगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह—किसान मालिक होगा ।

श्री सीताराम शुक्ल—आपका निजी समाजवाद कोई दूसरा होगा । मैं तो उसका अर्थ यही समझता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार सारी जमीन की मालिक होगी और किसान मजदूर होगा । मैं तो स्वयं दिल से यह चाहता हूं कि किसान को ज्यादा अधिकार हो और वह जमीन का मालिक बने ।

दूसरी ओर सरकार की शिकायतें उन्होंने की किन्तु शिकायतें तो उससे भी अधिक की जा सकतीं हैं । शिकायत करना तो आसान होता है । गीता में भगवान ने कहा है—

"सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।
सर्वारम्भाहि दोषेण धूमे नाग्निवृत्ता यथा ।।"

जितने भी कर्म होते हैं वे दोषपूर्ण होने पर भी नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि जिसमें कोई न कोई खराबी न हो । जहां आग होगी वहां धुआं भी होगा। मेरी गुजारिश यह है कि सिर्फ शिकायत करना काफी नहीं है उसके साथ-साथ सुझाव भी देना चाहिये । लेकिन उनके पूरे भाषण में कोई सुझाव नहीं आया । कुछ शिकायतें मैं भी सरकार से करूंगा लेकिन उसके साथ-साथ अपने सुझाव भी उसके सामने रखूंगा ।

मेरी गुजारिश यह है कि किस प्रकार पैदावार बढेगी । इस तरफ ध्यान कम गया है क्योंकि बजट में एक भी आइटम ऐसा नहीं है जिसके द्वारा साम्प्रदायिकता को मिटाने का प्रयत्न किया गया हो । आज अपने मुल्क में गल्ला कम है जयादा नहीं दिया जा सकता । कपड़े की कमी है तो कपड़ा ज्यादा नहीं मिल सकता, मजबूरी है । लेकिन हुजूरवाला, जहां पैसे की जरूरत भी नहीं है वहां भी तो पूरा नहीं हो रहा है एक भाई दूसरे का दुश्मन बना हुआ है यह आज का अखबार साम्प्रदयिकता से भरा पड़ा है । साम्प्रदायिकता मिटाने के लिये तो पैसे की भी जरूरत नहीं है ।

पैदावार बढाने की भी जरूरत नहीं है, इसको हम आसानी से मिटा सकते हैं लेकिन हमें अफसोस है कि गवर्नमेन्ट का ध्यान उधर नहीं गया है और हमारे नेता विरोधी दल ने भी उधर ध्यान आकर्षित नहीं किया है । आज क्या हो रहा है, मामूली मामूली बातों पर बलवे क्या इस तरह से आपकी पंचवर्षीय योजना पूरी हो सकेंगी जब तक यहां के रहने वाले इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझेगें तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती है । अगर यहां के किसान या कुछ लोग यह समझें कि आज है कल यहां नहीं रहना है तो किसी हालत में भी आपकी योजना पूरी नहीं हो सकेगी ।

कितने अफसोस की बात है कि हमारे यहां होली दिवाली ईद बकरीद के दिनों में भी पुलिस तैनात होती है । मेरी प्रार्थना है कि बन्दूक से साम्प्रदायिक एकता को नहीं लाया जा सकता है । पुलिस के द्वारा झगड़े नहीं मिट सकते हैं । क्या आप समझते हैं कि फौज की बन्दूक के जरिये किसी के ख्यालात को बदल देंगे ? मेरा खयाल है कि अंग्रेजों ने प्रोपेगेंडा करके अपनी हुकुमत कायम रखी । भाई से भाई को लड़वाया और साम्प्रदयिकता । को कायम रखा और आप समझते हैं कि बन्दूक के जोर से आप इस चीज को खतम कर देंगे अगर आप यह समझते हैं कि जो साम्प्रदायिक हैं उनमें से कुछ लोगों को नौकरी दे देने से वह कौम खुश हो जायगी या उनको मिनिस्टरी दे देने से उनकी बिरादरी खुश हो जायगी तो यह बिलकुल गलत बात है । अगर कोई आदमी शिकायत करता है कि उसके साथ

[श्री सीताराम शुक्ल]

इन्साफ नहीं किया गया है या वह तादाद से ज्यादा नौकरी की मांग का विरोध करता है तो उसको कम्युनल कह दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि जो अपने मुल्क के प्रति वफादार नहीं है वह भाग जाय लेकिन इस तरह की धमकी से वह ठीक नहीं होगा।

श्रीमन्, मैंने दो किताबें लिखी जिसके लिये मैं पैसा नहीं लेता मुफ्त नजर करता हूं आप भी उसे पढ़ लें। मौलाना हुसेन अहमद मदनी साहब ने भी मेरी किताब की भूमिका लिखी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मैंने नजर किया है और पंडित पंत तथा और भी कई नेताओं ने उस सम्बन्ध में लिखा है वे किताबें हैं 'मुसलमान और वफादारी' तथा हिन्दू राज और मुसलमान। मैंने साफ लिख दिया है कि हिन्दू दृष्टिकोण से भी मुसलमानों के साथ अच्छा वर्ताव क्यों होना चाहिये और मुसलमानों को क्यों वफादार होना चाहिये। लेकिन धमकी से या बन्दूक से वह नहीं करायी जा सकती। आज मुसलमान कहते हैं कि हिन्दुस्तान में रहते हुए हम यहां के नागरिक नहीं समझे जाते। उनका कहना है कि हमारे ऊपर हिन्दी लादी जाती है, हिन्दू अफसर हमारी उपेक्षा करते हैं हमें कोई नौकरी नहीं मिलती इस तरह से हम अपने ही घर में विदेशी हैं।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—श्री मन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल—लेकिन गुजारिश है कि शिकायत क्यों है? इसका जवाब दिया जा सकता है और बात रीजनेबिल है। समझाया जा सकता है, अक्ल है तो उसका जवाब देकर राय को बदला जा सकता है। लेकिन झगड़े की जड़ तो ऊपर है। अगर राजा गलती करता है तो काम खराब होता है, यह कबूल करना चाहिये। हमारे लीडरों की गलती है। अफसोस यह है कि वह जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, जिस चीज का उनसे ताल्लुक नहीं वह भी वह करते हैं, ताल्लुक है डिप्टी कलेक्टर का जज का, कलेक्टर का या कमिश्नर का लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब उसको देखते हैं। आखिर एक आदमी कितना काम कर सकता है। कोई हद तो उसकी होनी ही चाहिये। राजा कालस्य कारणं—राजा समय को बनाता है, वक्त राजा को नहीं बनाता।

एक ब्राह्मण का लड़का मर गया था। वह राजा रामचन्द्र जी के पास पहुंचा और उनसे जाकर उसने कहा कि यह कैसे मर गया, मेरा कोई अपराध नहीं है आप इसके जिम्मेदार हैं। इस पर उन्होंने यह नहीं कहा कि यह मेरी गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि हां, मैं जिम्मेदार हूं, और मैं उसका उपाय करूंगा। क्यों यह तमाम झगड़े होते हैं, क्यों हर एक को अपने को सबसे बढ़ कर समझता है? इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार शरीफ पर है। यह झगड़ा दिल्ली से शुरू होता है जहां से टिकट दिये जाते हैं, प्रदेश से पहुंच कर किसी के नाम की जगह किसी और को टिकट दे दिया जाता है। मिनिस्टर कौन बनता है। एक आदमी पर सारी चीज का दारोमदार है, उसकी त्योरी बदल गई मिनिस्ट्री चली गई वह खुश हो गये तो सब कुछ बन गया। एक आदमी है जिसके ऊपर हर बात चलती है। पंडित जी कहते हैं कि मैं कम्युनलिज्म को निकाल दूंगा। धमकी से राय या खयाल बदलना कहां तक ठीक है?

हमारे यहां बचपन से यह खयाल बने हुए चले आते हैं कि चूंकि हम हिन्दू हैं या हम मुसलमान हैं, अथवा हम ईसाई हैं इसलिये ऊंचे हैं। लेकिन किसी खास घर में पैदा होने से ही कोई हिन्दू अथवा मुसलमान या ईसाई नीचा ऊंचा नहीं हो जाता। एक ब्राह्मण के घर पैदा होने के बावजूद भी कोई दगाबाज, बेईमान और खराब आदमी किसी भी पढ़े लिखे ईमानदार मुसलमान या ईसाई से बेहतर नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर कोई ईसाई

है या मुसलमान है और उसके चरित्र खराब हैं तो वह उस हिन्दू से जो कि ईमानदार और समझदार है उससे अच्छा नहीं है। तो किसी खास घर या मजहब में पैदा हो जाने से ही कोई छोटा या बड़ा अथवा अच्छा या बुरा नहीं होता।

इसी तरह से हिन्दी और उर्दू की बात है। हिन्दी यहां की राष्ट्र भाषा है उसकी उन्नति होनी चाहिये। और हमें उर्दू से भी कोई नफरत नहीं है। लोग हिन्दी उर्दू दोनों पढ़ें बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उर्दू की फारसी लिपि बहुत कठिन है बिना वजह बच्चों पर कई भाषाओं का बोझ डालने से कोई लाभ नहीं होगा। वह लिपि वैज्ञानिक नहीं है। जो अखबारों में उर्दू लिपि छपती है वह पहले हाथ से लिखी जाती है। किताबें छापने में भी बहुत दिक्कत होती है। कवर का फोटो छापने की दूसरी मशीन है तथा पत्थर पर अक्षर अलग छपते हैं तब कहीं जाकर किताब तैयार होती है। इस छपाई वगैरह की दिक्कत के कारण भी वह कम्पीटीशन में अन्य भाषाओं की किताबों के सामने रुक नहीं पाती। यही वजह है कि मुस्तफा कमाल पाशा ने अपने यहां से इस लिपि को निकाल दिया। लेकिन फिर भी मेरी राय है कि जो उसे पढ़ना चाहें वह पढ़ें, उर्दू की तरक्की हो। लेकिन सरकारी काम दो जबानों में कैसे हो सकता है ?

आज हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अंग्रेजी लदी हुई है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह भाषा के सम्बन्ध में जो फैसला हुआ है उसको कार्यान्वित करायें। आर्डर है कि काम हिन्दी में होना चाहिये लेकिन यहां के अधिकारी उसकी अवहेलना करते हैं, आपके आर्डर के खिलाफ काम करते हैं लेकिन कर्मचारी उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आप दूसरों से क्या आशा कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि कर्मचारियों को इस विषय में ठीक दिशा में चलने के लिये मजबूर किया जाय। मैं बता दूं कि मैंने खिदमत की है, अगर लिटरेचर देखा जाय। जब हिन्दू मुस्लिम दंगा हो रहा था उस समय हिन्दुओं ने हवाई जहाज में बैठाकर मुसलमानों को पाकिस्तान और हिन्दुओं को मुसलमानों ने पाकिस्तान से हिन्दुस्तान पहुंचाया था।

हिन्दुस्तान के अन्दर से भी बैठकर मुसलमानों को वहां पहुंचा दिया गया। हमें नाज है माननीय एम० पी० महावीर त्यागी पर। महावीर त्यागी जी मुसलमान के घर में घुस गये और छत पर चढ़ कर चिल्लाने लगे कि हिन्दू भाइयों अगर मुसलमानों को मारोगे तो मैं मुसलमानों के घर में फंस गया हूं, वह मुझे मार डालेंगे, मेरी जान बचाना चाहते हो तो उन्हें मत मारो। तो रीजन दिया जाय तो गलतफहमी दूर की जा सकती है। आजादी की लड़ाई में दोनों साथ थे। बिगुल बजा कि जेल चलो तो हिन्दू ही नहीं गये मुसलमान भी जेल गये थे। फांसी के तखते पर दोनों ही झूले। अन्दमान में खाली हिंदू ही नहीं गये, मुसलमान भी गये थे। सन १४ में महात्मा गांधी सरकार के वफादार थे। मौलाना आजाद ने बगावत की थी। लिहाजा कुछ के गलत होने से सबको बुरा कह देना ठीक नहीं है।

गलती की जायगी तो भोगना पड़ेगा। दो गुन्डों ने गलती की जबलपुर में। उसके बाद जुलूस निकला। नतीजा क्या हुआ? उस पर ढेले फेंके, बलवा हुआ। तो मेरी गुजारिश यह है कि गलती का नतीजा भोगना पड़ेगा। मैं पढ़े–लिखे मुसलमानों या हिन्दू दोस्तों को बतलाना चाहता हूं कि एक की गलती का नतीजा कइयों को भोगना पड़ेगा। गोडसे ब्राह्मण था। उसने गांधी जी को गोली मारी और उसके बदले में तमाम ब्राह्मण मारे गये। आप कहें कि हम अलग रहें, यह नहीं हो सकता। एक गुन्डे की गलती का नतीजा आप को भोगना पड़ेगा। एक गांधी जी की भलाई का नतीजा हुआ कि सारा हिन्दुस्तान आजाद हो गया, हिन्दुस्तान का दुनियां में नाम हो गया। गोडसे की एक गलती की वजह से हिन्दुस्तान के नाम पर कलंक लग गया। श्रीमन, टाइम कम है। मैं जल्दी से खत्म करता हूं। तो पार्टी बाजी से ऊपर उठना पड़ेगा। इलेक्शन लड़ने तक गलती हो गई तो हो गई। यहां बैठ जाने के बाद हर मेम्बर एम० एल० ए० हैं। मुल्क का भला कसे होता है, संसार का भला कैसे होता है अब हमें यह देखना है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

मेरे पास मेरे एक रिश्तेदार आये कैरेक्टर सार्टीफिकेट के लिये। मैंने कहा कि यह लिख सकता हूं कि तुम मेरी बिरादरी के हो, बी० ए० पास हो। उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। मैंने उनसे कहा कि खाना हाजिर है, चाय हाजिर है, ठहरिये। किन्तु चरित्र का प्रमाण-पत्र मैं नहीं दे सकता। किन्तु दो दिन के बाद इस मिनिस्ट्रिल ग्रुप से उन्होंने लिखा लिया कि बहुत अच्छे आदमी हैं, हर काम को कर सकते हैं। लाकर मुझे दिखाया कि तुमने नहीं लिखा लेकिन मैं बड़े आदमी से लिखा लाया हूं। मैंने कहा कि मेरी अक्ल मोटी है, वह होशियार और दूरन्देश हैं, वह लिख सकते हैं। आप झूठे करेक्टर सार्टिफिकेट लिखेंगे, गलत सिफारिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कलेक्टर, थानेदार और दूसरे कर्मचारी ठीक हों, तो यह नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारी अच्छे हों तो पार्टीबाजी से ऊपर उठिये। अच्छे रास्ते पर चलें तो अब जब कांग्रेस को निकाल कर बाहर कर दिया तो कम्युनलिज्म को निकाल देना मुश्किल नहीं है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप तो कुर्सी पर बैठे हुये हैं, मुबारक हो कुर्सी, मोटर और बंगला। लेकिन बहुत से पोलिटिकल सफरर्स के लिये आज खाना नहीं है। पंडित राम कुमार जी त्रिपाठी जो कांग्रेस कमेटी के मन्त्री रह चुके हैं, श्री ज्योति शंकर जी दीक्षित जो सन् १९२४ और २५ में उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस के मन्त्री रह चुके हैं, वे आजकल बीमार हैं, दवा का ठिकाना नहीं है, इन्जेक्शन के लिये नुस्खा है लेकिन दवा नहीं हो रही है। पोलिटिकल सफरर्स आज भी नंगे पैर घूमते हैं पंडित जवाहरलाल जी ने कहा इलाहाबाद में कि पोलिटिकल सफरर्स क्यों मांग करते हैं किसी को बदला नहीं मिलेगा यह पहले कह दिया गया था। अखबारों में छपा, मैंने पढ़ा। मैंने अखबार में एक लेख लिखा। पता नहीं पंडित जी ने पढ़ा या नहीं। मैंने लिखा था कि पार्टीबाजी बन्द करनी चाहिये यह तो आप से बहुत सुना। लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन जी को प्रेसीडेंट न रहने देने के लिये कौन जिम्मेदार है? आप कहते हैं कि पार्टीबाजी से ऊपर उठना चाहिये। श्री सुन्दर लालजी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वह घूम रहे हैं जबकि उनके चेले कुर्सियों पर बैठे हैं। यह सही है कि कांग्रेस ने कहा था कि बदला नहीं देंगे लेकिन फिर भी पैसा दिया जाता था। गुप्ता जी, रफी साहब जेल में रह कर भी बाहर के लोगों को इमदाद करते थे फीरोज गांधी बम्बई से पैसा मांग कर लाते थे और देते थे, एक बहुत बड़े लीडर को ५०० रुपया माहवार स्वराज्य से पहले देते थे, यह बात स्वराज्य से पहले की थी। उसके बाद कुछ आदमी यहां बैठें और कुछ उनके साथियों के पैर में जूता न हो, मैं नहीं कहता उनको ज्यादा पैसा मिले लेकिन रोटी कपड़ा तो मिले। उनसे प्रचार का काम लीजिये। जो बुड्ढे हो चुके हैं लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको सूचना अफसर बनाइये तब देखिये कि वे इन नये एम० ए०, बी० ए० पढ़े लिखे लड़कों से कितना अच्छा काम करते हैं। यह लड़के क्या काम करेंगे "जाके पैर न फटी बिवाई वह क्या जाने पीर परायी।" इन लड़कों को क्या मतलब कौन खुश होता है और कौन नहीं। मेरा कहना है कि किसी पार्टी का पोलिटिकल सफरर हो उसके पैसा दीजिये रोटी दीजिये। भाई को सता कर भाई आराम से नहीं रह सकता।

जिस समय युधिष्ठिर स्वर्ग में गये तो फाटक पर द्वारपाल ने रोक दिया और कहा कि आप तो स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन कुत्ता आपका नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसको हम कैसे छोड़ दें? और उन्होंने स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया। तो किसी शायर के शब्दों में द्वारपाल ने "दास की परवाह हो, अपने ऐश की परवाह न हो। देख कर उसको दरे बैकुन्ठ क्यों करवा न दो।" बड़ी खुशी से दोनों बैकुन्ठ में चलिये। मेरी गुजारिश है कि वे तो अपने कुत्ते का भी लिहाज करते थे परन्तु अपने साथी को भी भूल गये कहा कि अपने भाई की मदद कीजिये और उसकी गरीबी दूर कीजिये। उसके बाद सामप्रदायिकता मिटेगी और पैदावार बढ़ेगी। तब न सिर्फ अपने मुल्क दुनियां को भी फायदा पहुंचाइये। मैं निराशावादी नहीं हूं। गुलामी के बाद परेशानी होनी ही थी, हो रही है, हम मुकाबला करेंगे और सफल होंगे

में उम्मीद करता हूं कि जो भाई नुक्ताचीनी करेंगे वह साथ में रास्ता भी बतायेंगे । आखिर में हुजूरवाला, जो आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका मशकूर हूं ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में अपने विचार कुछ प्रकट करना चाहता हूं । राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में इस बात की तरफ संकेत किया था कि जो बजट पेश होने वाला है उसमें बहुत सी बातें इस प्रदेश की तरक्की के लिये बताई जायेंगी जिस से किसानों तथा गांवों की उन्नति हो सकेगी । मैंने जब वित्त मंत्री जी के भाषण को पढ़ा तो मुझे निराशा ही हुई । उसके अन्दर कोई ऐसी नई बात नहीं आई जिससे प्रदेश के गांवों के सुधार की कोई स्कीम बनाई गई हो । बल्कि एक जो सुविधा सिंचाई की दर में थी वह भी खतम कर दी गयी, जो रियायत पहले थी वह अब नहीं रखी गई ।

कुछ थोड़ी सी २, ४ रुपये की बढ़ोत्तरी अध्यापकों के लिये की गई । आजकल जो दशा अध्यापकों की है वह सब को मालूम है । १९५९ में करीब ढ़ाई रुपये की बढ़ोत्तरी हुई थी । मुझे जहां तक याद है आज तक जिला बोर्ड के अध्यापकों को वह बढ़ोत्तरी नहीं मिली है । यही नहीं उनकी ५, ६ महीने की तनख्वाह अब तक बाकी पड़ी है । एक अध्यापक जिसका नाम हरी शंकर था वह मर गया और उसको खाने तथा दवा दारू के खर्चे तक के लिये पैसे नहीं मिले । तो इस बढ़ोत्तरी के कर देने से क्या फायदा है जब तक उसके वितरण की पूर्ण व्यवस्था सरकार न करे ।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायें ? कोरम नहीं है । यह बार-बार कोरम नहीं हो रहा है । मैं सरकारी पक्ष का ध्यान दिलाऊंगा कि वह इस संबंध में सतर्क रहे वर्ना यह सदन की राय मानी जायगी कि वह कार्य करने को तैयार नहीं है ।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—हाल ही में गोंडा जिले में एक प्राइमरी पाठशाला सडवा गुलरहिया प्रधान अध्यापक थे जिनको ५, ६ मास से तनख्वाह नहीं मिली थी वे भूख तथा बीमारी के कारण मर गये फिर भी कोई ध्यान अन्तरिम जिला परिषद् गोंडा ने नहीं दिया । न अब तक उनके वारिस को बकाया वेतन ही मिला न प्रोविडेन्ट फंड का रुपया तो इस तरह से बढ़ोत्तरी में जो कुछ किया जाता है वह कागजी रहता है । वह कार्यान्वित नहीं हो रहा है । तो माननीय वित्त मंत्री को उनके वेतन वगैरह को देने में जो कमियां हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिये और उस पर भी प्रकाश डालना चाहिये था ।

श्रीमन्, प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को बढ़ाने की ओर भी संकेत किया गया है लेकिन इस अभिभाषण में तथा बजट को देखने से ऐसा मालूम हुआ कि प्रदेश में अब तक जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें कितने ऐसे हैं जिनमें कोई बालकों के पढ़ने की जगह नहीं है । तो स्कूल खोलने से ही समस्या का हल नहीं होता । जब वे स्कूल आकर्षण ढ़ंग के रहेंगे तभी बच्चे पढ़ने की ओर अग्रसर हो सकेंगे । अन्य देशों में प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है वह सर्व विदित है । किस तरह से वहां भवन है, बाग, बाटिकायें है जिससे ग्रामीण बच्चों को पढ़ने का प्रलोभन होता है । लेकिन यहां लू और धूप में मैदानों में बच्चे पढ़ते हैं और यहां यह सरकार कोई विशेष अनुदान उनको देने के लिये तैयार नहीं है । लिहाजा जहां वित्त मंत्री ने प्राइमरी स्कूलों को बढ़ाने की ओर संकेत किया था वहां साथ ही साथ इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये जहां स्कूल भवन नहीं है । वहां भवन बनाये गये । ब्लाक हेडक्वार्टर पर हायर सेकेंन्डरी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । करोड़ों रुपया हम विकास के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो क्या गांव वालों को इतना अधिकार नहीं है कि वे अपने बच्चों को हायर सेकेंन्डरी तक शिक्षा दे सकें । लेकिन इस अभिभाषण में कोई भी इस बात का संकेत नहीं है और न कोई इस बजट में इसका प्राविजन रखा गया है कि ब्लाक पर हायर सेकेन्डरी स्कूल होगा ।

[श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह]

जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनके लिये भी ब्लाकों के अन्दर कोई ग्रान्ट नहीं दी जाती है ताकि वे भवन निर्माण कर सकें और हाई स्कूलों के लिये भी कोई ग्रान्ट नहीं है । इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला और भाषण सुनने से मुझे बहुत निराशा हुई । देहातों की तरफ विशेष ध्यान देना है क्योंकि प्रदेश की अधिकांश जनता लगभग ८५, ८६ फीसदी देहातों में रहती है । जब तक गांव में सुधार नहीं होता तब तक असली सुधार नहीं हो सकता । महज बड़े शहरों में सड़कें बना देने से या गवर्नमेंट की जो सीट है वहां तरक्की दिखा देने से जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है । गांव की तरफ ध्यान दिया जाय ताकि प्रदेश की सर्वांगीण तरक्की हो सके ।

यह जो आंकड़ों की पुस्तक मिली है बुलेटिन नम्बर ५२ उसके कुछ अंश आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं । देहात की पर-कैपिटा इनकम जो है वह इस वर्ष घटी है और शहर की भी घटी है । इस पुस्तिका में यह लिखा है कि अनाज की पैदावार ज्यादा हुई और कैश क्राप भी ज्यादा हुई । सन् ५७–५८ में १०७.७, ५८–५९ में १२३.०, ५९–६० में १२३.० । कैश-क्राप भी १३.२० से बढ़कर १३८.३ हो गई । कैश-क्राप से देहात की इन्कम बढ़नी चाहिये लेकिन इस पुस्तक में कहा गया है कि आमदनी घट गई । तो इस घटने का क्या कारण है । इससे पता चलता है कि पैदावार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई । इस गलत आंकड़ों का कारण देखना हो तो आज के नेशनल हैराल्ड में जो कार्टून छपा है जिसमें यह लिखा है श्रीमन्नारायण जी ने जो कहा है कि खाद्यान्न के आंकड़े गलत हैं तो उसी तरह से यह भी यहां किया गया है । कोई बढ़ोत्तरी वास्तव में हुई नहीं है । करोड़ों रुपया सरकार का यों ही बरबाद किया जा रहा है । मैं कहता हूं कि जब तक कोई निश्चित पालिसी भूमि व्यवस्था के संबंध में सरकार नहीं अख्तियार करती कि कौन जमीन का मालिक होगा, कितनी जमीन किसके पास रहेगी, और किस तरह से खेती होनी चाहिये और साथ ही खाद्यान्नों का मूल्य किस ढंग पर होना चाहिये तब तक कोई कार्य वास्तविक हो नहीं सकता ।

मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि जब तक अनाजों का मूल्य नहीं निर्धारित हो जाता कि फलां किस्म के अनाज की फलां कीमत होगी मसलन जिस तरह से छोटे-मोटे उद्योग धंधों से तथा कारखानों से उत्पन्न की हुई चीजों के लिये मूल्य निर्धारित हो जाता है खर्चे और कुछ मुनाफा उस पर लगाकर उसी तरह जैसे वहां मूल्य निर्धारित हो जाता है यहां अनाज पर क्यों नहीं होता ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस संबंध में पालिसी नहीं बनाई जाती तब तक कोई शख्स क्यों अधिक अनाज पैदा करेगा ? उसे जब मुनासिब कीमत नहीं मिलेगी तो फिर वह काहे के लिये परिश्रम करेगा ? आज कोई भूमि-व्यवस्था के बारे में निश्चित पालिसी नहीं है । सी०एल० आर०डी० के आदेश से उनका खेत हुआ तो एक्जीक्यूटिव आर्डर रेवेन्यू विभाग का हुआ तो वह फलां खातेदार हो गया तब जो लगान मुनासिब आदमी जो है उसके ऊपर हो जाता है वह लगान बढ़ गया है । तो कोई न कोई तो निश्चित पालिसी होनी चाहिये । मैं नहीं कहता कि किसी की तरफ रियायत बरती जाय ख्वाह वह पुराने जमींदार हों या कोई हों लेकिन एक डिक्लेयर्ड पालिसी होनी चाहिये कि आप जमीन का प्रबन्ध इस प्रकार से रखेंगे । इस तरह से उनका भय जरूर निकाल देना चाहिये तभी जमीन के मामले में तरक्की होगी ।

आज खेती की तरक्की के लिये एक बहुत बड़ी जरूरत इस बात की है कि तकावी मैनुअल और रेवेन्यू मैनुअल जो अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिये । मुझे आशा थी कि बजट भाषण में जिक्र होगा कि भूमि कानूनों में सुधार होगा लेकिन इसमें नहीं है । मैं अर्ज करता हूं कि जितने भूमि संबंधी अभिलेख हैं तथा नियम हैं उनमें तब्दीली करने की जरूरत है ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके ।

श्रीमन्, आज बजट के देखने से मालूम होता है कि करीब ९ करोड़ और कुछ लाख रुपया प्रदेश के जन-स्वाथ्थ्य तथा चिकित्सा के लिये रखा गया है जिसमें अधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा सवारी आदि का व्यय भी शामिल है । श्रीमन्, इस प्रदेश की जन-संख्या शायद दस करोड़ के करीब हो गई है तो ९ करोड़ और कुछ लाख रुपये से क्या हो सकता है ?

इसको देखने की जरूरत है। श्रीमन्, जैसा कि मुझे अनुभव हुआ है और एक सवाल के जवाब में मालूम हुआ कि.....

श्री उपाध्यक्ष—दस करोड़ की आबादी १९६१ के सेंसस की बता रहे हैं या १९७१ की?

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—जी हां, इस सेंसस में दस करोड़ के करीब हो जायगी। इस प्रकार से श्रीमन् ५०० रुपया एक अस्पताल में दवा के लिये खर्च हुआ जब कि वहां का खर्चा करीब ३ ४ हजार का वेतन आदि पर होता है। यदि मितव्ययिता लानी थी तो यह सोचना चाहिये था कि इतना पैसा तो कम से कम दवा के लिये दिया जाय जितना कि अधिकारियों के ऊपर खर्च हो रहा है। ऐसी बात इस बजट के देखने में नहीं आई और न इसका कोई संकेत ही मिला जो मिलना चाहिये था।

श्रीमन्, देहात में यातायात की हालत बहुत ही खराब है और खास कर हमारे जिले में जो हालत है उसके बारे में तो कई मर्तबा यहां कह चुका हूं। आज सड़कों के आधुनिकीकरण के लिये पैसा रखा जाता है जब कि केवल पक्की-सड़कों से ही काम चल सकता है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि उनको तारकोल की बनाई जायं। उस पैसे को बचा कर देहात में जो कच्ची सड़कें हैं वह पक्की की जा सकती हैं लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सड़कों के आधुनिकीकरण की ओर तो ध्यान दिया गया है लेकिन देहातों की कच्ची सड़कों को लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। महज अन्न पैदा करने से या कुछ और चीजें कर देने से कुछ नहीं होगा। जब तक आवागमन के रास्ते दुरुस्त नहीं होते तबतक किसान बिचारा अपनी उपज मंडी में नहीं ले जा सकता है। इसी सदन में जिक्र आया कि लखीमपुर में धनिये की काफी अच्छी फसल हुई लेकिन यातायात का प्रबन्ध न होने के कारण उनको केवल १४-१५ रुपये मन ही बेचना पड़ा। ऐसे बहुत से स्थान हैं और हमारे यहां परगना सादुल्लानगर तथा बूढ़ापार के देहात हैं वहां पर उपज तो अच्छी पैदा कर सकते हैं लेकिन यातायात का साधन न होने के कारण वहां का सामान बाजार में नहीं लाया जा सकता है। अगर कोई किसान बिचारा बैल ले भी ले तो रास्ता खराब होने के कारण वे जल्दी ही मर जाते हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये था कि प्रदेश में यातायात की सुविधा देहात में ज्यादा हो जो इसमें नहीं है।

छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को लाने के लिये एक विशेष और व्यापक योजना होनी चाहिये थी। खास कर जब तक जमीन पर से भार नहीं हटता है तब तक प्रदेश की दशा सुधर नहीं सकती है। आज जिले में जो इंडस्ट्रीज तथा प्लानिंग विभाग हैं उनमें बहुत से अनुदान ऐसे जाते हैं जो समय पर नहीं पहुंचते हैं और अधिकांश रुपया लैप्स हो जाता है। इस-लिये श्रीमन्, वितरण का तरीका सरल होना चाहिये जिससे छोटे-छोटे उद्योग पनप सकें तथा जनता को समय पर सहायता मिल सके। इसी तरीके से प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के लिये बहुत से विभाग हैं जिला स्तर तथा प्रदेश स्तर पर, उनके कम करने की आवश्यकता थी जो नहीं है। आज देहात में हम मिसाल देना चाहते हैं, कि एक ही न्याय पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी है, लेखपाल है और ग्राम सेवक हैं। तीन-तीन जगहें तो उसी में हैं। काम सब का एक ही है। इन सब को इकजाई करने की जरूरत है। जैसा कि अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा एक सेक्रेटरी, ६, ७ ग्राम सभाओं का होता है और प्रधान अकेला होता है। अगर जो तीन तीन चार चार आदमी हैं उनको एक कर दिया जाय सभी प्रधानों को एक एक सेक्रेटरी मिल सकता है।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—कोरम नहीं है। सरकार जो दूकान लगाये बैठी है उसको बढ़ा दे तो अच्छा है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—श्रीमन्, इसलिए बहुत-सी जगह जिनका एक-सा काम है, आज उनको एकजाई करने की जरूरत है। मिसाल के लिए जिले में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर और जिला संख्या अधिकारी हैं। उनकी कोई जरूरत नहीं है। एक नायब तहसीलदार उस काम को देख सकता है। इसी प्रकार और फालतू जगहें हैं तो वह भी खत्म हो सकती हैं। इससे भी सरकार की बचत हो सकती है।

मेरा एक यह भी सुझाव है कि भू-अभिलेख गांवों में रहने चाहिए जिससे हर एक किसान अपनी जमीन के अभिलेखों की नकल पा सके। आज उसको बड़ी परेशानी होती है। उसको बार-बार तहसील में जाना पड़ता है। इसलिए पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल और ग्राम सेवक को एक कर दिया जाय, बल्कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया जाय तो काफी बचत हो सकती है। एक ही काम के लिए ग्राम सेवक, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, कानूनगो, तहसीलदार और एस० डी० ओ० के पास जाना पड़ता है इसका भी रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिससे प्रदेश का काफी पैसा बच सकता है।

पशु चिकित्सा के लिए जो धनराशि बजट में रखी गयी है वह बहुत कम है। जिले में जहां मेले होते हैं यह पशु बाजार होती हैं, वहां पर अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए। मगर न वहां स्टाफमैन है और न अस्पताल की व्यवस्था है। इस पर भी अभिभाषण में कोई खास बात नहीं रखी गयी है बल्कि व्यय अधिक बढ़ा दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो यह अनियमितताएं हैं उनको सुधारा जाय और ऐसा कार्य किया जाय जिससे प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में जहां पशु बाजार लगती है का उत्थान हो और इस प्रदेश के पशुधन का अधिक से अधिक कल्याण हो।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस शुभ अवसर पर, जब कि हमारे माननीय मंत्री ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का पहला बजट पेश किया है, मैं उस बजट का स्वागत करता हूं और विशेष कर उन अच्छी बातों का स्वागत करता हूं, जो माननीय मंत्री जी ने इस बजट में पेश की हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन में जो बढ़ोत्तरी अपनी तंग आय के द्वारा करने की सरकार ने कोशिश की है, साथ ही प्रदेश में बालिकाओं को आठवें दर्जे तक निःशुल्क शिक्षा देने का बजट में प्राविजन किया है, महिला अध्यापिकाओं को गांव में जाने के लिए उनको भत्ता देने का प्राविजन किया है, साथ ही जो उन्होंने मेडिकल आफिसर, पी० एम० एस० २, जिनकी यह मांग थी कि उनका स्केल रिवाइज किया जाय, अरसे से यह मांग चली आ रही थी, जिसके कारण ऐसा अनुभव हो रहा था कि गांवों में इसी कारण डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते, उस पुरानी मांग को पूरा करने का जो प्रयास मंत्री जी ने किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं यहीं पर यह कह देना चाहता हूं कि जिन कार्यों की मैं प्रशंसा कर रहा हूं मैं यह खुद समझ कर चलता हूं कि यह इतने अधिक सन्तोषजनक नहीं हैं लेकिन फिर भी चूंकि सरकार की टेंडेंसी इस ओर एक कदम आगे बढ़ने की हुई इसलिए अवश्य ही मैं समझता हूं कि वह धन्यवाद की पात्र है।

अभी-अभी माननीय नेता विरोधी दल जो यहां नहीं हैं उन्होंने अपनी प्रथम स्पीच में यह बात उठायी कि जो सरकार है वह बजट को जब पेश करती है तो उसमें साधारणतया वह घाटा दिखाती है और होता ऐसा है कि जब साल पूरा होता है तो वह मुनाफे का बजट हो जाता है। उन्होंने इस तरह से एक चार्ज हमारे वित्त मंत्री जी के ऊपर किया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश होते हैं वह इस तरह होते हैं कि साल में जो नकद के रूप में सरकार के पास आने वाला है उसके आंकड़े देख कर के यह बजट एस्टीमेट्स सदन के सामने पेश किये जाते हैं। यह उसमें नहीं निहित होता कि साल की वर्किंग के दौरान में मेटीरियल के रूप में या और रूप में जो बच रहता है और आ जाता है उनका इसमें कोई विश्लेषण नहीं होता। इसलिए इससे कोई घबराहट की बात नहीं

होनी चाहिए जो सरकार इस वक्त बजट पेश करती है वह घाटा दिखा कर के कोई लाभ पैदा करना चाहती हो सरकार का कोई ऐसा मंशा नहीं होता। इस सम्बन्ध में मैं श्री एस० के० राव का एक कोटेशन भी पेश कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है--

"At the same time this estimate is based on the figure available at the time of preparation of the budget and therefore, cannot show the correct position. Moreover, it is based on cash transactions and does not take into account the opening and closing stock, accrued income and outstanding liabilities."

तो इस से यह बात साबित हो जाती है कि यह मेरी नहीं एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है--जिन शब्दों में मैंने इसको पेश किया है उसको समझने की कोशिश की जायगी तो माननीय त्रिलोकी सिंह जी का जो भ्रम है उसका समुचित उत्तर मिल जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय त्रिलोकी सिंह और माननीय रघुरनतेजबहादुरसिंह दोनों भाइयों ने यह बहुत बड़ा आक्षेप किया कि जो यह बजट पेश है या जो सरकार है उसने कोई भी कदम गांवों की इकोनामी को सुधारने के लिए नहीं उठाया है। माननीय त्रिलोकीसिंह जी की तो बहुत ही निराशापूर्ण स्पीच मैंने सुनी। बार-बार एक भर्राई आवाज में एक मर्सिया सा वह पढ़ रहे थे कि जैसे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी नाउम्मेदी उनको न मालूम कैसे पैदा हो गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस बजट को देखा जाय और पिछली जो दो योजनायें अपने यहां गुजरीं उनको देखा जाय तो उन्हीं दो के देखने से एक सड़क पर चलने वाला जिसके आंखें न हों वह भी देख सकता है कि हम कितना इस बजट को या इन स्कीम्स को गांवों में कार्यान्वित कर रहे हैं। आज गांवों में करीब-करीब प्रदेश की आधी आबादी को, उनकी लाइफ को इस बजट के कार्यों ने नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के द्वारा टच कर लिया है। तो क्या मैं समझूं कि जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के द्वारा गांवों की जिन्दगी में परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है वह तथ्य नहीं है ? अगर वह तथ्य नहीं है तब तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं लेकिन अगर वह तथ्य है और तथ्य है, सभी आदमी इसको जानते हैं, तो आखिर इस फैक्ट से बाहर बात करने का क्या मंशा हो सकता है वह खुद इसका फैसला करें, मैं इसमें अपनी राय क्या रख सकता हूं ? उन्हीं पर छोड़ता हूं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि प्रदेश की पैदावार को बढ़ाने के लिये सरकार बराबर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जरा भी इस ओर पैदावार बढ़ाने के लिये कदम नहीं उठाया गया। मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर आंकड़ों में जाऊंगा तो उससे इस असेम्बली में झगड़ा पैदा हो जायगा उन्होंने कहा कि सरकार को इस बजट साल में कम से कम १३५ लाख टन तक अनाज के उत्पादन में पहुंचने की आशा है। तथा बजट वर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य ८ लाख ७३ हजार टन नियत किया गया है। अभी खुद श्रीमन्नारायण अग्रवाल जी, जो नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के सदस्य हैं, उनका भाषण निकला था। उसमें उन्होंने दो संस्थाओं से प्राप्त अन्न उत्पादन के लिये देश के आंकड़ों से जो साबित किया है उससे कुछ कन्फ्यूजन हो गया है इसलिये मैं आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन आंकड़ों के बाहर भी आज प्रदेशीय सरकार ने बराबर यह कोशिश की है कि गांवों में अन्न का उत्पादन हो। जापानी तरीके से धान की पैदावार को बढ़ाने का तरीका अपनाया गया है। गेहूं की पैदावार को देशी और विदेशी ढंग से बढ़ाने का तरीका अपनाया गया है। उनको विदेशी खाद देकर और पानी देकर उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है....

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि क्या कोई सदस्य चयर की तरफ पीठ कर के इस सदन म खड़ा हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह उचित नहीं है कि चेयर की तरफ पीठ करके कोई माननीय सदस्य खड़ा हो ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारी पद्धतियां किसानों को तरक्की देने के लिये और उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिये इस प्रदेश में अपनाई जा रही हैं। दो तीन साल से हर रबी और खरीफ की फसल में कैम्पेन चलाये जाते हैं। करीब १० हजार ग्राम सहायकों को इस प्रदेश में इन फसलों में उत्पादन बढ़ाने के लिये ट्रेनिंग दी गई है। आखिर यह सब बातें क्या हैं? इन बातों को निगाह से ओझल क्यों किया जाता है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

साथ ही साथ इसी बजट भाषण के अंश को पढ़ा जाय तो पता चलेगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ५० लाख मन अच्छा बीज, ५ लाख १० हजार टन नाइट्रोजन फरटिलाइजर और लगभग १ लाख टन फास्फेट फर्टिलाइजर बांटने का प्रस्ताव है। यह जो प्रयास है आखिर इसका कुछ प्रभाव खेत पर पड़ेगा या नहीं? मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इन आंकड़ों को बिलकुल गलत भी मान लिया जाय जो कि सरकार देती है तब भी मैं किसी संन्सेबिल आदमी से पूछता हूं कि इन उपायों का असर किसी खेती पर जायगा या नहीं? आखिर उनका असर आउट पुट पर पड़ेगा या नहीं और उससे एक दो परसेन्ट पैदावार बढ़ेगी या नहीं? अगर उसका असर होगा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह कैसे कहा जाता है कि जो सरकार प्रयास कर रही है अन्न उत्पादन के लिये उससे कुछ पैदावार बढ़ने वाली नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जिस प्रकार से माननीय त्रिलोकीसिंह जी और माननीय रघुरनतेजबहादुर सिंह जी ने कहा कि गांव की दशा सुधारने के लिये और गांव की जमीन पर जो बोझ है उसको हटाने के लिये कोई प्रयास नहीं है, इसको मैं समझ नहीं सका। मैं समझता हूं कि गांव की जमीन का बोझ हटाना कोई आसान काम नहीं है। यहां पर ७४ फीसदी लोग खेती पर गुजारा करते हैं। उन लोगों को वहां से हटाकर दूसरे उद्योगों में लगाना होगा। तभी यह भार कम हो सकता है। इतना आसान काम यह नहीं है जितना वह समझते हैं। उसके लिये बहुत से साधनों की जरूरत होगी। फिर भी अगर देखा जाय जैसा कि इन फीगरों से मालूम होता है कि ३२६ नये उद्योग यूनिट स्थापित हो चुके हैं और ५०० उद्योग यूनिटों के लिये लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है मैं समझता हूं कि थोड़े समय में यह सब उद्योग प्रदेश में लग जायंगे। साथ-साथ मैं यह भी देख रहा था कि जो मौजूदा सरकार है उसने करीब-करीब हमारे प्रदेश में ४,९२८ से बढ़ा कर ९,९२८ तक ऐसे गांवों तथा नगरों की संख्या कर देने का इरादा किया है कि जिनमें बिजली उपलब्ध हो सकेगी। जब गांवों में यह बिजली उपलब्ध हो जायगी तो जाहिर है कि गांव के रहने वाले व्यक्ति उस बिजली के सहारे कुछ न कुछ उद्योग धंधे करने की कोशिश करेंगे और उनसे भूमि पर से बोझ हटेगा और उन लोगों को दूसरी जगह काम में लगाया जा सकेगा।

यह भी प्रश्न उठाया गया कि चीन में बड़ी जल्दी प्रगति हो गयी और हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने दबी आवाज से चीन की बड़ी प्रशंसा की। कहा कि वहां भूमि क्रान्ति इतनी अच्छे तरीके से हुई कि हम देखते ही रह गये और अफीमची लोग हम से बाजी मार ले गये। मैं नहीं समझता कि जब चीन की बात यहां पेश हो तो उसके साथ उन तमाम सब बातों को भी यहां पेश करना जरूरी हो जाता है कि जो वहां हैं, वहां की जो स्थिति है उसे भी यहां रखना जरूरी हो जाता है। वहां की पोलिटिकल स्थिति क्या है? एक प्रकार से वहां डिक्टेटरशिप कायम है। वहां कोई मजदूर स्वतंत्र नहीं है कि वह अपनी मर्जी से कहीं दूसरी जगह चला जाय। मैं समझता हूं कि उस बात के साथ वहां की पोलिटिकल कंडीशन्स, स्वायल कंडीशन्स और दूसरी बातों को यहां रखना जरूरी है ताकि पता चल जाय कि हर जगह स्थिति एक-सां नहीं है। एक साथ सब बातें रखनी चाहिये ताकि लोग सही जजमेंट ले सकें, जान सकें कि वास्तव में जो बात कही जा रही है कि चीन ने इतनी जल्दी पैदावार बढ़ा लिया और हम नहीं कर पा रहे हैं इसमें दोष किसका है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर चीन के डेवलपमेंट की बात कही जाय तो उस के साथ वह बात यहां रखना जरूरी है।

साथ-साथ यह भी कहा गया कि भूमि क्रान्ति हो गई लेकिन जमीन का मालिक किसान को नहीं बनाया गया और आजतक किसान जमीन का मालिक नहीं बन सका । जब तक ऐसा नहीं होता तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकती । मैं नहीं समझता कि यह बात कैसे कही जाती है । जब जमींदारी इस प्रदेश में टूटी तो उसके बाद सबसे पहला डिक्लेरेशन यह हुआ कि जमीन का मालिक किसान होगा । कांग्रेस की तरफ से जो सिद्धांन्त डिक्लेयर किये जा रहे हैं वह यही हैं कि जो जमीन जोतेगा वही जमीन का मालिक होगा और इसी के तहत में सारे सुधार किये जा रहे हैं चाहे वह किसी भी कानून में हों । चाहे वह अधिवासी वाला कानून हो, लैंड सीलिंग का कानून हो, भूमि सीमा निर्धारण का अथवा चकबन्दी का कानून हो, सब में सिद्धांत यही माना गया है कि जो जमीन जोतेगा वही मालिक माना जायगा और मैं नहीं समझता कि इस सिद्धांत को समझने की कोशिश क्यों नहीं होती । इसकी कोशिश होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि इसके समझने के बाद इस बात की आशंका नहीं रह जायगी किसी व्यक्ति के मन में कि जमीन का मालिक किसान नहीं है । मैं समझता हूं कि जितना प्रयास कांग्रेस सरकार ने भूमि क्रान्ति के सिलसिले में किया है, जितनी शान्तिपूर्ण क्रान्ति इस सिलसिले में हुई है, शायद ही कहीं और ऐसा हुआ हो । रूस में भूमि क्रान्ति हुई, लेकिन वहां जमींदारों का उसके लिये कत्ले आम कर दिया गया । हमारे प्रदेश में जमींदार अपनी जगह पर बैठे रहे और रात में बारह बजे एनाउन्समेंट हो गया कि तुम्हारी जमींदारी खत्म । १२ बजे तक वह बटोरे हुये बैठे थे, लेकिन उसके बाद ही वह जमीन जोतने वाले की डिक्लेयर कर दी गई । और मैं समझता हूं कि जो जमीन का जोतने वाला है वही उसका मालिक है । जो रिवोलूशन इस प्रदेश में भूमि के संबंध में किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है चाहे उधर के कुछ सदस्य इसको पार्टी पालिटिक्स में फंस कर न माने ।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ (शोर) आर्डर, आर्डर, अब आपका समय समाप्त हुआ ।

***श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, अभी जो हमारे साथी भाषण दे रहे थे वे इतने उसमें मस्त थे कि आपकी बात तक को न सुन सके और आपको आर्डर, आर्डर कहना पड़ा । इसलिये मुझे कोई अफसोस नहीं है कि वे क्या कह रहे थे, उसको वे खुद भी नहीं समझ रहे थे कि वे क्या कह रहे हैं ।

उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा कि जो किसान जमीन को जोतता है वही उसका मालिक है । उनको यह तक पता नहीं कि जमीन का मालिक कौन होता है ? जमीन का मालिक वह होता है जिसे उस जमीन का कर न देना पड़े । मकान हम बनाते हैं और उसे किराये पर उठाते हैं तो वह मकान उस व्यक्ति का नहीं हो जाता, वह उसका मालिक नहीं हो जाता । मकान का मालिक तो जब होता है जब कि वह किराये के रूप में किराया न देता हो, तभी वह उसका मालिक होगा ।

अंग्रेजों के जमाने में जमीन सिद्धान्तः किसानों की ही मानी जाती थी । उस जमाने में भी वह किसानों से किराया लिया करता था । जो पुरानी किताबें हैं उनमें भी यही लिखा है कि भूमि किसान की थी । तो अगर आप यह समझते हैं कि जमींदारी एबालिशन के पश्चात् भूमि किसान की हो गई है तो आप उस जमीन का किराया मत लीजिये, मालगुजारी लीजिये । जितनी उसकी आमदनी हो उसी हिसाब से उससे मालगुजारी लीजिये । लेते आप किराया हैं और कहते हैं कि वह मालिक है । हम बार-बार कहते हैं कि जमीन का मालिक किसान को बना दीजिये, लेकिन आप उसको नहीं करते । उसका असर तो यह होगा कि जिस जमीन से कोई लाभ नहीं होता उससे आप कर नहीं ले सकते । शहरों में भी आपने एक मियाद रख दी है कि जब उतनी आमदनी से ज्यादा आमदनी होगी तभी उस पर कर लगाया जाता है । लेकिन किसानों के लिये ऐसी कोई मियाद नहीं रखी गई है । उनसे तो कर लिया ही जाता है । तो एक मुंह से आप कहें कि जमी न किसानों की है और दूसरी तरफ आप उनसे किराया लें तो यह बात आपकी हमारी समझ में तो आती नहीं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

अभी हमारे एक माननीय सदस्य, बस्ती, ने समाजवाद के संबंध में कुछ कहा । मुझे अफसोस है कि वे १०-१२ वर्षों तक कांग्रेस में रहने के पश्चात् भी यह नहीं समझ सके कि समाजवाद क्या चीज है ? उनको समाजवाद का अर्थ यह मालूम हुआ है कि स्त्रियां हमारी नहीं रहेंगी, बच्चे हमारे नहीं रहेंगे, जमीन हमारी नहीं रहेगी, घर भी हमारा नहीं रहेगा, यह सब सरकार का हो जायेगा । यह भ्रम उनको था जिसका मुझे अफसोस है और अफसोस इस बात का है कि इतने समय तक कांग्रेस में रहने के बाद भी वे समाजवाद को नहीं समझ पाये । वह पार्टी जो समाजवादी ढांचे में विश्वास करती है, उनको यह तक न बता सकी समाजवाद क्या है ? इसलिये मैंने उनका नाम लिया है ।

अब एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि बहुत जोर से हमारे साथी ने कहा है कि इतना प्रयास हम कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लाखों तरह की तरकीबें कर रहे हैं फिर भी देहात की दशा नहीं सुधरती तो फिर हमारा प्रयत्न कहां हो रहा है ? आपने सवाल ठीक पूछा कि करोड़ों और लाखों रुपया जो खर्च कर रहे हैं, मेहनत करते चले जा रहे हैं और मैं तो यह कहूंगा कि सरकार में दंगल मचाये हुये हैं, ६-६ महीने के लिये कुर्सी इधर-उधर कर रहे हैं ताकि किसानों का फायदा हो जाय फिर भी यह फायदा क्यों नहीं हो रहा है, यह आप पूछ सकते हैं ।

मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जरा पढ़ने की कोशिश करते, आपकी सरकार ने अभी अभी एक गांव का सर्वेक्षण किया है मुरादाबाद में जिसका नाम पंडित नगला है जिसमें १५३ घर बसते हैं । इस सर्वेक्षण के आंकड़े साफ-साफ बता देते हैं कि आपकी मेहनत का फायदा क्या है । उसमें लिखा हुआ है कि इस गांव में १५३ घर बसते हैं । यह एक्सटेंशन ब्लाक का गांव है जहां पर आपने १० वर्ष डेवलपमेंट का काम किया है । वहां पर ८८ फीसदी आदमी कर्जदार हैं । उन्होंने जो कर्ज भी लिया वह कोई इन्डस्ट्री वगैरह के काम के लिये नहीं लिया बल्कि इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि ७५ फीसदी कर्ज ब्याह-शादी, मरनी अर्थात् घर के कामों के लिये ही लिये । यह दशा है उस गांव की ।

एक ताज्जुब की बात और है कि सारा गांव कोआपरेटिव है, सभी कोआपरेटिव के मेम्बर हैं लेकिन ७० फीसदी कर्ज मनीलेन्डर्स से लिये गये, कोआपरेटिव सोसायटी में वह नहीं गये । तो यह नकशा है आपके प्रयत्नों का और करोड़ों रुपया खर्च करने का । अगर आप समझते हों कि पंडित नगला ग्राम की रिपोर्ट झूठ है तो मैं क्या कहूं, यह तो आपकी ही रिपोर्ट है । यह रिपोर्ट बतलाती है कि आपने दस बारह वर्ष में उस गांव के लिये क्या किया ।

अब सवाल यह है कि कुछ क्यों नहीं हुआ, इसके भी कारण हैं । यह मैं आपके आंकड़े से ही बतला रहा हूं । मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं जबकि अंग्रेज थे और सात करोड़ गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आया करता था बल्कि इधर दो तीन वर्षों की ही बात कर रहा हूं । आपने मालगुजारी की शक्ल में ६०-६१ में २१,८५ लाख रुपये का अनुमान किया और ५९-६० में २०,९१ लाख वसूल किया । दो वर्ष में आपने एक करोड़ की बढ़ौती राजस्व में दिखलाई है जोकि बहुत ही शर्मनाक बात थी । आप किसानों पर टैक्स लगाकर एक करोड़ की बढ़ौती करें और अपने कल्याणकारी राज्य का ढिंढोरा पीटें, यह निहायत शर्म की बात है । हां, एक करोड़ रुपया जो आपने पैदा किया वह ठीक ढंग से खर्च किया होता तो अफसोस नहीं होता । आपने उगाही पर ५९-६० में ५,४२ लाख खर्च किया और इस साल ६,६१ लाख खर्च करेंगे यानी एक करोड़ ज्यादा । एक तरफ आपने मालगुजारी में एक करोड़ ज्यादा कर दिया और दूसरी तरफ उगाही में एक करोड़ ज्यादा कर दिया । मालगुजारी वसूल करने वालों को तनख्वाह में आपने एक करोड़ ज्यादा दे दिया और एक करोड़ टैक्स ज्यादा लगा दिया किसानों पर । तो यह आमदनी कहां गई ? यह आपके आंकड़े बता रहे हैं कि एक तरफ आप किसानों से ले रहे हैं और उसको दूसरे ढंग से उन्हें लौटाने के बजाय नौकरशाही को दे रहे हैं । इसको देखकर एक किस्सा याद आ गया, छोटा सा किस्सा है । किसी आदमी ने एक

समाज में देखा कि उसके सदस्यों पर चन्दा लगा हुआ है। स्वभावतः उसने पूछा कि यह चन्दा क्यों लगा हुआ है तो समाज के मालिक ने कहा कि इसलिये लगा हुआ है कि एक नौकर रखा गया है, तब उसने पूछा कि नौकर क्यों रखा गया है तो उन्होंने कहा कि नौकर इसलिये रखा गया है कि चन्दा उगाह लाये। यही किस्सा आपका है। टैक्स आप इसलिये लगाते हैं कि नौकर आपको रखना है और नौकर आप इसलिये रखते है कि टैक्स आपको वसूल करना है।

अगर आप वास्तव में किसानों का फायदा चाहते हैं तो आप इस उसूल को मान लीजिये कि जमीन किसानों की है। उसके मानने का नतीजा यह होगा कि जो किसान गरीब है, जो लगान देने की हैसियत में नहीं हैं उनकी मालगुजारी माफ हो जायगी। इस तरह से आपका १०-१२ करोड़ रुपया कम हो जायगा। १५४ करोड़ के बजट में यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है।

दूसरी तरफ आप फिजूलखर्ची भी ज्यादा करते हैं जो शायद आपको मालूम नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में यह सुना जाता था कि पी० डब्लू० डी० का इंजीनियर २० प्रतिशत लेता था यानी १०० रुपये में से २० रुपये उसकी जेब में चले जाते थे और ८० रुपया उस काम पर खर्च होते थे। वह अब भी मौजूद है। २० के २५ और ३० हो सकते हैं लेकिन वह बात गयी नहीं है। लेकिन तब और अब में एक बहुत बड़ा फर्क है। वह यह कि पहला इंजीनियर अगर २ लाख का काम कराता था तो अब १८-२० लाख का काम होता है। यानी पहले से अब उसकी जेब में कई गुना रुपया अधिक जाता है। वही आपको यह बजट बना कर दे देता है और उन्हीं आंकड़ों को आप हमारे सामने रख कर खुश होते हैं। लेकिन यह नहीं समझते कि ये आंकड़े उसी के दिये हुए हैं जो रुपया कमाता है और हमको और आपको चक्कर में डालता है। आप उन आंकड़ों को समझते नहीं हैं। हम भी उनको इसलिये नहीं समझ पाते हैं कि उनमें बहुत सी गलत बातें हैं। असलियत यह है बहुत सा रुपया उसके पेट में चला जाता है।

आप बजट देखिये। हर साल आमदनी कम दिखायी जाती है और साल के अन्त में वह ज्यादा हो जाती है। खर्चा ज्यादा दिखाया जाता है, वह कम हो जाता है। डैफीसिट बजट सरप्लस हो जाता है। एक साहब ने कहा कि यह तो अनुमान है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आपका वह अनुमान ५० सालों से चला आ रहा है और एक ही दिशा में चला आ रहा है। वह यह कि आमदनी को कम करके दिखाया जाता है, वह अधिक हो जाती है, खर्चे को ज्यादा दिखाया जाता है, वह कम हो जाता है और डेफीसिट बजट सरप्लस में तब्दील हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि एक दो चीजें जो आपने बजट में लिखी हैं वे निहायत गलत हैं और उनका कोई उत्तर नहीं हो सकता है। अगर उनका उत्तर आप देते भी हैं तो यही कहा जायगा कि आपको उत्तर देने की बड़ी हिम्मत है।

अभी आपने यह कहा कि प्रारंभिक स्कूलों की तादाद बढ़ाई जा रही है। अगर उनमें पढ़ने वालों की तादाद बढ़ने जा रही है तब तो मुझे कोई ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन मेरा विश्वास है कि पढ़ने वाले लड़कों की तादाद उसमें उस अनुपात में नहीं बढ़ने जा रही है जिस अनुपात में ये स्कूल बढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जो आंकड़े मेरे सामने हैं, अगर दो वर्ष पहले के अध्यापकों और लड़कों की तादाद को देखा जाय और आज दो वर्ष बाद के उनके आंकड़े को देखा जाय तो उससे पता चलता है कि दो वर्ष पहले भी हर अध्यापक के ऊपर ३० लड़कों का औसत था और आज के आंकड़े के अनुसार भी हर अध्यापक पर ३० लड़कों का औसत आता है। वास्तविक बात तो यह होनी चाहिये कि वह स्कूलों में फैसिलिटीज इतनी बढ़ा देती, उन्हीं स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह इतनी बढ़ा देती कि उन्हीं स्कूलों के अध्यापकों के ऊपर लड़कों का लोड ३० के बजाय ४० या ४५ हो जाता तो आसानी से बिना ज्यादा खर्च

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

किए हुए आप अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते थे लेकिन ऐसा आप ने नहीं किया। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं इसको तो मैं नहीं जानता लेकिन एक बात मुझे जरूर मालूम होती है कि आप जो काम कर रहे हैं वह बिल्कुल उल्टा सा मालूम होता है।

गवर्नमेंट ने बड़ी बहादुरी के साथ इस बात का एलान किया है कि माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक जो १०० रु० से कम तनख्वाह पाते हैं उनको ४ रु० महंगाई भत्ता दिया जाय। ४ रु० महंगाई भत्ता देने का एलान करते वक्त पता नहीं आपको कोई शर्म मालूम हुई या नहीं—यह मुझे नहीं मालूम—लेकिन एक माध्यमिक शिक्षक होने के कारण जब मुझे मालूम हुआ कि सरकार बहुतों का पेट काट कर मेहरबानी करके मुझे तथा मेरे साथियों को ४ रु० मंहगाई भत्ता दे रही है तो वास्तव में मुझे शर्म मालूम हुई। इस बात से शर्म नहीं मालूम हुई कि आपकी दशा क्या है क्योंकि वह तो मुझे मालूम है, शर्म इस बात से हुई कि विद्या और शिक्षकों की इज्जत आपकी निगाह में क्या है तथा आप शिक्षकों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उनकी हालत आपकी दृष्टि में क्या है, उनकी इज्जत आपकी दृष्टि में क्या है, उसका पता इस बात से चलता है कि जहां आप डाक्टरों की तनख्वाह बेतहाशा बढ़ाते जा रहे हैं और इसलिये बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि वे देहातों में नहीं जा सकते हैं, वहीं पर आप उन्हीं देहातों में काम करने वाले माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को ४ रु० देकर सन्तोष करते हैं और सन्तोष के साथ ही साथ गर्व भी करते हैं।

इस बात से मुझे और भी ताज्जुब होता है कि जब पहले की सरकार कुछ तनख्वाह बढ़ाना चाहती थी वहां आप उसको और भी छीन लेना चाहते हैं जब कि आज की सरकार का यह धर्म होना चाहियें था कि उस समय की सरकार ने जो वादा किया था उसको देकर वह पूरा करती। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले की सरकार कैसी थी, वह अच्छी थी या बुरी थी लेकिन जैसा कि अभी विरोधी दल के नेता ने कहा वास्तविक बात तो यह है कि उस सरकार के जाने के बाद जब आप यहां विराजमान हुए तो आपने डेफिसिट ग्रांट का देना भी बन्द कर दिया है जिसका नतीजा यह है कि उस समय की सरकार ने जो वेतन वृद्धि की बात कही थी वह सब बिलकुल बेकार हो गयी।

कोई भी स्कूल इस सूबे में ऐसा नहीं है जो इस दशा में हो कि पहले वाली सरकार द्वारा एनाउंसमेंट किये हुए वेतन वृद्धि को किसी भी दशा में दे सके। उस वेतन वृद्धि का किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आपने इस साल से डेफिसिट ग्रांट देना ही बन्द कर दिया है। जब उस समय के माननीय मंत्री जी ने इस वेतन वृद्धि का एलान किया था तो किसी ने पूछा था कि इस डेफिसिट को कैसे पूरा किया जायगा, तो इसका जवाब दिया गया था कि इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेती है। जब सरकार २५ फीसदी, ५० फीसदी या ३/४ खर्च का भार अपने ऊपर उठाने के लिये कहती है तो उसको वह पूरा भी करती है। जब पहले वाली सरकार ने इस तरह का एलान किया था कि कमेटी पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा तो इस वक्त की सरकार को चाहिये कि वह पहले वाली सरकार के दिये हुए वादे को पूरा करे। उस समय के मंत्री जी ने बड़े जोरदार अल्फाज में कहा था कि हम उसका पूरा खर्चा बर्दाश्त करेंगे तो फिर क्या वजह है कि पहले वाली सरकार को २५ रु०, ५० रु० और ६० रुपये तक तनख्वाह बढ़ाई गयी थी उसको यह सरासर छीन रहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार अध्यापकों को इस प्रकार से क्या दे रही है। मैंने कैल्कुलेशन लगा कर देखा है कि एक हाथ से सरकार १०० रु० देना बन्द करके दूसरे हाथ से १० और ५ रुपये देना पसन्द करती है और उसके लिये अपने को मुबारकवाद की पात्र समझती है। अगर आज की सरकार यह सोचती है कि इसी से टीचर फले फूलेंगे और पहले वाली सरकार के वादे से नहीं फले फूलेंगे तो बात दूसरी है वरना मैं तो कहता हूं कि हमारी यह सरकार गलत है।

इसी सिलसिले में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं और वह यह है कि केन्द्रीय सरकार रुपया देती है शिक्षा के लिये और काफी रुपया देती है और वह इतना रुपया दे रही

है कि आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। पिछले साल में आपने ९ करोड़ रुपया शिक्षा के लिये जो मिला था वह खर्च नहीं किया। केवल एक शिक्षा विभाग में ९ करोड़ रुपया बिना खर्च किये रह गया। इसका क्या कारण है? क्या आप शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते, जबकि आप को केन्द्रीय सरकार मजबूर कर रही है फिर भी आप खर्च नहीं करते आप ने पिछले साल ९ करोड़ रुपया खो दिया।

एक ताज्जुब की बात यह मालूम हुई कि हमारे यहां अभीतक जितने भी देश में सूबे हैं, यू० पी० को छोड़ कर, यू० पी० ही एक ऐसा सूबा है कि जिसको यह गर्व है कि जिस का यह निर्णय है कि सेकेन्डरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाय और दिया जाय तो बहुत थोड़ा दिया जाय, देश के दूसरे सूबे अपने यहां के इन्हीं अध्यापकों को ३०–४० रुपया मासिक तक मंहगाई भत्ता दे रहे हैं। सब प्रदेशों में सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में अन्तर है लेकिन देश के गरीब से गरीब सूबे भी अपने यहां के लोगों को कुछ न कुछ महगांई भत्ता यहां से अधिक देते हैं और उतना ही देते हैं जितना कि और सरकारी कर्मचारियों को देते हैं। अगर किसी को गौरव प्राप्त है तो हमारा ही एक अकेला सूबा है कि वह इस में पीछे है। मेरी समझ से तो माननीय वित्त मंत्री जी को अपने बजट भाषण में इतना लिखना चाहिये था कि हम इस देश में सब से आगे हैं और सब से आगे इस बात में हैं कि आज की महंगाई में हमारी ही हिम्मत है कि हम अपने यहां अध्यापकों को महंगाई भत्ता नहीं देते हैं, और नहीं देंगे। शिक्षक पढ़ाये या न पढ़ायें, गरीब से गरीब कर्मचारी देहात में मरे या जिये लेकिन हम उसको महंगाई का भत्ता नहीं देंगे, केन्द्रीय सरकार देना चाहे दे। अगर इस गर्व को वह बजट भाषण में प्रकट करते तो हमें प्रसन्नता होती और उसके लिये हम आप का शुक्रिया अदा करते कि आप सच्चाई के साथ और इमानदारी के साथ इस बात को मानते हैं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी को भी हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने सन् ६१–६२ का आय-व्ययक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। जहां तक बजट की बात है यह ब्योरा साल के आय व्यय का हर वर्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह सदन उसको देखकर साल भर का आय-व्ययक पारित करता है। इस वर्ष भी हमारा सब का यह कर्तव्य है कि अपने विचार व्यक्त करने के बाद इस बजट को पारित करें ताकि जनता के सब काम चल सकें और सरकार के कामों में कोई किसी प्रकार की रुकावट न हो। हमें वह विचार इस सदन के समक्ष अवश्य रखने चाहिये कि जिन से जनहित में अधिक अच्छी तरह से हमारे कार्य आगे बढ़ सकें और इस बजट से जनता का लाभ हो सके। हो सकता है कि सरकार हमारे विचारों से सहमत होकर उन पर विचार करे और उन के अनुसार अपने कार्यों को सम्पादित करे।

मैंने बार-बार बजट भाषण को पढ़ा तो मालूम हुआ कि उसमें से हरिजनों का नाम ही समाप्त कर दिया गया है। एक शब्द भी उसमें हरिजनों के लिये नहीं है और यह समझ में नहीं आया कि बजट की कापियों में तो २––ढाई करोड़ का हरिजनों का बजट है लेकिन बजट भाषण में उसका कहीं जिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आप के द्वारा मंत्री जी से सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि जब हमने बार-बार इस सदन में कहा कि जहां तक भूमि का सम्बन्ध है––विरोधी दल के नेता भी कहते हैं, विरोधी दल भी कहता है और इधर बैठने वाले सदस्य भी कहते हैं परन्तु समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों नहीं ध्यान देती जो बंजर भूमि पड़ी है उसका सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया जाता? क्यों नहीं सहकारिता का आन्दोलन छेड़ने के लिये सारी पार्टियां प्रयत्न करतीं जिससे कि सहकारी खेती के द्वारा काम हो और गरीब-अमीर का सारा झंझट ही समाप्त हो जाय? जब-जब चुनाव आते हैं तो विरोधी दल भी किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

और मजदूर की बात करता है क्योंकि वोट की जरूरत होती है और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो कोई ख्याल नहीं रहता । तो जहां तक भूमि का सवाल है, कई बार हम कह चुके हैं कि सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि जितनी बंजर भूमि पड़ी हुई है इस प्रदेश में उस भूमि को उन खेतिहर मजदूरों को दिया जाय जो उसमें खेती करने के इच्छुक हों और उनके लिये हल, बैल, खाद, तथा पानी का पूरा प्रबन्ध हो ताकि उत्पादन में बाधा न आये । तो उससे प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा ।

जहां तक ग्रामों में इंडस्ट्री का प्रश्न है, आज तेली, लोहार, बढ़ई, चमार, जितने भी छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं उनमें कोई भी कार्य सरकार की तरफ से नहीं हुआ है । जो हुआ है वह सोसाइटी के द्वारा या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा दिखावटी रूप में चल रहा है । हम उनको वह सहयोग दें जो कि वह चाहते हैं कि और सरकारी कर्मचारी सही हों, दिखावटी न हों जो कि भत्ता बनाते हों, तो उन उद्योग धंधों को सफलता मिल सकती है । किन्तु आज ऐसा कार्य नहीं हो पाया है जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और बाजार में अपनी चीज बेचकर गुजर कर सकें और बेकारी दूर कर सकें । तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उद्योग धंधों में ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है । जो सेन्टर कायम हुए हैं इनमें देखिये सरकार की तरफ से इतना रुपया खर्च हो रहा है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है । प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जितने आर्गेनाइजर और ग्राम सेवक गये हुए हैं उनको गांव वाले किसान बता दें कि खेती कैसे होती है, वह तो जीपों में उड़े फिरते हैं । तमाम रुपया बरबाद होता है । इस ओर यदि आप ध्यान दें तो बहुत बचत हो सकती है ।

एक हरिजन सहायक डिपार्टमेंट है । उसका काम है लड़कों को छात्रवृत्ति देना । उसमें लाखों रुपया वेतन और भत्ते में बेकार जा रहा जब कि शिक्षा विभाग और इंडस्ट्रीज विभाग वह सहायता दे सकते हैं । हम बार-बार कहते हैं कि इसको तोड़ दो, हरिजनों के नाम पर यह कलंक है और इसमें रुपया बेकार जाता है, लेकिन वहां और ५२ हरिजन सहायक अधिकारी बढ़ा दिये गये हैं जिनकी पे २५०—३०० रुपये है । उनसे कोई फायदा नहीं है ।

(इस समय ३ बज कर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुए ।)

अध्यक्ष महोदय, आज १० वर्षों में हम देखते हैं कि जो आर्य समाज ने और कांग्रेस पार्टी ने काम किया और जो आज भी कर रही है, वह काम आज तक हरिजन कल्याण विभाग नहीं कर सका । महज छात्रवृत्ति देना, जिसके लिये हम सरकार के बहुत आभारी हैं, उसे शिक्षा विभाग पहले भी करता था जो इंडस्ट्री के लिये सहायता देनी है वह उद्योग विभाग भी दे सकता है तो हरिजन विभाग का क्या कार्य है ? उनकी बस्तियां प्लानिंग विभाग बना सकता है अतः हरिजन विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको समाप्त कर दिया जाय । ऊपर से ले कर नीचे तक इस विभाग में सवर्ण भरे पड़े हैं और सब रुपया बेकार जा रहा है । यदि आप इस विभाग को रखना ही चाहते हैं तो कृपा करके भजन मंडलियां कायम कीजिये ताकि उपदेशक गांव-गांव में, घरों-घरों में जायं और उपदेश दें । जब समाज कल्याण विभाग मौजूद है तो फिर हरिजन विभाग की मेरी समझ में कोई आवश्यकता नहीं है । मोटरों, जीपों और अफसरों की तनख्वाह में ही दो, ढाई करोड़ रुपया चला जाता है और हरिजनों का उससे कोई लाभ नहीं है । आज हरिजन लोग काफी तादाद में ईसाई बन रहे हैं, जो विदेशी धर्म के लोग हैं वे दवा देकर के लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और हरिजन विभाग वाले इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करते । जो कुछ काम किया है वह आर्य समाज और कांग्रेस पार्टी ने किया है और कर रही है । यह विभाग हरिजनों के उत्थान के लिये कुछ काम नहीं कर रहा है इसलिये मेरी राय में इसको समाप्त कर देना चाहिये । हरिजनों की मदद दूसरे विभाग कर सकते हैं ।

जहां तक उद्योग का सवाल है हरिजनों में उतने उद्योग स्थापित नहीं हुए जितना हम चाहते थे । इसका कारण यह है कि कर्जा लेने के समय हैसियत का प्रश्न उठाया जाता है । यह ठीक है कि जमींदारी उन्मूलन के द्वारा उनकी जमीन और घर अपने हैं लेकिन उसकी कोई

हैसियत नहीं मानी जाती है। उनको लोन नहीं मिलता जब तक कि दो जमानतें न दें। हम नहीं चाहते कि आप उन्हें अनुदान दें, कर्जा दीजिये लेकिन ऐसी सुविधा होनी चाहिये जिससे उनको रुपया उद्योग के लिये मिल सके और जो जमानत की बात है उस के हल करने का कोई साधन सरकार निकाले ताकि वह भी अपने को आदमी समझें।

मौदहा क्षेत्र को मैंने देखा। वहां के हरिजन यही नहीं जानते कि किसका राज्य है। उनकी बुरी दशा है। मुझे नहीं मालूम सरकार ने उधर ध्यान दिया कि नहीं। वे लोग जानवर की तरह रहते हैं। अतः यदि आप वाकई में गिरे हुए लोगों का उत्थान चाहते हैं तो विचार करें और जो हरिजनों के नाम पर रुपये का अपव्यय हो रहा है उसको रोकें।

जाट, गूजर और अहीर पिछड़ी जाति के हैं लेकिन भंगी, चमार इनके पास नहीं बैठ सकता जबकि हम पिछड़ी जाति वाले उनके बराबर ही लेते हैं। यह लोग उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा सवर्ण लोग करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह अपने समाज को उसी तरह उत्थान की दृष्टि से देखें और प्रचार करें जिससे गिरे हुए वर्ग को, जिसे हरिजन या अछूत कहते हैं, उसको बराबरी के अधिकार देने के लिये प्रोत्साहन दें, ताकि वह भी अपने को इंसान बना सकें। महज वोटों के लिये, प्रचार न करें क्योंकि सन् ६२ का इलेक्शन आ रहा है और हरिजनों के आप भी खैरख्वाह बन जायं। जो दो-तीन वर्ष बीच में गुजरते हैं कोई नहीं देखता कि हरिजनों की दशा क्या है? जो बजट है उसमें हरिजनों का नाम तक नहीं आया तो इस विभाग को खत्म कीजिये और प्रचार का रुपया जिस रूप में अपव्यय हो रहा है इसे रोक दीजिये।

जहां तक खेती की बात है मैं सहकारिता के जरिये खेती की बात में चाहता हूं कि वह हो लेकिन कह देने से वह नहीं नहीं होगी। सब पार्टियां मिल कर उसके लिये आन्दोलन करें और जो बंजर भूमि है उसको सरकार वितरण करे। उसे लिये जाने के बाद ही दूसरों की जमीन ली जाय और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद न बढ़ाया जाय और इन खेतिहर मजदूरों की मदद की जाय। उन्हें जमीन दी जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाई जा सके।

१८ परसेंट हरिजनों का नौकरी का जो सवाल है हम इस सदन में बराबर कहते आ रहे हैं कि कोई भी मंत्री अपने विभाग में १८ फीसदी हरिजनों का कोटा पूरा नहीं कर सका। क्या उनमें योग्य नहीं हैं? जितनी सुरक्षित सीट्स हैं सबसे अव्वल जो यू० पी० एस० सी० का इंटरव्यू होता है हरिजन ही आता है उनमें, लेकिन जब वे पुलिस सब इंस्पेक्टरी में बैठते हैं तो सब फेल हो जाते हैं। अगर आपके समक्ष उनको पेश किया जाय तो उनसे आगे सवर्ण निकल नहीं सकेंगे क्योंकि हरिजन परिश्रमी तथा हृष्ट पुष्ट होते हैं और पढ़े-लिखे भी उन्हीं स्कूल, कालेजेज तथा विश्वविद्यालयों में होते हैं। लेकिन उनके सामने वे अयोग्य सिद्ध किये जाते हैं क्योंकि अपने आदमी उनको लेने होते हैं। लिहाजा प्रत्येक मंत्री महोदय को यह ध्यान देना चाहिये कि जो १८ फीसदी नौकरियों में स्थान पाने का उनका अधिकार है उसे पूर्ण करने का उनको प्रयत्न करना चाहिये। लेकिन बार-बार कहने पर भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता। मैं दोबारा सुझाव के रूप में नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सुझाव की जो बात कहती है १८ फीसदी की उसे पूरा करने का वह आश्वासन दे और इसी वर्ष उसे पूरा करने का प्रयत्न करे।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का यह बजट जो श्री हरगोविन्दसिंह जी ने पेश किया है यह वास्तव में इसलिये महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तैयार होने के बाद प्रान्तीय सरकार का इससे दृष्टिकोण प्रकट होता है। उत्तर प्रदेश के अर्थ तंत्र के प्रति और सामाजिक विकास के प्रति सरकारी दृष्टिकोण की झलक यह देता है। मुझे इस बजट को देख कर निराशा हुई है। पिछले दस वर्षों तक योजनात्मक अर्थ व्यवस्था के अनुसार हमारे प्रदेश के अर्थ तंत्र के विकास के लिये जितने भी प्रयास किये गये हैं उनकी पिछली १० वर्षों तक लगातार किसी न किसी प्रकार से आलोचना होती रही है। विशेषी हम लोग यह सोचते थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के इस पहले बजट में उन तमाम आलोचनाओं

[आचार्य दीपंकर]

का भी कुछ आदर किया जायगा और कुछ नया दृष्टिकोण स्वीकार किया जायगा जिसके आधार पर हम यह उम्मीद कर सकें कि पिछले १० वर्षों के अन्दर हमारे प्रदेश की जो वांछनीय उन्नति नहीं हो सकी तो अगले ५ वर्षों में जरूर कोई न कोई नया मोड़ लिया जायगा।

विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने इस बजट के सम्बन्ध में अपने विचारों को रखते हुये जो तर्क प्रस्तुत किये हैं मैं उनका स्वागत करता हूं।

मान्वयर, असल में मालूम यह होता है कि सरकार अर्थतंत्र के विकास की बात को औद्योगिक विकास की बात समझती है और वह यह समझती है कि औद्योगिक विकास के मानी ही हैं हमारे प्रदेश के अर्थ तंत्र का विकास। और चूंकि औद्योगिक बिकास के लिये प्रभूतमात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और वह सुलभ नहीं है इस वजह से औद्योगिक विकास के प्रश्न को एकदम तिलांजलि देकर औद्योगिक उन्नति के नाम पर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कुछ खिलौने की उन्नति, कुछ क्षेत्रों में जूतों की उन्नति, और कहीं ग्रामोफोन का रिकार्ड बनाने के लिये अनुदान, इस तरह की बातों की चर्चा तो बहुत की गयी लेकिन उत्पादन की उन्नति के लिये जो मौलिक उद्योगों के विकास का प्रश्न है उनको इस सरकार ने इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले बजट में भी उपेक्षित ही रखा है। वास्तव में हिन्दुस्तान जैसे देश और हमारे जैसे पिछड़े प्रदेश में आर्थिक उन्नति का अर्थ बिलकुल भी औद्योगिक उन्नति से नहीं होती है। उनका यह दृष्टिकोण बिलकुल गलत है और इसी वजह से जिस प्रकार की चीजें बजट में उन्होंने रखी हैं वह इस प्रदेश के लिये आज भी उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से आज से १० वर्ष पहले थीं। कृषि का सुधार और उसकी उन्नति ही मौलिक सुधार है लेकिन वह प्रश्न जैसा आज से १० वर्ष पहले था उसी प्रकार से आज भी है। आज भी इस सम्बन्ध में जो कदम आप उठाते हैं वह कदम इसीलिये आप रुक-रुक कर उठाते हैं और झिझक के साथ उठाते हैं कि आपके पास उसके लिये योजना नहीं है और जब कुछ आलोचनायें इधर उधर होने लगती हैं तो वह स्वयं की आलोचना करने लगते हैं और इनका वह प्रकम्पित कदम जहां का तहां रुका रहता है। ऐसा कदम जो कि आर्थिक विकास के तंत्र में आवश्यक है वह खेती के विकास के बिना नहीं पूरा हो सकेगा।

सबसे पहला प्रश्न हमारे प्रदेश की जनता को भरपेट भोजन मिलना चाहिये और उसके लिये पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होना चाहिये। यह प्रश्न भी खेती के उत्पादन पर निर्भर करता है।

दूसरा प्रश्न है उद्योगों को पनपाने के लिये कच्चे माल की आवश्यकता। अब तक देश और प्रदेश की खेती के जिम्मे यह काम नहीं था। उसके जिम्मे यह काम नहीं था कि जो लोग उद्योगों में लगे हुये हैं उनको भोजन दे दे, इतना काम तो था। लेकिन आज हमारी खेती के जिम्मे केवल यही काम नहीं है कि जो खेती में लगे हुये हैं उनको भोजन दे दे, बल्कि शहरों की जनसंख्या को, उद्योग में लगे हुये लोगों के लिये भोजन का प्रबंध भी करना है साथ ही साथ जो उद्योगों को पनपाने के लिये कच्चे माल की जरूरत है उसकी जिम्मेदारी पहले खेती पर नहीं है लेकिन आज देश में जहां कच्चे माल की आवश्यकता का प्रश्न है बिना खेती के द्वारा उस जिम्मेदारी को निबाहे हुये वह विकास सम्भव नहीं है।

तीसरे, आर्थिक विकास के लिये पूंजी की आवश्यकता है। यह कहां से आयेगा। घाटे के बजट बना दिये जाते हैं, उससे तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। अगर तीसरी आवश्यकता की पूर्ति बूंद-बूंद करके एक, एक पैसा करके संचय करने की नीति है यह भी कृषितंत्र के विकास में सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं सोचता था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का यह पहला बजट एक कदम जरूर रखेगा और हम यह आशा कर सकेंगे कि नागपुर के प्रस्ताव के बाद हमारे खेती बारी के मामले में जो नई पगडंडी अख्तियार करने के लिये नारा दिया था कांग्रेस के नेताओं ने उस पर कुछ प्रथम चरण सरकार के अवश्य पड़ेंगे परन्तु वह सब तो कहने की बातें मालूम पड़ती हैं। आज भी शासक पार्टी अगर यह नहीं कर सकती कि वह २५ एकड़ की अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित

करके अतिरिक्त भूमि को गरीब किसानों में, खेतिहर मजदूरों में वितरित करके, लघु कुटीर उद्योगों का संगठन सहकारी तौर पर करके कोई ऐसी औद्योगिक प्रोग्राम नहीं लाती है जिससे खेती में उन्नति हो सके तो आर्थिक व्यवस्था का कायाकल्प नहीं हो सकता और उसमें जीवन का नया संचार नहीं हो सकता परन्तु सब बातें कहने के लिये ही मालम पड़ती है और इसी वजह से इस बजट में भी इन सभी चीजों के बारे में एक डिफेंसिव लाइन अख्तियार की गयी है जैसे यह कुछ हो ही नहीं ।

इस पूरे बजट को समझने के बाद मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे प्रदेश में गरीब जनता का आर्थिक स्तर जो है वह लगातार गिरता चला जा रहा है । उनकी आमदनी गिर रही है और इस गिरती हुई आमदनी की परवाह न करके एक बात साधारण रूप से कह दी जाती है कि दूसरे प्रदेशों में जनता के ऊपर जो टैक्सेज हैं उनको देखते हुये हमारे प्रदेश में टैक्सों का भार जनता के ऊपर बहुत कम है परन्तु इस बात को नजरन्दाज कर दिया जाता है कि दूसरे प्रदेशों में जनता के प्रति व्यक्ति की आय जो है उसके बनिस्बत हमारे प्रदेश में आय कम है । इसी वजह से आज जो हमारे बजट में घाटा है वह भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्षरूप से जनता से ही वसूल किया जाना है और एक आदत सी पड़ गई है कि बजट में घाटे को दिखाते हैं ।

माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने यह बात सही कही कि हम लगातार तीन साल से देखते चले आ रहे हैं कि बजट प्रस्तुत करते समय घाटे की बात कही जाती है लेकिन पूरे साल तक जो अनुदान स्वीकार किये जाते हैं उनके ऊपर कोई कदम तक नहीं उठाया जाता है । यहां तक कि खर्चा नहीं हो पाता है और साल के अन्त में रुपये के लैप्स हो जाने के भय से अनापशनाप खर्चा किया जाता है । फिर भी पूरी रकम खर्च नहीं हो पाती है । मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि १९५९-६० के बजट में एक करोड़ ८६ लाख रुपये का घाटा बताया गया था लेकिन अन्त में वह घाटा १ करोड़ ३९ लाख की बचत में परिणत हो गया । इसी प्रकार से १९६०-६१ में २ करोड़ ३३ लाख रुपये का घाटा बताया गया था और एक करोड़ के करीब बचत हमारे सामने आई ।

श्रीमन्, यह साढ़े पांच करोड़ रुपये का एक नया कर लगाया गया है और यह कर उन गरीबों के ऊपर लगाया गया है जिनको सहायता की जरूरत थी यानी दो करोड़ रुपये की किसानों को मिन्हाई के रूप में सहायता मिलती थी उसकी कटौती की गई है और बिक्री कर का जो नया दर रखा गया है यह गरीब दुकानदारों के ऊपर डाला गया है । इसको जस्टीफाइ करने का, साबित करने का नया आधार है ।

मान्यवर, अभी भी केन्द्रीय सरकार की ओर से ६० करोड़ रुपये का एक नया कर लगाया गया है । उसकी आलोचना मैं नहीं करना चाहता हूं और कदाचित् आप उसकी स्वीकृति भी नहीं देंगे । लेकिन इतनी बात तो सत्य है कि इसका भार बेचारी गरीब जनता पर ही आया है और जो नये कर हमारे बजट में आये हैं वह भी किसानों के ऊपर ही लगाते हैं यानी उनका भार भी आम जनता पर ही आता है । जो किसान नहर का पानी लेकर अपना खेत सींचते थे, उन को जो छूट दी जानी चाहिये थी और जिसकी लगातार मांग करते चले आये हैं कि सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये और दाम घटाये जायं उसके देने के बजाय उनसे पैसा ले लिया गया और सिंचाई के नये बंदोबस्त का भी कोई आश्वासन नहीं है । इसका पश्चिमी प्रदेश के किसानों पर बड़ा आघात पहुंचेगा । ८ करोड़ ७० लाख रुपये में से सरकार ७ करोड़ ५० लाख रुपया सिंचाई के कार्यों के सम्पादन पर व्यय करती है और १ करोड़ १९ लाख रुपया आमदनी में रखती है । इसका अर्थ यह है कि सिंचाई जैसी राष्ट्रीय चीज और आर्थिक विकास के लिये जो उपयोगी व्यय की व्यवस्था हो उसका व्यय किसानों के जिम्मे सरकार डालना चाहती है और इसको आमदनी का एक साधन बना कर रखना चाहती है ।

इसी प्रकार से जहां तक जनता की क्रय-शक्ति का संबंध है उसके बारे में विरोधी दलों के तथा अन्य सदस्यों ने कुछ बातें सदन के सामने रखीं । लेकिन एक बात स्पष्ट है कि १९५३ में

[आचार्य दीपंकर]

जब हमारी पंचवर्षीय योजना पर आर्थिक व्यवस्था का मंगलाचरण हुआ था उस समय ग्रामीण जनता की आमदनी १९८ रुपये प्रति व्यक्ति थी और आज दस वर्ष के बाद १९६० में प्रति व्यक्ति १९१ रुपये है यानी प्रति व्यक्ति आमदनी सात रुपये घटी जब कि बीच में १९५५ में प्रति व्यक्ति २१० रुपये की आय का हिसाब था।

मान्यवर, इस प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न महज ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आमदनी गिरी बल्कि शहरी क्षेत्र में भी करीब करीब यही स्थिति है। निस्संदेह करीब २५ रुपये शहरों में आमदनी बढ़ी, परन्तु उसमें भी बहुत उतार-चढ़ाव होते रहे हैं। उसको देखते हुये वह भी नाकाफी है। ऐसी सूरत में यह बात स्पष्ट है कि जब लोगों की आमदनी गिर रही है, उनकी क्रय-शक्ति गिर रही है तो सरकार के पास कौन सा ऐसा मापदंड है जिसके जरिये वह नाप लेती है कि टैक्स लगाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो टैक्स लगाये गये हैं, और जो घाटे का बजट बना कर अप्रत्यक्ष टैक्स लगाने की भूमिका प्रस्तुत की गयी है, उसका मैं समर्थन नहीं करता। यह तो चुनाव के पहले का बजट है। अगर १९६२ के बाद यही तरीका चलता रहा तो शायद गरीब जनता के ऊपर टैक्सों का अम्बार और ज्यादा लदेगा।

जब नये मुख्य मंत्री जी पधारे थे तो जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा, जगह जगह उन्होंने इस बात का बहुत प्रचार किया कि वह बहुत ज्यादा किफायतशारी बरतेंगे, और उनके जो साथी बजट ले कर आये हैं, वह भी उनके विचारों से सहमत होंगे, वह चीजें भी मालूम पड़ती हैं कि सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिये लोरियां थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अल्हड़ बच्चे सो नहीं पाते हैं। १० करोड़ रुपये की किफायतशारी की बात थी। मुश्किल से ५२ लाख रुपये किफायत-शारी के सामने आये।

इसके साथ साथ दूसरा चेप्टर भी है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विभागों में किफ़ायतशारी वाली बात को लीजिये। १ लाख ९६ हजार रु० के करीब एक्साइज विभाग में बढ़ाया गया है। दो सहायक एक्साइज कमिश्नर बनाये गये हैं। १४ सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किये गये हैं। ७ क्लर्क और एक डिप्टी एक्साइज कमिश्नर बढ़ाया गया है। इनके ऊपर पूरे साल में वेतन का १ लाख ९६ हजार ७ सौ ४० रुपये व्यय होंगे। इन पदों के बढ़ाने की वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फेवरटिज्म बढ़ाने के लिये, और बात तो यहां तक कही गयी है कि पांच-पांच हजार रुपया लिया गया है, जिसकी वजह से प्रोमोशंस हुए हैं।

इसी प्रकार बिक्री-कर को ले लीजिये। बिक्री-कर के सम्बन्ध में समस्त प्रदेश के गरीब दूकानदार ने बराबर यह आवाज उठायी कि इसमें उनको राहत मिलनी चाहिए। लेकिन उनको सहूलियत न दे कर इसमें १ लाख ९५ हजार ४ सौ रुपये का खर्च करके नया स्टाफ रखा गया है। उसमें ऐडिशनल कमिश्नर भी हैं और कुछ दूसरे लोग हैं। दलील दी जाती है कि चूंकि बिक्री-कर का सारा पैसा नहीं मिल पाता है, अच्छी तरह से चेक अप करने के लिये यह भरती की गयी है। यह उसी प्रकार की कहानी है कि एक जमींदार साहब को दूध पीना पड़ता है। उन्होंने देखा कि जो दूध लाता था वह उसमें आधा पानी मिला कर लाता था। उसकी देख भाल करने के लिये उन्होंने एक दूसरा आदमी रखा। वह भी अपना हिस्सा लेने लगा और उतना पानी मिलाने लगा। उस पर उन्होंने एक तीसरा आदमी रखा और अन्त में जमींदार साहब को पानी ही पानी मिलने लगा बिक्री-कर की चोरी को रोकने के लिए जो एक के ऊपर दूसरा आदमी रखा गया है, यह सर्वथा अपव्यय है।

इसी प्रकार इस वर्ष ८ करोड़ रुपये ऋण के रूप में और ९ करोड़ रुपये राष्ट्रीय बचत के रूप में वसूल होने हैं। यह चीजें ऐसी हैं जो अन्त में जनता पर बोझ डालती हैं और प्रदेश को ऋणग्रस्त बनाती हैं।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां पर प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की तरफ़ उसने नजरे इनायत की हैं, वहां उन्हीं की तरह से और भी बहुत से कर्मचारी जिलेदार, अमीन, चपरासी, लेखपाल आदि हैं और खास तौर से चकबन्दी का जो लेखपाल है—अब तो यहां माननीय माल मंत्री जी भी तशरीफ ले आये हैं—मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी की पूरी चकबन्दी की स्कीम का बैकबोन चकबन्दी का लेखपाल है लेकिन जिस तरह से उसका अल्प वेतन है उसे देखते हुए उससे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कराया जाना बहुत ही अनुचित है। जहां तक दूसरी आमदनी का प्रश्न है जो कांग्रेस राज्य में ऊपर से होती है, उसकी चर्चा मैं नहीं करता। लेकिन मेरिट्स को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं आज लेखपाल की आमदनी बहुत कम है और उसकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए।

इसी तरह श्रीमन्, पश्चिमी यू० पी० के दो, तीन प्रश्न और थे। एक पूर्वी जमुना नहर का प्रश्न ऐसा है जो बार बार उठाया जाता है। इसी तरह नलकूपों का प्रश्न है और इसी प्रकार कुछ निर्माण सम्बन्धी कार्य थे जिनका बार बार आश्वासन दिया जा चुका है जैसे जमुना के ऊपर पुल का सवाल था। चार वर्ष से लगातार कहते चले आ रहे हैं लेकिन वह पुल आज तक नहीं बना और शायद राज्य के रहते तो बनाना कठिन ही मालूम पड़ता है। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सूदखोरी पर प्रतिबन्ध लगाने और अलाभकर जोतों के पुनर्गठन का प्रयत्न होना चाहिए। इसी प्रकार से ग्रामीण दस्तकारों की आर्थिक सहायता के लिये इसमें कुछ प्राविधान होना चाहिये था और तहसीलों के स्तर पर...

श्री अध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

***चौधरी दाताराम** (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश हुआ है उसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं बजट के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और खास तौर से इसलिए कि इसमें बहुत सी नयी बातें पेश की गयी हैं जैसे कुछ किफायतशारी की तरफ़ सरकार का ध्यान गया है हालांकि मेरे ख्याल से उतनी किफायतशारी तो नहीं हो सकी या नहीं हो सकेगी जितनी कि होनी चाहिये क्योंकि यह इस सरकार के बस की बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक कदम जो सरकार ने उठाया है और इसमें लिखा है कि ५२ लाख रुपया हम बचत कर रहे हैं और ३० लाख रुपये की एक दूसरी रकम की बचत की तरफ ध्यान गया है तो इससे अन्दाजा लगता है कि सरकार इसमें और कोशिश करेगी। दूसरी बात—जो छोटे सरकारी कर्मचारियों की या खासकर अध्यापकों की और ग्रामों में जो अध्यापिकायें जायेंगी उनके लिए कुछ भत्ते और तनख्वाह में इजाफा और कुछ महंगाई भत्ते में इजाफा रखा गया है यह भी एक सराहनीय कदम है और इसका मतलब यही है कि छोटे सरकारी कर्मचारियों को राहत पहुंचायी जाय।

इसके साथ ही मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि जहां हम एक तरफ़ छोटे सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिये कदम उठा रहे हैं वहां किसानों पर सीधे दो तरह से टैक्स डाला गया है और मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं हुआ है। एक तो ऊशरों में जो गन्ना खरीद पर टैक्स लगाया गया है जिसके लिए अभी हमने एक बिल पास किया है उससे शायद २१ लाख रुपये का किसानों पर बोझ पड़ेगा। दूसरे आबपाशी की जो तीन आने छूट थी और छूट क्या वह भी एक तरह से बढ़ोत्तरी ही थी, पहले ६ आने थी उसमें से तीन आने कम कर दी थी-अब वह फिर लगा दी गई है। कहा यह गया है कि ५४-५५ में इसलिए छूट दी गई थी कि अनाज के भाव कम हो गए थे इसलिए तीन आने की छूट कर दी गई थी और अब चूंकि भाव बढ़ रहा है इसलिए हमने जो छूट दी थी वह वापस ले रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आज किस चीज का भाव बढ़ रहा है और किसानों को क्या खास फ़ायदा हो रहा है जिसकी वजह से उन पर यह टैक्स का बोझ लगाया गया है? दूसरी बात यह है कि टैक्स तो उस पर बढ़ा दिया गया लेकिन किसान को जो पानी मिलता है वह तो नहीं मिल रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी दाताराम]

मैं अभी मिसाल के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि पूर्वी जमना नहर की बात जो इस प्रान्त में सब से ज्यादा लाभकारी नहर कहलाती है अब तीन महीने में वह आयी है कुछ कुदरत की तरफ से मेहरबानी हो गयी। अब के वर्षा बहुत अच्छी हो गई और मुझे मालूम है कि फसल भी रबी की बहुत अच्छी है। शायद कुदरत की मेहरबानी रही तो अब की बार गल्ला काफी हमारे प्रान्त में पैदा होगा लेकिन सरकार की तरफ से जो आबपाशी के साधन थे उनकी वजह से नहीं बल्कि कुदरत की वजह से होगी। अब तीन महीने के बाद तो नहर आई है। किसानों की खेती सूख गई। चारा भी सूख गया और ऊख समय पर बोना चाहिये था वह समय पर बोया नहीं जा सका। तब भी आबपाशी के रेट बढ़ाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात क्यों हो रही है? जब किसी से टैक्स लेने की बात की जाती है और किसानों की तरक्की के लिये टैक्स लेने की बात उनसे की जाती है तो उनकी दिक्कत की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं उनकी दिक्कतों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया। उनकी आबपाशी की सुविधा बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खर्चे में कमी करने की बात कही गई है जिसको किफायतशारी कहते हैं। मेरे खयाल से अगर इसकी तरफ़ पूरी तवज्जह की जाती तो टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। आज भी ऐसे बहुत से अनुदान दिये जाते हैं कि जिनको १०, १० साल हो गये लेकिन कोई पूछने वाला न हीं है। उनको कोई वसूल करने वाला नहीं है। बहुत सी तकावी दी गई है लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि वह तकावी किस तरह से लगाई गई है और किसी ने उस को वसूल भी किया है या नहीं। बहुत से लोगों ने यह अपना पेशा बना रखा है। वह अफसरों से मिले हुये हैं। जब तकावी आती है तो वह आगे रहते हैं। उसमें से कुछ सरकारी कर्मचारी बांट लेते हैं और कुछ वे ले लेते हैं। कहीं मुर्गी पालने की स्कीम है तो उसको दिया जाता है। उनको यह भी देखना चाहिये कि कितनी मुर्गी उसने पाल रखी है। कहीं मछली का काम है। उसको जाकर देखना भी तो चाहिये कि उसके पास कोई तालाब है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, एक रोज मैं कानपुर की तरफ़ रोड पर जा रहा था। वहां पर मुझे जाने का इत्तफाक हुआ तो एक जगह मैंने देखा—उस जगह का नाम तो मुझे याद नहीं है—शायद बन्दरिया बाग था। वहां पर देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें "पशु पालन और गऊशाला" लिखा था। उसको मैंने देखा कि वहां पर सैकड़ों बीघा जमीन बंजर पड़ी हुई है। वहां पर बोर्ड लगा हुआ है लेकिन उसका कोई देखने वाला नहीं है। बहुत सारी जमीन वहां पर बंजर पड़ी हुई है। यह भी नहीं कि वहां पर अनाज भी पैदा किया जाय। इसका मतलब यह हुआ कि रुपया तो उनको देते हैं और उसके लिये बोर्ड लगा हुआ है लेकिन कोई गऊशाला या पशुपालन का काम वहां नहीं होता है बल्कि जमीन बेकार पड़ी हुई है। कोई गाय वहां नहीं है। उसका पता लगाया जाय। तो जो सरकार की इस तरह से काफी रकम लगी हुई है उसमें बचत हो सकती है और जो जमीन घेर रखी है उससे काम लिया जा सकता है।

यह तो मैंने एक मिसाल दी किन्तु प्रान्त में कितनी ही जगह इस तरह से होगा। अगर सरकार उनकी जांच कराये तो मेरे ख्याल में करोड़ों रुपया शायद इस तरह से आमदनी हो जायगी उनसे उस रुपये को वसूल तो करना चाहिये। उनको अनुदान दिया गया और तकावी दी गई लेकिन वसूल नहीं किया जाता। उनको वसूल करना चाहिये। कुछ लोगों ने अपना पेशा बना लिया है कि कहीं से कोई रकम ऊपर आसमान से टपके और वे उस को अपने पल्ले में ओट लें। मुझे खासतौर से यही बात कहनी थी। अगर इस की तरफ तवज्जह दें और उस रकम को वसूल करने का प्रयास करें तो बहुत रकम बच सकती है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अपनी रकम वसूल नहीं करते और दूसरों को भी नहीं देते मगर ऐसा नहीं होना चाहिये। अपना रुपया वसूल करना चाहिये और दूसरों का अदा करना चाहिये

तीसरी बात मुझे यात्रिक भत्ते के सम्बन्ध में कहनी है। इस पर कोई नियन्त्रण होना चाहिये। एक खजांची था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि यह सरकार

तो चल नहीं सकती क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी ३०० रुपया तनख्वाह पाता है और ९०० रुपया वह भत्ते का मार लेता है। पता नहीं किस तरह से वह अपने हथकंडे बरतता है। इसलिये सरकार को उस तरफ अवश्य तवज्जह देनी चाहिये और यह कोशिश करनी चाहिये कि किस तरह से हम उस को बचायें। एक बात मुझे यह कहनी है कि वैसे तो सरकार का यह निश्चय है कि वह नैनीताल इस बार नहीं जायगी, लेकिन उसे यह भी बतलाना चाहिये कि पिछले चार, पांच साल में कितना रुपया वहां जाने में सरकार ने खर्च किया है और कितना रुपया किस-किस तरह से बर्बाद होता है। अगर इस बात की जांच हो तो मैं समझता हूं कि बहुत काफी बातें इसमें से निकल सकती हैं। बहुत से लोग एक आध दिन के लिये वहां जा कर अपना टी० ए० बना लेते हैं। मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा कि नैनीताल नहीं जाना चाहिये, उन्हें जाना चाहिये लेकिन अपनी जेब के पैसे खर्च कर के जाना चाहिये। जो धनी लोग हैं, जिन्हें यहां लू सताती है, गरमी लगती है, उन्हें वहां जरूर जाना चाहिये। वैसे सरकार की मेहरबानी से मुझे यहां ९ साल हो गये हैं, मैं भी किसी न किसी कमेटी के मेम्बर की हैसियत से दो, चार रोज के लिये वहां जा कर अपना शरीर ठंडा कर लेता हूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, गरीब किसान आदमी हूं, कि अपनी जेब से खर्च कर के वहां जाऊं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को अपने खर्चे पर नैनीताल कतई नहीं जाना चाहिये और मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। पता नहीं कितने लाख रुपया सरकार इसमें खर्च करती है और पता नहीं किस किस तरह से सरकारी कर्मचारी उसके रुपये का दुरुपयोग करते हैं। अगर सरकार इसको बिलकुल बन्द करा दे तभी पता लगेगा कि कितने लाख रुपये की बचत हो सकती है।

बजट में कहा तो यह गया है कि कोई कर नहीं लगा रहे हैं लेकिन आबपाशी में दो करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ायी गयी है कर लगा करके। अगर हम अपनी फिजूल खर्ची को रोकें तो हमें यह टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी बचत से ही सब काम चल जायगा।

एक बात मुझे यह कहना है कि सूचना विभाग की तरफ से तीन अखबार निकलते हैं। एक "ग्राम्या" दूसरा एक उर्दू का है और एक है "उत्तर प्रदेश"। पहले यह हिन्दी में निकलता था, लेकिन अब अंग्रेजी में निकलने लगा है, हालांकि उसमें खबरें गांव की आती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं, हिन्दी और उर्दू जरूर जानता हूं। मैं ताज्जुब में रह गया कि पहले तो वह हिन्दी में आता था और यह अब अंग्रेजी में कैसे हो गया। जब हमारी राज भाषा हिन्दी है, हम प्रचार कर रहे हैं कि हिन्दी सब जगह होनी चाहिए, तो वह अंग्रेजी में कैसे चल गया? यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आयी। इसके अलावा सूचना विभाग में जो पानी की तरह से रुपया बहाया जा रहा है उस के लिये मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को खास तौर से ध्यान देना चाहिये और उस खर्च को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिये।

एक बात शराब के बारे में कहनी है। हमारी इस सम्बन्ध में हर साल आमदनी बढ़ रही है। और चाहे किसी मद में कमी हो जाय, इसमें आमदनी कम नहीं होती। इसमें कुछ हेरफेर इस बार भी किये गये हैं और करोड़ों रुपये का नफा इसमें और होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही एक मद्यनिषेध का भी महकमा सरकार के यहां चल रहा है और उस पर लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है। अगर सरकार उसे बन्द कर दे तो लाखों रुपया उसका बच जायगा। हम लाखों रुपया बिला वजह उस पर खर्च कर रहे हैं। मुझे अपने सहारनपुर जिले का तजुर्बा है। जिले में शराब की एक एडवाइजरी कमेटी होती है। वहाँ सन् १९५६ में यह तय किया गया कि शराब की दो दूकानें बन्द कर दी जायं, ताकि इससे जो चोरी डकैती होती हैं वे न हो सकें। उसने यह सुझाव दिया कि वहां की दो दुकानों को बन्द कर दिया जाय। आपको खोलना है तो शहरों में खोलिये, गांवों में खोलने की जरूरत क्या है? उस कमेटी में एक सरकारी अधिकारी भी थे और उन्होंने इस पर एतराज भी किया था और कहा कि इससे तो बजट पर घाटा पड़ जायेगा। उस अधिकारी ने, हम लोगों के खिलाफ होते हुये भी, यह कहा कि उसको रहना चाहिये। तो अध्यक्ष महोदय, जो मैंने दो, तीन सुझाव दिये हैं, मुझे आशा है यह सरकार उन पर विचार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—मान्यवर, जब से तृतीय पंचवर्षीय योजना का ढिंढोरा पीटा गया और उसकी चर्चा चली, तब से उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ राहत और कुछ नयी आशायें हो चली थीं। उत्तर प्रदेश की जनता यह समझ रही थी कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष का जो बजट आयेगा वह कुछ नयी आशाओं को लेकर आयेगा। कुछ न कुछ चन्द्र का अमृत भी मिलेगा। मान्यवर, १७ तारीख को जब बजट प्रस्तुत हुआ था उस दिन आदरणीय सदन की गैलरीज खचाखच भरी हुई थीं और जनता बड़ी उत्सुक नजर से देख रही थी। उसे यह आशा लगी हुई थी कि उसको कुछ राहत मिलेगी। किन्तु वित्त मंत्री की स्पीच को सुनने के बाद और उनकी कुछ घोषणाओं को सुनने के बाद, उनको बड़ी निराशा हुई और निराशा ही नहीं हुई बल्कि दुराशा भी हुई। जिस वक्त उन्होंने माननीय मंत्री जी के भाषण में यह सुना कि दो करोड़ रुपये की जो किसानों को छूट दी गयी थी, जिसे बड़ी कुरबानी के साथ, समझ बूझ कर माफ किया गया था, उसे अब खत्म कर दिया गया है, तो उसको सुनकर उन्हें यह महसूस हुआ कि इस वक्त जो सरकार बैठी हुई है वह किसानों की सरकार नहीं है और किसानों के प्रति उसकी हमदर्दी नहीं रह गयी है।

श्रीमन्, आशा तो इस बात की थी कि यह मंगलकारी सरकार कुछ उन बातों की घोषणा करेगी जिससे देहात की जनता को कुछ राहत मिलेगी और वहां की आय में जो अन्तर है उसको कम किया जायेगा, लेकिन श्रीमन्, जो यह कदम उठाया गया उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो कदम इस सरकार द्वारा उठाया गया है उससे यह सरकार अपने को मंगलकारी सरकार कहलाने का दावा कतई नहीं कर सकती। अगर यह सरकार शहरों की जनता को छुये, उनके खर्चे पर अपनी नजर डाले, तो उसको पता चले। लेकिन यह सरकार तो जो इस प्रदेश की इकोनामी की रीढ़ हैं जिसके ऊपर प्रदेश के बजट का सारा बोझ पड़ता है और जिसके बिना सरकार एक मिनट भी जिन्दा नहीं रह सकती है, उन्हीं किसानों पर वह टैक्स का बोझ डाला गया। यह मानी हुई बात है कि जब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ता तब तक हैवी इंडस्ट्रीज या काटेज इंडस्ट्रीज को रामेटीरियल नहीं मिलेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। सरकार ने तय किया था कि किसानी के सम्बन्ध में जो साधन उपलब्ध किये जायेंगे उनमें प्राफिट मेकिंग का एटीट्यूड नहीं रखा जायगा।

मान्यवर, जब इस सदन में तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप उपस्थित हुआ और जब डेवलपमेन्ट कमिश्नर से बातचीत करने का मौका मिला तो कहा गया कि ट्यूबवेल के रेट घटाये जायं। यह बात सही है, जैसा कि श्री त्रिलोकीसिंह जी ने भी किहा कि ट्यूबवेल में घाटा है लेकिन इसको इंडस्ट्री की बेसिस पर नहीं चलाया जा सकता। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां ट्यूबवेल लगाये गये हैं वहां क्या इस बात का सर्वेक्षण कराया गया कि वहां पर, जब से ट्यूबवेल लगे, कृषि की पैदावार बढ़ी या नहीं और अगर नहीं बढ़ी तो उसके क्या कारण हैं। अलीगढ़ के माननीय सदस्य यहां पर इस समय नहीं हैं उनकी अध्यक्षता में दो साल पहले एक मूल्यांकन कमेटी बैठी थी। उसमें यह भी रेफ्रेंस दिया गया था कि ब्लाक लेविल पर जो लोन्स, तकावी या अन्य सहूलियतें मिलती हैं उनसे जनता कहां तक लाभान्वित हुई और उत्पादन कितना बढ़ा और लघु उद्योगों में कितनी सहूलियतें मिलीं।

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं, उन्होंने दावा किया था कि सरकार की जो पंचवर्षीय योजनायें हैं उनसे देहाती जनता को काफी फायदा होता जा रहा है। मैंने उनकी सारी रिपोर्ट पढ़ी लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि गरीब गरीब हुये और अमीर अमीर हुये और जिनके पास साधन थे उन्हीं को साधन मिले। उन्होंने कारणों पर कोई दृष्टि नहीं डाली। तालाब बख्शी में जब मैं ट्रेनिंग में था उस वक्त भी जब यह भाषण कर रहे थे तो मैंने उनको टोका कि आपने अपनी एवोल्यूशन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि इसके क्या कारण हैं। मैं नहीं कह सकता कि उनको कारण बतलाने का अधिकार था या नहीं लेकिन यह माना जा चुका है, सरकारी अधिकारी और सभी मान

चुके हैं कि जिनको सहूलियतों की आवश्यकता थी उनको वह सहूलियतें नहीं मिलीं। उत्पादन न बढ़ने का मैं एक कारण यह भी समझता हूं।

(इस समय ४ बज कर ४४ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह पीठासीन हुये।)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी हमने सुझाव दिया था तकावी रूल्स में भूमिधरी के सम्बन्ध में और जैसा कि विरोधी दल के नेता ने भी कहा जिनकी जमानतें ली जाती हैं वह ११–१२ फीसदी होंगे पश्चिमी जिलों में और पूर्वी जिलों में इसका औसत बहुत कम है। आपको देखना चाहिये कि जिनको जरूरत थी वह कितने लाभान्वित हुये और जो तकावी रूल्स हैं उनमें सहूलियतें बरतनी चाहिये।

हरिजन भाई व अन्य किसान भाई कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिये इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन सरकार की इसके खिलाफ ही प्रवृत्ति मालूम होती है। सिंचाई के साधन अच्छे होते हुये भी अगर व्यवस्था खराब है तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। ट्यूबवेलों में थोकदारी के कारण जो हालत हो रही है उससे गरीब जनता परेशान है। वहां जिसकी लाठी उसी की भैंस हो रही है। बलहीन किसान को वहां पानी नहीं मिलता। मेरे सामने एक नहीं, कई वाक्यात गुजर चुके हैं।

ट्यूबवेलों के इंजीनियरों की यह बात भी है कि कहीं लैविल ठीक नहीं है और कहीं कमान्ड ठीक नहीं है, जो कहने पर भी ठीक नहीं किया जाता है। मैंने कानपुर के २ ट्यूबवेलों की बात कही थी, उनका जरा सा लेविल घटाने से ७०० एकड़ जमीन जो असिंचित पड़ी रहती थी, उसकी सिंचाई होने लगी। मेरे जिले फर्रुखाबाद में ट्यूबवेल नं० ९ पर जो मेरे ही गांव में है उसकी हालत इतनी खराब है कि माननीय रामेश्वर प्रसाद के शब्दों में वह मरसिया बना हुआ है। वहां जो जहालत और गुंडागर्दी हो रही है वह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मुख्य मंत्री चन्द्रभानु गुप्त ने जब कार्यभार सम्भाला था तो कहा था कि मैं चीन से लड़ूंगा तो जब उनके ट्यूबवेल के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर गुप्ता जो मैनपुरी में थे, उन्होंने कह दिया कि मैं ट्यूबवेल नं० ९ की गुंडागर्दी के सामने सिर झुकाता हूं, तो अगर यह शासन भी दूर नहीं कर सकता तो कैसे ये चीन से लड़ेंगे? मैंने कई बार कहा है कि सरकार के ऊपर दावा किया जा सकता है या तो वह ट्यूबवेल के कमान्ड को सिंचित कराये या मुआवजा दे।

कहा गया था कि सरकारी ट्यूबवेलों के लगने से प्राइवेट ट्यूबवेलों का कमान्ड घटाया नहीं जायगा लेकिन सरकार आज इस बात के लिये जिद कर रही है कि सरकारी ट्यूबवेल के लिये कमान्ड कमो-वेश किया जा सकता है। तो अगर किसान की सिंचाई ठीक समय से नहीं होती है तो क्या वह भूखों नहीं मरेगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह खड़े होकर उसके खेतों की सिंचाई कराने का प्रबंध करे? थोकदारी से गांवों में पार्टीबन्दियां हो चुकी हैं। जो लोग कमजोर हैं उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। जबर्दस्त लोग सारा पानी ले जाते हैं। इससे उत्पादन बजाय बढ़ने के कम होता जाता है। थोकदारी सिस्टम की बुराइयों की ओर सरकार को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्या कोई थोकदार यह नहीं चाहेगा कि उसे १० रुपये मिले तो किसी काश्तकार को जल्दी पानी दे दे? कौन नहीं चाहेगा कि हमको जल्द पानी मिले। यह कहा जाता है कि गेहूं को तीन हफ्ते बाद पानी मिलना ही चाहिये लेकिन श्रीमन्, फाल्गुन निकल जाता है पानी नहीं मिलता। यही आपकी ट्यूबवेल की व्यवस्था है? इस व्यवस्था में करप्शन है, थोकदार मनमानी करते हैं। और भी बहुत से ऐसे ट्यूबवेल्स हैं लेकिन मैं ट्यूबवेल नम्बर ९ की मिसाल देता हूं। वहां बड़ी गुंडागर्दी मची हुई है। छोटे किसानों पर बिना उनके द्वारा सिंचाई किये सिंचाई कर डाल दिया जाता है। इस बात की ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। मैंने इन बुराइयों के बारे में मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर दिया कि वे इसको देखेंगे लेकिन उसके बारे में उन्होंने क्या विचार किया, कौन से सुझाव उनके सामने आये और कौन सी कार्यवाही उसके सम्बन्ध में उन्होने की, यह अभी तक मालूम नहीं हो सका।

[श्री रामशरण यादव]

जहां एक ओर हमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है वहां शिक्षा की भी हमें जरूरत है। योजना के जितने भी कार्य प्रदेश में फैले हुये हैं, हर क्षेत्र की जनता का रुख उधर होना चाहिये, उसका उन्हें ज्ञान होना चाहिये, उसका एप्रीसियेशन होना चाहिये। जिस प्रकार के कामों की वहां जरूरत है उसी प्रकार के आदमियों की भी वहां आवश्यकता है। इसलिये वहां के लोगों को उसी प्रकार की शिक्षा भी मिलना नितान्त आवश्यक है। चाहे वह शिक्षा टैक्निकल शिक्षा हो, इंजीनियरी की हो, ओवरसियरी की हो या अन्य शिक्षा की हो। आजकल आपकी ओर से जो लोग रखे जाते हैं वे यह भी नहीं जानते कि गेहूं का बीज किस हिसाब से खेतों में पड़ता है। आपके एग्रीकल्चरिस्ट्स खेतों में गेहूं और जौ की बाली तक नहीं पहचान सकते। इसका कारण यह है कि आप इन इंस्टीट्यूशन्स को शहरों में ही सेन्ट्रलाइज करते जा रहे हैं, जबकि उनकी आवश्यकता देहातों में है।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सामान्य वाद-विवाद पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने तृतीय पंचवर्षीय योजना का पहला बजट प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही साथ में सरकार से कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं।

आज हमारी सरकार, पता नहीं क्यों किसानों के पीछे डंडा लेकर पड़ी हुई है। कई बार उसके बारे में सरकार से प्रश्न भी पूछे गये। दुर्भाग्य से माल मंत्री जी यहां नहीं हैं, उनके सामने इस सदन में, बाहर और कमेटियों में भी विचार विमर्श हुआ और उन्हें मालूम हुआ और उसके बारे में कुछ आश्वासन भी दिया लेकिन उस के बावजूद भी न जिलाधीश के पास कोई आदेश पहुंचे हैं, न कोई और बात ही मालूम पड़ सकी है। सरकार ने एक सी० एल० आर० डी० की स्कीम चलाई। मैं समझता था कि इसका प्रभाव शायद मेरी ही तहसील में होगा। सरकार का आदेश था कि बाहमी तब्दीली या तकसीमी बिना किसी बैनामे के किसान कर सकते हैं। इस आदेश के तहत वहां आपसी तब्दीली या भाइयों में आपसी तकसीमी हुई तो सब को सीरदार बना दिया गया और उन पर लगान लगा दिया गया। यह गलती सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हुई फिर भी ३१ दिसम्बर ऐतराज दाखिल करने की तारीख रखी गयी लेकिन उसका किसानों को कोई नोटिस नहीं दिया गया और ७ जनवरी को वहां बोर्ड आफ रेवेन्यू से आदेश गया कि लगान लगा कर उसकी वसूली की कार्यवाही फौरन चालू की जाय। सरकार के अमीन गांव में पहुंच गये। मैंने अपनी तहसील का अन्दाज लगाया कि वहां ३ लाख से ज्यादा गलत लगान लिखा गया है। इससे बढ़ कर जबरदस्ती क्या होगी? मैंने नियम ५२ के अनुसार इस सम्बन्ध में यहां प्रश्न उठाया तो मुझे मालूम हुआ कि यह समस्या केवल एक मेरी ही तहसील की नहीं है बल्कि सारे प्रदेश के हर जिले में इस तरह की गलतियां हैं। कुछ और भी बातें ऐसी हुईं लेकिन आज तक सरकारी कर्मचारियों की गलती होने के बावजूद भी इन कागजात को दुरुस्त कराने का आदेश सरकार की तरफ से नहीं गया है। मैं अपनी तहसील की कई मीटिंग्स में गया जहां जाकर मैंने किसानों से पूछा कि मुझे तो माननीय मंत्री जी ने सदन में इस तरह का आश्वासन दे दिया था कि वे इस तरह के आदेश भेज देंगे तो क्या कोई इस तरह का आदेश आया है? लेकिन मुझे बतलाया गया कि आज तक जिलों में कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं पहुंचा है जिससे किसान परेशान हैं।

इसी परेशानी के साथ-साथ आबपाशी बढ़ाने से भी किसान परेशान हो गये हैं। यहां के ७४ प्रतिशत किसान, मजदूर खेती पर आश्रित हैं, यह तो सभी लोग चाहे सरकार में हों या विरोधी दल में हों, कहते हैं लेकिन उनकी सुविधा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आब-पाशी बढ़ायी गयी है, नाजायज तौर पर लगान की वसूली का उदाहरण मैं दे ही रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात की जा रही है जिससे किसान बहुत परेशान हैं। आज किसानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जमीन एक्वायर करने के सिलसिले में जिस तरह की कार्यवाही की जाती है उससे भी किसान बहुत परेशान हैं और जिनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता।

सरकार आबादी को बढ़ता हुआ मानती है और पैदावार को बढ़ाना भी चाहती है लेकिन जो सरकारी जमीन है चाहे वह सड़क में हो, चाहे रेलवे में हो, सरकारी कर्मचारी कुछ ले देकर उसे दूसरे को दे देते हैं और वे नाजायज कब्जा करते चले जाते हैं लेकिन पता नहीं सरकार किसानों की उपजाऊ जमीन बराबर क्यों एक्वायर करती जा रही है। इससे किसानों के अन्दर एक संदेह पैदा हो गया है कि वे अपनी जमीन के मालिक हैं भी या नहीं।

श्रीमन्, एक दफा मैंने यहां गाजियाबाद के मास्टर प्लान का जिक्र करते हुये कहा था कि वहां पर ढाई सौ, तीन सौ फीट की रिंग रोड बनायी जायगी कुछ तफरीबाज लोगों के टहलने के लिये, और दूसरी तरफ ५५ गांवों के किसानों की जमीन लेकर उनको उजाड़ डाला गया है जिनके रिश्ते तक आने बन्द हो गये हैं। समझ में नहीं आता कि इस तरह के मास्टर प्लान से उनका क्या फायदा होगा? श्रीमन्, दिल्ली के मास्टर प्लान को पंजाब सरकार ने अपने यहां लागू करने से इन्कार कर दिया लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार उसी दिल्ली मास्टर प्लान को अपने यहां लागू कर रही है। उससे यह होगा कि जी० टी० रोड जो शहर के बीच में है उसे बन्द किया जा रहा है यह कह कर कि इसके चालू रहने से एक्सिडेंट्स वगैरह बहुत होंगे लेकिन ५५ गांव के किसानों को उजाड़ कर जितने लोगों के साथ एक्सिडेंट्स किये जा रहे हैं उतने एक्सीडेंट्स तो ५० वर्ष के अन्दर भी नहीं होते। कारखाने के लिये जो शहर में जमीन है उसको तो इंच के हिसाब से बेचा जायगा लेकिन किसानों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है बगैर उचित मुआवजे के। सरकार का ध्यान उन किसानों की तरफ नहीं जाता और किसानों की आवाज यहां नहीं मालूम होती है।

एक तरीका है मुआवजे का। जब रिहान्द डैम के सिलसिले में मध्य प्रदेश के कुछ गांव उधर पड़ गये तो वहां की सरकार ने यहां के किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे से बीस गुना अधिक मुआवजा लेकर अपने यहां के किसानों को दिया जब कि यहां की सरकार को इस प्रदेश के किसानों से कुछ बैर सा लगता है। मैंने खुद रिहान्द डैम के सिलसिले में उजड़े हुये किसानों की हालत जाकर देखी है। पता नहीं बाबा आदम के जमाने से जमीन का एक मुआवजा निश्चित किया हुआ है उसी के अनुसार हर जगह काम लेती है। यह सही बात है कि सरकारी फार्म्स जितने हैं वे घाटे पर चल रहे हैं फिर भी कहा जाता है कि हर ब्लाक में आदर्श फार्म बनेंगे। जब सरकारी फार्म के बारे में कहा जाता है तो सरकार की तरफ से यही जवाब मिलता है कि उसे तो हम केवल डिमांस्ट्रेशन के लिये करते हैं। १ वर्ष डिमांस्ट्रेशन हो २ वर्ष हो कब तक यह होता रहेगा, आप किसान को ऐसी आदत क्यों नहीं डालते कि वह अपना बीज स्वयं रखे।

श्री अधिष्ठाता--अब आप कल भाषण जारी रखें। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ मार्च, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२५ पर)

सूची

जिलों के नाम	उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य (१९६५–६६)			अनुमानित खर्च		
	खाद्यान्न (टन)	गन्ना (लाख मन)	तिलहन (टन)	खाद्यान्न	गन्ना रु०	तिलहन रु०
१	२	३	४	५	६	७
१—देहरादून	५६,२३९	३६.७५	२५,६८३	..	१.६१	२४,१५०
२—सहारनपुर	३,५४,२६६	७८७.५०	३०,२६२	..	१८.९२	१६,०२०
३—मुजफ्फरनगर	३,२९,६४०	७३५.००	२९,९२७	..	१८.८०	२४,१५०
४—मेरठ	५,०७,४३१	१,२६०.००	३१,२६७	..	३०.२१	४४,८७०
५—बुलन्दशहर	५,३९,५०३	२१०.००	३३,०५३	..	६.१७	१४,०९०
६—अलीगढ़	५,२२,६३३	..	२५,९०७	..	..	१६,०१०
७—मथुरा	३,६४,९९३	..	३६,८५०	..	..	१६,०१०
८—आगरा	४,०४,८९८	..	४८,९१०	..	..	३२,४१०
९—मैनपुरी	३,४१,६२१	..	५२,२६०	..	..	१६,०१०
१०—एटा	४,०६,३७५	१५७.५०	६८,३४०	..	४.३६	१६,०१०
११—बरेली	३,३२,९०२	३१५.००	३०,०९४	..	९.६८	३२,३७०
१२—बिजनौर	२,३३,३०१	६८२.५०	३०,९३२	..	१४.२०	१६,०१०
१३—बदायूं	३,६६,०४६	१०५.००	८८,५५२	..	२.६३	१६,०१०
१४—मुरादाबाद	४,९०,१९७	४७२.५०	४४,५५५	..	९.४३	१६,०१०
१५—शाहजहांनपुर	२,३८,८२३	२१०.००	४९,९१५	..	७.७८	२४,१५०
१६—पीलीभीत	१,७१,१९३	३१५.००	५८,४०२	..	७.५३	२४,१५०
१७—रामपुर	१,९८,८३१	२६२.५०	५९,२९५	..	८.०२	२४,१५०
१८—फर्रुखाबाद	३,५१,४०१	..	४८,६८७	..	..	१६,०१०
१९—इटावा	३,६६,६३२	..	४७,७९३	..	..	२४,१५०
२०—कानपुर	५,५८,२४०	१०.५०	५७,७३२	..	०.९३	१६,०१०
२१—फतेहपुर	३,९७,७७२	..	२३,३३८	..	..	२४,१५०
२२—इलाहाबाद	६,०४,९१३	..	२०,०००	..	..	३२,३७०
२३—झांसी	३,८५,२९४	..	२७,४७०	..	..	३२,३७०
२४—जालौन	२,६७,९५३	..	४१,३१७	..	..	१६,०१०
२५—हमीरपुर	४,१७,७६६	..	४१,७०८	..	..	१६,०१०
२६—बांदा	५,२३,५३२	..	२७,८६१	..	..	१५,०१०
२७—वाराणसी	४,१२,६३७	..	१२,३९५	..	..	४४,८७०
२८—मिर्जापुर	२,६०,७८०	..	३४,६१७	..	..	१४,०८०
२९—जौनपुर	३,५८,२०६	६८.२५	७,५९३	..	४.१६	२४,१५०
३०—गाजीपुर	३,०८,४६७	..	१०,१०६	..	..	२४,१५०
३१—बलिया	२,४३,३९१	..	१०,१०६	..	..	२४,१५०
३२—गोरखपुर	६,२९,८०४	३६७.५०	२६,२४२	..	१८.१४	३२,३७०

जिलों के नाम	उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य (१९६५–६६)			अनुमानित खर्च		
	खाद्यान्न (टन)	गन्ना (लाख मन)	तिलहन टन	खाद्यान्न	गन्ना रु०	तिलहन रु०
१	२	३	४	५	६	७
३३–देवरिया	४,२५,०२५	१,०२३.७५	१५,९६८	..	२०.३९	२२,२५०
३४–बस्ती	७,७३,०२९	४२०.००	२०,६५८	..	११.८१	२२,२५०
३५–आजमगढ़	५,४३,२१९	..	१३,६२३	..	..	२२,२५०
३६–लखनऊ	१,६३,९८५	१५.७५	२०,७७०	..	१.१०	७३,०८०
३७–उन्नाव	३,९४,२२८	..	४८,०१७	..	..	१४,०८०
३८–रायबरेली	३,२९,४३७	..	३०,१५०	..	..	२४,१५०
३९–सीतापुर	४,०६,१८०	६३०.००	७०,७९७	..	१७.९१	१४,०८०
४०–हरदोई	४,०१,४३४	२१०.००	१,२५,५१३	..	५.५५	१४,०८०
४१–लखीमपुर खीरी	३,६५,१६६	७०८.७५	२८,५८७	..	७.०४	१४०,८०
४२–फैजाबाद	३,७३,५८८	११५.५०	११,९४८	..	३.८५	४४,८७०
४३–गोंडा	६,८१,२१६	३१५.००	२५,६८३	..	९.१३	२४,१५०
४४–बहराइच	४,००,८८५	५२.५०	३९,६४२	..	३.४९	१४,०८०
४५–सुलतानपुर	३,४६,०८३	..	१०,७२०	..	..	२४,१५०
४६–प्रतापगढ़	२,८०,३८२	..	१०,१६२	..	..	२४,१५०
४७–बाराबंकी	३,५१,७२४	२१०.००	१४,६२६	..	२.९७	२४,१५०
४८–नैनीताल	२,४६,८७७	२७८.०५	२,५३५	..	७.३९	३७,०७०
४९–अल्मोड़ा	१,२६,५७८	..	१,०३८	..	..	२२,०८०
५०–गढ़वाल	१,५४,७४७	..	१,३७४	..	..	१८,२८०
५१–टेहरी-गढ़वाल	८५,३४९	..	१,०२७	..	..	१८,२८०
योग—	१८८.०० लाख टन (अनुमानित)	९,९७५.००	१,६७५,०००	..	२६३.२१	१२,००,०००

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२६ पर)

गुड़ उद्योग के विकास के लिये विभाग द्वारा एक योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत गन्ने की खेती में वृद्धि करते हुये गुड़ एवं खांडसारी का उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिये पुराने कोल्हू कढ़ाव एवं अन्य यंत्रों के स्थान पर उन्नतशील कोल्हू, कढ़ावों का तकावी वितरण, गुड़ की किस्म में सुधार करने के लिये उन्नतशील भट्ठियों का प्रचार, रस की सफाई के साधनों का प्रचार, गुड़ उन्नतशील ढंग से भंडसार करने के तरीकों का प्रचार, प्रशिक्षण व्यवस्था एवं गुड़ व खांडसारी के सहकारिता के आधार पर विक्रय, उत्पादन एवं भंडसार की व्यवस्था करना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यों को विस्तृत करने का विचार है अथवा नई सहकारी समितियों के उत्पादन केन्द्र खोलना है जहां प्रतिदिन का उत्पादन नये तथा उन्नतशील क्रशर्स लगाकर बढ़ाना है इसके अतिरिक्त उन्नतशील भट्ठियों का निर्माण, गुड़ उत्पादकों के घरों पर जाकर रस की सफाई के साधनों का प्रचार, भंडसार के लिये गोदाम खोलना, ग्रामोद्योग बिक्री केन्द्र स्थापित करना अथवा प्रशिक्षण सुविधायें हैं।

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

तत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३० पर)

क्रम-संख्या	सम्पत्ति का नाम (यह शहर झांसी या जिला झांसी में स्थित है)	क्षेत्रफल			किस तरह निबटारा हुआ
		एकड़	राड	पौल	
१	२	३			४
१	डंडेरपुरा ..	१	२	२१	ग्वालियर के महाराजा सिन्धिया को दी गई ।
२	नारायणबाग ..	११७	२	२३	
३	हजारीवाला बाग ..	१८	३	२३	
४	दरियापुरा ..	२०	२	२	
५	खजूरबाग ..	११	३	३५	अली बहादुर को ३२० रुपये में बेची गई ।
६	छपराबाग ..	३९	१	१९	गनपत राव की मां, श्रीमती लक्ष्मी बाई, को दिया गया ।
७	लहर ठाकुरपुरा ..	१	०	२६	श्री गंगाधर को ६० रुपये में नीलाम में बेचा गया ।
८	रानी लक्ष्मीबाई का महल, झांसी				इसमें पुलिस कोतवाली स्थित थी । इस समय उसके कुछ भाग में पुलिस कर्मचारी रह रहे हैं । यह लोग भी शीघ्र ही उसे खाली कर देंगे । इस इमारत को किसी राष्ट्रीय संस्था के प्रयोग में लाने का विचार है ।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३३ पर)

ग्राम का नाम	गृह निर्माण या मरम्मत के लिये अनुदान	अहेतुक सहायता	तकावी (ऐक्ट १२ के अधीन)
	रु०	रु०	रु०
१—मड़ौली .. (जिसमें गजेर, चहलहा, व गुरुसड़ शामिल हैं)	१३०	४५	३,१७०
२—इटैलिया ..	२५	२३	७६५
३—मचकुडरा ..	२००	२०	६६०
४—बेवाइमि ..	१६५	९०	२,०९०
५—पचगवां ..	८५	६९	२,६४५
६—धनजुवा ..	..	४७	५३०
७—रूखा मजरा सुल्तानपुर पैराजोर ..	..	३०	२,२७५
८—बरमावा ..	..	६७५	१,६४५
योग ..	६०५	९९९	१३,७८०

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३६ पर)

सन् १९५९–६० में बोन मील के लिए दी गई आर्थिक सहायता की सूची

योजना का नाम	क्रम-संख्या	पार्टी का नाम	ऋण दिया गया धन
१—ऋण तथा अनुदान योजना			रु०
(अ) ऋण तथा अनुदान समिति द्वारा	१	श्री रईसुद्दीन वारसी, मुरादाबाद ..	५,०००
(ब) जिलाधीश द्वारा	१	श्री शिव विशाल, सुत श्री रामशंकर, बांदा	१०,०००
	२	श्री अब्दुल गफ्फार हुसेन, ग्राम अबरौली, गोंडा	६,०००
	३	श्री एहसान उल्ला किरमानी, लखनऊ	१०,०००
	४	श्री अमानुल रहमान खां, कासगंज, एटा	७,०००
	५	श्री पसरामचन्द, ललितपुर, झांसी ..	१०,०००
	६	श्री बलवन्त सिंह त्यागी, ग्राम जाफर नगर, मेरठ	१,०००
	७	श्री राम भरोसे मिश्रा, ग्राम इन्द्रुख, कानपुर	७,०००
	८	श्री विजय बहादुर सिंह, ग्राम महेरा, कानपुर	५,०००
	९	बजाज ब्रदर्श, प्रोपराइटर कृष्णलाल, आचार्यनगर, कानपुर ..	५,०००
२—उदार (Liberalised) ऋण योजना (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा)	१	मेसर्स फर्टीलाइजर एंड जिलेटाइन इंडस्ट्री, मुरादाबाद	२५,०००
३—पिछड़े हुए क्षेत्रों की योजना	१	श्री राम बिहारी, सुत श्री राधे लाल, बांदा	१५,०००
	२	श्री राम प्रताप, सुत श्री बहादुर, बांदा ..	१५,०००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३०४ एल० ए०—१९६१—८४५ ।